उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा
सिविल जज
जूनियर डिविजन
प्रारम्भिक परीक्षा
विधि स्पेशल (9 in 1)

प्रधान सम्पादक

आनन्द कुमार महाजन

सम्पादक/लेखक

अधिवक्ता अभिषेक सिंह

लेखक मण्डल

हर्ष वर्धन सिंह (LLM-NET), मनीष सिंह (LLM-NET), अधिवक्ता रोहित सिंह

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण त्रिपाठी, आशीष गिरि, श्रेयांश जैन

सम्पादकीय कार्यालय

यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

फोन : 9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com

प्रकाशन घोषणा

प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने ओम साईं ऑफसेट, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर, यूथ कॉम्पिटिशन, 12, चर्च लेन, प्रयागराज के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव एवं सहयोग सादर अपेक्षित है।

मूल्य : 160/-

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

विषय-सूची

- **The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ....3-11**

  दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016

- **The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 ....12-19**

  माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

- **The Dowry Prohibition Act, 1961 ....20-27**

  दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

- **The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.....................................28-42**

  घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

- **The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013..43-52**

  महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

- **The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994..53-62**

  गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्ण निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

- **The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 ....63-64**

  गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971

- **The Indecent Representation of Women (Prohibition Act, 1986 ....65-67**

  स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

- **The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 ....68-80**

  लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016

1. How many chapter and sections in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में कितनी अध्याय और धाराएं है।

(a) 27 Chapter, 104 Section/अध्याय 27, धारा 104
(b) 7 Chapter, 107 Section/अध्याय 7, धारा 107
(c) 17 Chapter, 102 Section/अध्याय 17, धारा 102
(d) 27 Chapter, 102 Section/अध्याय 27, धारा 102

2. The United Nations General Assembly had adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 on–
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था–

(a) 12 December, 2006/12 दिसंबर, 2006
(b) 22 December, 2006/22 दिसंबर, 2006
(c) 10 December, 2006/10 दिसंबर, 2006
(d) 13 December, 2006/13 दिसंबर, 2006

3. When the rights of persons with Disabilities Act, 2016 passed in Lok Sabha?/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लोकसभा में कब पारित किया गया।

(a) 16 December, 2016/16 दिसंबर, 2016
(b) 17 December, 2016/17 दिसंबर, 2016
(c) 26 December, 2016/26 दिसंबर, 2016
(d) 6 December, 2016/6 दिसंबर, 2016

4. When Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 passed in Rajya Sabha?/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 राज्यसभा में कब पारित किया गयाष्ट्व

(a) 15 December, 2016/15 दिसंबर, 2016
(b) 16 December, 2016/16 दिसंबर, 2016
(c) 14 December, 2016/14 दिसंबर, 2016
(d) 24 December, 2016/24 दिसंबर, 2016

5. When did assent of the President received to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली–

(a) 27 December, 2016/27 दिसंबर, 2016
(b) 7 December, 2016/7 दिसंबर, 2016
(c) 17 December, 2016/17 दिसंबर, 2016
(d) 15 December, 2016/15 दिसंबर, 2016

6. When the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 came into force/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 कब प्रभावी हुआ–

(a) 9 April, 2017/9 अप्रैल, 2017
(b) 19 April, 2016/19 अप्रैल, 2016
(c) 19 April, 2017/19 अप्रैल, 2017
(d) 19 April, 2018/19 अप्रैल, 2018

7. "Care-giver" has been defined under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत ''देख-रेख कर्ता'' को परिभाषित किया गया है।

(a) Section 2(d)/धारा 2(घ) में
(b) Section 2(a)/धारा 2(क) में
(c) Section 2(c)/धारा 2(ग) में
(d) Section 2(i)/धारा 2(झ) में

8. "Barrier" has been defined under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 in–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत ''रोध'' को परिभाषित किया गया है–

(a) Section 2(a)/धारा 2(क) में
(b) Section 2(b)/धारा 2(ख) में
(c) Section 2(c)/धारा 2(ग) में
(d) Section 2(d)/धारा 2(घ) में

9. "Communication" has been defined under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 in/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत ''संसूचना'' की परिभाषा दी गई है–

(a) Section 2(f)/धारा 2(च) में
(b) Section 2(g)/धारा 2(छ) में
(c) Section 2(h)/धारा 2(ज) में
(d) Section 2(c)/धारा 2(ग) में

10. "Discrimination" has been defined under Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 in/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत ''विभेद'' को परिभाषित किया गया है।

(a) Section 2(g)/धारा 2(छ) में
(b) Section 2(h)/धारा 2(ज) में
(c) Section 2(i)/धारा 2(झ) में
(d) Section 2(j)/धारा 2(ञ) में

11. "Inclusive education" has been defined under Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 in/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत ''सम्मिलित शिक्षा'' को परिभाषित किया गया है–

(a) Section 2(n)/धारा 2(ढ)
(b) Section 2(m)/धारा 2(ड)
(c) Section 2(e)/धारा 2(ङ)
(d) Section 2(o)/धारा 2(ण)

12. "Institution" has been defined under Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 in–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत ''संस्था'' को परिभाषित किया गया है।

(a) Section 2(a)/धारा 2(क)
(b) Section 2(r)/धारा 2(द)
(c) Section 2(c)/धारा 2(ग)
(d) Section 2(o)/धारा 2(ण)

13. The term 'person with disability' has been defined under Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 in–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत ''दिव्यांग'' शब्द को परिभाषित किया गया है–

(a) Section 2(r)/धारा 2(द)
(b) Section 2(s)/धारा 2(ध)
(c) Section 2(a)/धारा 2(क)
(d) Section 2(c)/धारा 2(ग)

14. The term 'private establishment' has been defined under Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 in–
दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन ''प्राइवेट स्थापन'' शब्द को परिभाषित किया गया है-

(a) Section 2(u)/धारा 2(प)
(b) Section 2(v)/धारा 2(फ)
(c) Section 2(w)/धारा 2(ब)
(d) Section 2(r)/धारा 2(द)

15. "Rehabilitation" has been defined under Rights of Persons with Disabilities Act, 2016–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत ''पुनर्वास'' की परिभाषा दी गयी है–

(a) Section 2(zb)/धारा 2यख
(b) Section 2(zc)/धारा 2यग
(c) Section 2(za)/धारा 2यक
(d) Section 2(zd)/धारा 2यघ

16. In case of abuse, violence or exploitation against a disables person, to whom can be reported–
किस दिव्यांग के विरुद्ध दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य होने पर इसकी सूचना दी जा सकती है।

(a) Judicial Magistrate/न्यायिक मजिस्ट्रेट को
(b) Executive Magistrate/कार्यपालक मजिस्ट्रेट को
(c) District Magistrate/जिलाधिकारी को
(d) Sub District Magistrate/उपजिलाधिकारी को

17. Legal capacity of the person with disabilities shall ensure by–
दिव्यांगजन की विधिक हैसियत सुनिश्चित की जायेग–

(a) State government/राज्य सरकार द्वारा
(b) Central government//केन्द्र सरकार द्वारा
(c) Appropriate government/समुचित सरकार द्वारा
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

18. According to which section, measure to promote, protect and ensure participation of persons with disabilities in adult education and continuing education programs equally with others/दिव्यांगजनों की भागीदारी को संवर्धित संरक्षण और सुनिश्चित करने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ ''समान शिक्षा कार्यक्रम'' जारी रखे जायेंगे

(a) Section 78/धारा 78 के अंतर्गत
(b) Section 20/धारा 20 के अंतर्गत
(c) Section 17/धारा 17 के अंतर्गत
(d) Section 18/धारा 18 के अंतर्गत

19. Provision for appointment of Grievance Redressal officer under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 is/दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है–

(a) Section 19/धारा 19 (b) Section 20/धारा 20
(c) Section 23/धारा 23 (d) Section 24/धारा 24

20. Under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 within how many days the complaint made to the Grievance Redressal officer shall be inquired–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शिकायत प्रतितोष अधिकारी से की गयी शिकायत की जांच कितने दिनों के भीतर की जायेगी

(a) two weeks/दो सप्ताह के भीतर
(b) four weeks/चार सप्ताह के भीतर
(c) eight weeks/आठ सप्ताह के भीतर
(d) five weeks/एक सप्ताह के भीतर

21. Under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 if the aggrieved person is not satisfied with the action taken on complaint, what option does he have/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो उसके पास क्या विकल्प है।

(a) District level committee/जिला स्तर समिति
(b) State level committee/राज्य स्तर समिति
(c) Central level committee/केन्द्र स्तर समिति
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

22. Insurance scheme for disabled employee, under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 shal be provided by/दिव्यांग कर्मचारी के लिए बीमा स्कीम कौन जारी करेगा–

(a) State government/राज्य सरकार
(b) Central government//केन्द्र सरकार
(c) Appropriate government/समुचित सरकार
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

23. Provision regarding 'insurance scheme' under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 is/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत बीमा स्कीम का प्रावधान है।

(a) Section 24/धारा 24
(b) Section 25/धारा 25
(c) Section 26/धारा 26
(d) Section 27/धारा 27

24. Provision regarding 'rehabilitation' under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 is/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत पुनर्वास स्कीम का प्रावधान किया गया है–

(a) Section 27/धारा 27
(b) Section 17/धारा 17
(c) Section 37/धारा 37
(d) Section 26/धारा 26

25. Under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 upto what age, right to free education for person with disabilities shall be provided/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कितने वर्ष के आयु तक दिव्यांग जन को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा–

(a) 6 to 14 years/6 से 14 वर्ष की आयु तक
(b) 6 to 18 years/6 से 18 वर्ष की आयु तक
(c) 6 to 16 years/6 से 16 वर्ष की आयु तक
(d) 6 to 15 years/6 से 15 वर्ष की आयु तक

26. Up to what percentage the seats shall be reserved for person with disabilities in higher educational institutions, under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थाओं में दिव्यांगजन के स्थान को कितने प्रतिशत तक आरक्षित किया जायेगा–

(a) 5 percent/5 प्रतिशत
(b) 15 percent/15 प्रतिशत
(c) 10 percent/10 प्रतिशत
(d) 25 percent/25 प्रतिशत

27. An upper age relaxation for person with disabilities for admission in institutions of higher education, under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016/दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा में छूट दी जायेगी–

(a) 5 years/5 वर्ष (b) 3 years/3 वर्ष
(c) 2 years/2 वर्ष (d) 10 years/10 वर्ष

28. Provision of reservation for persons with disability in institutions of higher education–
दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध किया गया है–

(a) Section 30/धारा 30
(b) Section 31/धारा 31
(c) Section 32/धारा 32
(d) Section 33/धारा 33

29. Right to free education for persons with disability under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा–

(a) Section 31/धारा 31 (b) Section 23/धारा 23
(c) Section 20/धारा 20 (d) Section 33/धारा 33

30. Under Section 34, to what percentage of reservation in government establishment for person with disability under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 is provided दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 में दिव्यांगजन को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है

(a) four percent/चार प्रतिशत
(b) twenty percent/बीस प्रतिशत
(c) five percent/पांच प्रतिशत
(d) fourteen percent/चौदह प्रतिशत

31. Special employment exchange for person with disabilities has been provided under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विशेष रोजगार कार्यालय का उपबंध किया गया है।

(a) Section 35/धारा 35 (b) Section 46/धारा 46
(c) Section 36/धारा 36 (d) Section 32/धारा 32

32. Special provisions for persons with disabilities with high support has been provided–
अधिक सहारे वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

(a) Section 48/धारा 48 (b) Section 38/धारा 38
(c) Section 18/धारा 18 (d) Section 19/धारा 19

33. Under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the appropriate government, after consulting with whom, shall conduct and promote awareness campaigns/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत समुचित सरकार किससे परामर्श के पश्चात् जागरुकता अभियानों और सुग्राह्यता का संचालन व संवर्धन करेगी–

(a) State government/राज्य सरकार
(b) Central government/केन्द्र सरकार
(c) Chief Minister/मुख्यमंत्री
(d) Chief commissioner or State commissioner
मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त

34. Under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 within how many years the service provider shall provide services/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सेवा प्रदाता कितने वर्ष की कालावधि के भीतर सेवाएं प्रदान करेगा–

(a) Two years/दो वर्ष (b) Ten years/दस वर्ष
(c) One year/एक वर्ष (d) Three years/तीन वर्ष

35. Under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 Within how many days, the registration certificate shall be provided on the application made for the registration of institution for person who disabilities–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं के राजस्ट्रीकरण के लिए किए गए आवेदन पर कितने दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा–

(a) 90 days/90 दिन (b) 60 days/60 दिन
(c) 30 days/30 दिन (d) 15 days/15 दिन

36. Revocation of registration has been provided under section/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंरहण का उपबंध है।

(a) Section 32/धारा 32 (b) Section 52/धारा 52
(c) Section 42/धारा 42 (d) Section 40/धारा 40

37. Under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 persons aggrieved by refusing to grant certificate may appeal, has been provided under which section/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार करने पर व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा।

(a) Under Section 53/धारा 53 के अंतर्गत
(b) Under Section 54/धारा 54 के अंतर्गत
(c) Under Section 52/धारा 52 के अंतर्गत
(d) Under Section 51/धारा 51 के अंतर्गत

38. Procedure for certificaion has been provided under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 'प्रमाणन की प्रक्रिया' का उपबंध दिया गया है–

(a) Section 58/धारा 58
(b) Section 48/धारा 48
(c) Section 38/धारा 38
(d) Section 68/धारा 68

39. **Under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 who shall issue the certificate of disabilities–**
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजन का प्रमाणपत्र कौन जारी करेगा–
(a) Certifying authority/प्रमाणकर्ता प्राधिकारी
(b) Appropriate government/समुचित सरकार
(c) Appellae authority/अपील प्राधिकारी
(d) any other authority/कोई अन्य प्राधिकारी

40. **The provision of appeal against the decision of certifying authority has been provided–**
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील का उपबंध है–
(a) Section 49/धारा 49 (b) Section 59/धारा 59
(c) Section 69/धारा 69 (d) Section 39/धारा 39

41. **Provision of constitution of central advisory board on disability/दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन का प्रावधान है।**
(a) Section 30/धारा 30
(b) Section 60/धारा 60
(c) Section 50/धारा 50
(d) Section 70/धारा 70

42. **The member of central advisory board shall hold office for a period of/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य कितनी अवधि के लिए पद धारण करेंगे–**
(a) three years/तीन वर्ष
(b) two years/दो वर्ष
(c) six years/छः वर्ष
(d) one year/एक वर्ष

43. **A person shall not be a member of the central advisory board under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 who is/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कोई व्यक्ति केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो–**
(a) Insolvent/दिवालिया है
(b) Unsoundmind/विकृतचित्त है
(c) Convicted of an offence
किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है
(d) All the above/इनमें से सभी

44. **Provision of disqualification of a member of the central advisory board under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016–**
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य की निरर्हता का उपबंध है।
(a) Section 60/धारा 60 (b) Section 72/धारा 72
(c) Section 62/धारा 62 (d) Section 68/धारा 68

45. **Vacation of seats by the members of the central advisory board/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति का प्रावधान है–**
(a) Section 62/धारा 62 (b) Section 63/धारा 63
(c) Section 64/धारा 64 (d) Section 65/धारा 65

46. **Meeting of the Central Advisory Board on disabilities shall meet at least/दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकें कितनी बार की जायेंगी–**
(a) once in every six month/छह माह में एक बैठक
(b) twice in every six month/छह माह में दो बैठक
(c) once in every year/एक साल में एक बैठक
(d) twice in every two year/दो साल में एक बैठक

47. **Function of Central Advisory Board on disability has been provided/दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के कृत्य बताये गये है–**
(a) Section 65/धारा 65 (b) Section 75/धारा 75
(c) Section 85/धारा 85 (d) Section 70/धारा 70

48. **The provision for constitution of State Advisory board on disability has been provided/दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है–**
(a) Section 66/धारा 66
(b) Section 65/धारा 65
(c) Section 67धारा 67
(d) Section 62/धारा 62

49. **Under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 the member of state advisory board shall hold office for a period of/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य कितने वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे–**
(a) three years/तीन वर्ष (b) five years/पांच वर्ष
(c) two years/दो वर्ष (d) one year/एक वर्ष

50. No person shall be a member of state advisory board, who/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कोई व्यक्ति राज्य सरकार बोर्ड का सदस्य नही होगा जो–

(a) is prejudice to the interest of the general public/साधारण जनता के हितों के लिए हानिकर है
(b) Abused his position
जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो
(c) ilnsolvent or unsoundmind
दिवालिया या विकृतचित्त
(d) All the above/इनमें से सभी

51. Under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 the disqualification of state advisory board is provided/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की निरर्हता का प्रावधान है।

(a) 68 (b) 58
(c) 48 (d) 78

52. How many times meetings of state advisory board on disability held/दिव्यांगता पर राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड बैठकें कितनी बार होगी–

(a) once is six month/छह मास में एक बार
(b) twice is six month/छह मास में दो बार
(c) thrice is six month/छह मास में तीन बार
(d) six times is six month/छह मास में छः बार

53. There is a provision of district level committee on disability–
दिव्यांगता पर जिला स्तर समिति का प्रावधान है–

(a) Section 62/धारा 62
(b) Section 72/धारा 72
(c) Section 82/धारा 82
(d) Section 52/धारा 52

54. Who constituted the district level committee on disability?
दिव्यांगता पर जिला स्तर समिति का गठन कौन करेगा?

(a) State government/राज्य सरकार
(b) District Magistrate/जिलाधिकारी
(c) Central government/केन्द्र सरकार
(d) Appropriate government/समुचित सरकार

55. No act or proceeding on disability shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in constitution, has been provided/दिव्यांगता समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगा कि, बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति है।

(a) Section 73/धारा 73 (b) Section 72/धारा 72
(c) Section 62/धारा 62 (d) Section 63/धारा 63

56. The provision for appointment of chief commissioner and commissioner for person with disability has been provided–
दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

(a) Section 74/धारा 74 (b) Section 64/धारा 64
(c) Section 75/धारा 75 (d) Section 65/धारा 65

57. Who shall appoint chief commissioner?
दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा?

(a) Central government/केंद्रीय सरकार
(b) State government/राज्य सरकार
(c) Appropriate government/समुचित सरकार
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

58. Under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 salary and Allowances of a Chief Commissioner and Commissioner may be prescribed by–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के वेतन भत्ते निर्धारित किए जायेंगे

(a) State government/राज्य सरकार द्वारा
(b) Appropriate government/समुचित सरकार द्वारा
(c) Central government/केन्द्रीच सरकार द्वारा
(d) All of these/इनमें से सभी के द्वारा

59. Functions of chief commissioner under the Rights of Persons with Disability Act, 2016 has been provided/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त के कृत्यों का प्रावधान है–

(a) Section 65/धारा 65
(b) Section 75/धारा 75
(c) Section 55/धारा 55
(d) Section 85/धारा 85

60. Powers of chief commissioner under the Rights of Persons with Disability Act, 2016 has been provided/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त की शक्तियाँ को प्रावधान है।

(a) Section 76/धारा 76 (b) Section 77/धारा 77
(c) Section 66/धारा 66 (d) Section 68/धारा 68

61. Annual and special report by chief commissioner, under the Rights of Persons with Disability Act, 2016 has been submitted to/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी–

(a) State Government/राज्य सरकार
(b) Appropriate Government/समुचित सरकार
(c) Central Government/केन्द्रीय सरकार
(d) Chief Minister/मुख्यमंत्री

62. The State Government may appoint a state commissioner for person with disabilities–
दिव्यांगजनों के लिए एक राज्य आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी

(a) Section 79/धारा 79
(b) Section 78/धारा 78
(c) Section 70/धारा 70
(d) Section 77/धारा 77

63. Functions and powers of State Commissioner, under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 has been provided–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य आयुक्त के कृत्य और शक्तियों का प्रावधान है।

(a) Section 80 and 82/धारा 80 व 82
(b) Section 70 and 72/धारा 70 व 72
(c) Section 90 and 92/धारा 90 व 92
(d) Section 50 and 52/धारा 50 व 52

64. Special and annual report by State Commissioner, under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 has been submitted to/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य आयुक्त द्वारा विशेष व वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जायेगी–

(a) Central Government/केन्द्र सरकार
(b) Appropriate Government/समुचित सरकार
(c) Appropriate authority/समुचित प्राधिकारी
(d) State Government/राज्य सरकार

65. Special court shall be constituted, under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 by–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन कौन करेगा?

(a) Central government/केन्द्र सरकार
(b) State government with concurrence of the Chief Minister/राज्य सरकार मुख्यमंत्री की सहमति से
(c) State government with concurrence of the Chief Justice of High Court/राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से
(d) State government with concurrence with Governor/राज्य सरकार राज्यपाल की सहमति से

66. Provision of Special Court, under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 has been provided under–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान है।

(a) Section 74/धारा 74 (b) Section 84/धारा 84
(c) Section 64/धारा 64 (d) Section 85/धारा 85

67. Special public prosecutor, may be appointed, under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 by–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगा?

(a) Chief Justice of High Court
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति
(b) Chief Justice of India/भारत का मुख्य न्यायमूर्ति
(c) Advocate General/महाधिवक्ता
(d) State Government/राज्य सरकार

68. Provision of special public prosecutor, under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 has been provided under–
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान है–

(a) Section 85/धारा 85 (b) Section 84/धारा 84
(c) Section 86/धारा 86 (d) Section 86/धारा 86

69. Under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 an advocate shall be appointed as a special public prosecution, who has been in practice as an advocate/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत ऐसे अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जायेगा जो .... वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो–

(a) 5 years/5 वर्षों से
(b) 7 years/7 वर्षों से
(c) 3 years/3 वर्षों से
(d) 2 years/2 वर्षों से

70. Provision for the formation of national fund for persons with disabilities has been provided– दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के गठन का प्रावधान किया गया है–

(a) Section 85/धारा 85
(b) Section 87/धारा 87
(c) Section 82/धारा 82
(d) Section 86/धारा 86

71. The formation of the state fund has been provided/दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि का गठन किया गया है।

(a) Section 88/धारा 88 (b) Section 87/धारा 87
(c) Section 85/धारा 85 (d) Section 84/धारा 84

72. Under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 companies means/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कम्पनी से अभिप्रेत है

(a) any body corporate/कोई निगमित निकाय
(b) any association/कोई संगम
(c) any firm or an individual/कोई फर्म या व्यष्टि
(d) All the above/उपर्युक्त में से सभी

73. The provision regarding an offence committed by companies has been provided under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा किए गए अपराध के बारे में प्रावधान है–

(a) Section 80/धारा 80 (b) Section 70/धारा 70
(c) Section 90/धारा 90 (d) Section 50/धारा 50

74. Any person who fradulently avails of any benefit meant for persons with disabilities shall be punished with/कोई व्यक्ति जो दिव्यांगजनों के लिए आशयित किसी फायदे को कपटपूर्वक लेता है वह दण्डित किया जायेगा

(a) with imprisonment of two years
दो वर्ष के कारावास से
(b) only with fine, which may extend to ten thousand/केवल जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा
(c) rigorous imprisonment/कठोर कारावास से
(d) with imprisonment of two years or with fine which may extend to one lakh rupees or both
दो वर्ष के कारावास या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से

75. Punishment for atrocities committed on persons with disabilities, has been provided under–
दिव्यांगजन पर किए गए अत्याचारों के लिए दण्ड का प्रावधान है–

(a) Section 93/धारा 93
(b) Section 92/धारा 92
(c) Section 95/धारा 95
(d) Section 96/धारा 96

76. Any person who commits atrocities on persons with disabilities, he shall be punished–
कोई व्यक्ति जो दिव्यांगजनों के साथ अत्याचार करेगा वह दण्डित किया जाएगा–

(a) with imprisonment of 2 months
2 मास के कारावास से
(b) with imprisonment of 2 years
2 वर्ष के कारावास से
(c) more than six months but which may extend to five years and fine/छह मास से अधिक जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना
(d) Simple imprisonment/साधारण कारावास

77. Whoever fails to produce any book, account or other document or information, under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 shall be punishable with/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जो कोई पुस्तिका, लेखा या अन्य दस्तावेज जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है वह दण्डित किया जायेगा–

(a) with imprisonment of one years
एक वर्ष के कारावास से
(b) with imprisonment of six months
छह माह के कारावास से
(c) with imprisonment of two years
दो वर्ष के कारावास से
(d) fine which may extent to twenty five thousand/जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा

78. **Punishment for failure to furnish information, under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 has been provided/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।**

(a) Section 92/धारा 92

(b) Section 94/धारा 94

(c) Section 93/धारा 93

(d) Section 90/धारा 90

79. **Alternative punisment has been provided, under the rights of persons with Disabilities Act, 2016**
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अनुकल्पी दंड का प्रावधान किया गया है।

(a) Section 92/धारा 92

(b) Section 93/धारा 93

(c) Section 95/धारा 95

(d) Section 90/धारा 90

80. **Provision for protection of action taken in good faith has been provided under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016**
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है-

(a) Section 96/धारा 96 (b) Section 97/धारा 97

(c) Section 98/धारा 98 (d) Section 99/धारा 99

81. **Who has power to amend schedule under the rights of persons with Disabilities Act, 2016–**
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसको है।

(a) State government/राज्य सरकार

(b) Appropriate government/समुचित सरकार

(c) Central government/केन्द्रीय सरकार

(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

82. **Power to amend schedule has been provided, under the rights of persons with Disabilities Act, 2016 –**
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है।

(a) Section 92/धारा 92

(b) Section 99/धारा 99

(c) Section 98/धारा 98

(d) Section 100/धारा 100

83. **Power of Central Government to make rules under the rights of persons with Disabilities Act, 2016 has been provided/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है–**

(a) Section 95/धारा 95

(b) Section 100/धारा 100

(c) Section 98/धारा 98

(d) Section 96/धारा 96

84. **Power of State Government to make rules under the rights of persons with Disabilities Act, 2016 has been provided/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है।**

(a) Section 100/धारा 100

(b) Section 101/धारा 101

(c) Section 102/धारा 102

(d) Section 99/धारा 99

85. **The person with disbilities shall have the right to live in community –**
दिव्यांगजन को समुदाय में जीने का अधिकार होगा–

(a) Section 5/धारा 5

(b) Section 55/धारा 55

(c) Section 4/धारा 4

(d) Section 45/धारा 45

1. (c)	**10. (b)**	**19. (c)**	**28. (c)**	**37. (a)**	**46. (a)**	**55. (a)**	**64. (d)**	**73. (c)**	**82. (b)**
2. (d)	**11. (b)**	**20. (a)**	**29. (a)**	**38. (a)**	**47. (a)**	**56. (a)**	**65. (c)**	**74. (d)**	**83. (b)**
3. (a)	**12. (d)**	**21. (a)**	**30. (a)**	**39. (a)**	**48. (a)**	**57. (a)**	**66. (b)**	**75. (b)**	**84. (b)**
4. (c)	**13. (b)**	**22. (c)**	**31. (c)**	**40. (b)**	**49. (a)**	**58. (c)**	**67. (d)**	**76. (c)**	**85. (a)**
5. (a)	**14. (b)**	**23. (c)**	**32. (b)**	**41. (b)**	**50. (d)**	**59. (b)**	**68. (a)**	**77. (d)**	
6. (c)	**15. (c)**	**24. (a)**	**33. (d)**	**42. (a)**	**51. (a)**	**60. (b)**	**69. (b)**	**78. (c)**	
7. (a)	**16. (b)**	**25. (b)**	**34. (a)**	**43. (d)**	**52. (a)**	**61. (c)**	**70. (d)**	**79. (c)**	
8. (c)	**17. (c)**	**26. (a)**	**35. (a)**	**44. (c)**	**53. (b)**	**62. (a)**	**71. (a)**	**80. (b)**	
9. (a)	**18. (d)**	**27. (a)**	**36. (b)**	**45. (b)**	**54. (a)**	**63. (a)**	**72. (d)**	**81. (c)**	

The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

1. The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 extends to– माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का विस्तार हैः

(a) Whole of India/सम्पूर्ण भारत पर
(b) Whole of India except Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर
(c) to that state who by notificastion applies this act within state/उन राज्यों पर जिन्होंने अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को अपने राज्य में लागू किया
(d) whole of India except Union Territories केन्द्र शासित राज्यों के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर

2. To whom The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 applies- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 किन पर लागू होता है?

(a) to citizen of India reside in India भारत में निवास करने वाले भारत के नागरिकों पर
(b) to citizen of India reside outside India भारत के बाहर निवास करने वाले भारत के नागरिकों पर
(c) Both (a) and (b) above/उपरोक्त (a) एवं (b) दोनों
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

3. How many sections are in The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007–/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में कितनी धाराएं है?

(a) 32 (b) 33
(c) 30 (d) 31

4. When did presidents assent to this act received?/इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई?

(a) 29 December, 2007/दिनांक 29 दिसम्बर, 2007
(b) 29 August, 2008/दिनांक 29 अगस्त, 2008
(c) 29 September, 2008/दिनांक 29 सितम्बर, 2008
(d) 29 November, 2008/दिनांक 29 नवम्बर, 2008

5. In which year of the Republic of India this act has been enacted by Parliament/यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के किस वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित हुआ?

(a) 56th year/56वें वर्ष (b) 57th year/57वें वर्ष
(c) 58th year/58वें वर्ष (d) 60th year/60वें वर्ष

6. According to The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 children includes, who is not minor– माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अनुसार बालक में सम्मिलित है, जो अवयस्क नहीं हैः

(a) Son/पुत्र
(b) Daughter/पुत्री
(c) Grandson and granddaughter/पौत्र और पौत्री
(d) All the above/उपरोक्त सभी

7. According to Section 2(a) of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 which of the following does not include in children/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बालक में सम्मिलित नहीं है?

(a) Minor son/अवयस्क पुत्र
(b) Married son/विवाहित पुत्र
(c) Unmarried son/अविवाहित पुत्र
(d) Major son/वयस्क पुत्र

8. Which of the following does not included in children under The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007? इनमें से कौन माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत संतान में शामिल नहीं है?

(a) Grandson and granddaughter/पौत्र एवं पौत्री
(b) Son/बेटा
(c) Daughter/बेटी
(d) Minor son and daughter/अवयस्क पुत्र और पुत्री

9. **Under The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, maintenance does not includes/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत ''भरण-पोषण'' में क्या सम्मिलित नहीं है?**

(a) Food/भोजन (b) Residence/निवास

(c) Cloth/वस्त्र (d) Shoes/जूते

10. **Who is considered a minor under The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में अवयस्क किसे माना गया है:**

(a) Who has not attained the age of majority under the Indian Majority Act, 1875 (9 of 1875)/जो भारतीय वयस्क अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं किया गया समझा जाता है

(b) who has not attained the age of 17 years जिसने 17 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है

(c) who has not attained the age of 18 years जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है

(d) who has not attained the age of 21 years जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है

11. **In The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 in a parent .... step father or step mother–/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में माता-पिता में........सौतेला पिता या सौतेली माता:**

(a) not included/शामिल नहीं है

(b) included/शामिल है

(c) step mother included but step father not included/सौतेली माता शामिल है, किन्तु सौतेला पिता शामिल नहीं है

(d) both step mother and step father included सौतेली माता और पिता दोनों शामिल है

12. **Which of the following under The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 included in parent–**
निम्नलिखित में से कौन माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अधीन माता-पिता में सम्मिलित है:

(a) Only biological parent/केवल जैविक माता-पिता

(b) Adoptive or step father or mother दत्तक या सौतेला पिता या माता

(c) Such parent who is senior citizen ऐसे माता-पिता जो वरिष्ठ नागरिक है

(d) All of the above/उपरोक्त सभी

13. **Under The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 property includes/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अधीन 'सम्पत्ति' में सम्मिलित है**

(a) movable or immovable ancestral property जंगम या स्थावर पैतृक सम्पत्ति

(b) movable or immovable self acquired property/जंगम या स्थावर स्वयं अर्जित सम्पत्ति

(c) tangible or intangible property मूर्त या अमूर्त सम्पत्ति

(d) All the above/उपरोक्त सभी

14. **Who is called relative in The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007?/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में किसे 'सम्बन्धी' कहा गया है?**

(a) Son and daughter/पुत्र एवं पुत्री

(b) Grandson/पौत्र

(c) Granddaughter/पौत्री

(d) Any major legal heir of the childless senior citizen is in possession of his property and inherit his property after his death/निःसंतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई वयस्क विधिक वारिस जिसके कब्जे में उसकी सम्पत्ति है उसकी मृत्यु के पश्चात् विरासत में प्राप्त करेगा

15. **In The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 a person of what age has been called a senior citizen?**
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में ''वरिष्ठ नागरिक'' किस आयु के व्यक्ति को कहा गया है?

(a) 51 year or more/51 वर्ष या अधिक

(b) 60 year or more/60 वर्ष या अधिक

(c) 62 year or more/62 वर्ष या अधिक

(d) 65 year or more/65 वर्ष या अधिक

16. **In The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 in relation to a union territories 'State Government' means–**
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है

(a) the Governor/राज्यपाल

(b) the senior most judge वहां का वरिष्ठतम न्यायाधीश

(c) Administrator appointed under article 239 of the Constitution/संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक

(d) Deputy Chief Minister/उपमुख्यमंत्री

17. Which of the following application for maintenance cannot be granted?
निम्नलिखित में से कौन-सा भरण-पोषण का आवेदन मंजूर नहीं किया जा सकताः

(a) Application of a parent who is unable to maintain himself out of the property owned by him/ऐसे माता-पिता का आवेदन जो उनके स्वामित्वाधीन सम्पत्ति में से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है
(b) Application of such grand parent who by self-earning unable to maintain itself/ऐसे दादा-दादी का आवेदन जो स्वयं के अर्जन से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है
(c) Application of such senior citizen against his relative whose son is working abroad/ऐसे वरिष्ठ नागरिक का अपने नातेदार के विरुद्ध आवेदन जिनका पुत्र विदेश में कार्यरत है
(d) All the above application are eligible to be approved/उपरोक्त सभी आवेदन मंजूर किये जाने योग्य है

18. Any application for maintenance under Section 4 of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007?
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अधीन भरण-पोषण के लिए कोई आवेदनः

(a) May be done by a senior citizen or a parent, as the case may be/यथास्थिति, किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता-पिता द्वारा किया जा सकेगा
(b) If the senior citizen or parent is incapable, than it can be done by any other person or any organization authorised by him. Maintenance means ordinary living expenses
यदि वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता अशक्त है तो उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा किया जा सकेगा भरण-पोषण से तात्पर्य साधारण जीवन व्यतीत कर से
(c) Tribunal may take suo motu cognizance
अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा
(d) All the above/उपरोक्त सभी

19. An application filed under Section 5(2) for monthly allowance for maintenance and cost of proceeding shall, as for as possible be disposed of from the date of service of notice of the application to such person from the order to give interim maintenance monthly–
भरण-पोषण के लिए और कार्यवाही के खर्चे के लिए मासिक भत्ते हेतु धारा 5(2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन का, यथासंभव ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से निस्तारण किया जाएगा। अंतरिम भरण मासिक देने का आदेश सेः

(a) within thirty days/तीस दिनों के भीतर
(b) within forty five days/पैंतालीस दिनों के भीतर
(c) within sixty days/साठ दिनों के भीतर
(d) within ninety days/नब्बे दिनों के भीतर

20. In exceptional circumstances the tribunal may extend the period of disposal of an application filed under Section 5(2) for monthly allowance and expenses of the proceeding once not more than/असधारण परिस्थितियों में अधिकरण, भरण-पोषण के लिए और कार्यवाही के खर्चे के लिए मासिक भत्ते हेतु धारा 5(2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन के निपटान की अवधि को एक बार अधिकतम बढ़ा सकेगा

(a) upto 30 days/30 दिन तक
(b) upto 45days/45 दिन तक
(c) upto 70 days/70 दिन तक
(d) upto 90 days/90 दिन तक

21. The proceedings under Section 5 of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 may be taken against any children or relative in that district
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 के अधीन बालकों या नातेदारों के विरुद्ध उस जिले में कार्यवाही शुरू की जा सकेगीः

(a) where he reside or last resided/जहां वह निवास करता है या अंतिम बार निवास किया है।
(b) where children or relative resides
जहां बालक या नातेदार निवास करता है।
(c) where children or relative resides
जहां संतान या संबंधी निवास करता है।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

22. The tribunal shall have the power .... as provided under Cr.P.C. 1973 to secure the attendance of the children or relative–
बालकों या नातेदारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को द.प्र.सं., 1973 के अधीन यथाउपबंधित .... की शक्तियाँ होगी।

(a) District Magistrate/जिला मजिस्ट्रेट
(b) First class judicial Magistrate
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
(c) Additional district Magistrate
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(d) District judge/जिला जज

23. **Evidence in the case of maintenance to be recorded in which manner in the presence of children or relative–**
भरण-पोषण के मामले में साक्ष्य संतान या सम्बन्धी की उपस्थिति में किस रीति में अभिलिखित किए जाएंगेः
(a) In the manner prescribed for warrant cases
वारण्ट मामलों के लिए विहित रीति में
(b) In the manner prescribed for summon cases
समन मामलों के लिए विहित रीति में
(c) Above (a) or (b)/उपरोक्त (a) अथवा (b)
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

24. **Before hearing the application under Section 5 of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, the tribunal may refer it to the conciliation officer within how many months such conciliation officer will submit his findings?/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने से पूर्व अधिकरण उसे सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा। ऐसा सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करेगा कितने मास के भीतर करेगा?**
(a) One month/एक मास (b) Two month/दो मास
(c) Three month/तीन मास (d) Six month/छह मास

25. **In which section of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 maintenance tribunal constitued?**
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 किस धारा के अधीन भरण-पोषण अधिकरण का गठन किया जाता है?
(a) Section 9/धारा 9 (b) Section 8/धारा 8
(c) Section 7/धारा 7 (d) Section 10/धारा 10

26. **Who shall constitute the maintenance tribunal?/भरण-पोषण अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा?**
(a) Central government/केन्द्रीय सरकार
(b) State government/राज्य सरकार
(c) Corporation/निगम
(d) Legislative council/विधान परिषद

27. **For whom the maintenance tribunal will be constituted?/भरण-पोषण अधिकरण का गठन किसके लिए किया जाएगा?**
(a) for each city/प्रत्येक शहरों के लिए
(b) for each sub division/प्रत्येक उपखण्ड के लिए
(c) for each tehsil/प्रत्येक तहसील के लिए
(d) for each division/प्रत्येक उपखण्ड हेतु

28. **Who will be the chairman of the maintenance tribunal?**
भरण-पोषण अधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा?
(a) Serving or retired judge of the high court
उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश
(b) An officer not below the rank of District Magistrate/जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का अधिकारी
(c) An officer not below the rank of First Class Magistrate/प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का अधिकारी
(d) An officer not below the rank of Sub-divisional Officer/उपखण्ड अधिकारी से अन्यून की पंक्ति का अधिकारी

29. **The maintenance tribunal constituted under The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 will be headed by–**
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत गठित भरण-पोषण अधिकरण की अध्यक्षता जिसके द्वारा की जावेगी–
(a) Officer below than rank of Sub-divisional officer/उपखण्ड अधिकारी से निम्न पंक्ति के अधिकारी
(b) Officer not below rank of Sub-divisional officer/उपखण्ड अधिकारी से अन्यून पंक्ति के अधिकारी
(c) Judicial Magistrate First Class
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा
(d) Chief Judicial Magistrate
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा

30. **According to Section 7 of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 the presiding officer of the tribunal will be/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 7 के अनुसार अधिकरण का पीठासीन अधिकारी होगा**
(a) officer not below the rank of Sub-divisional officer of state/राज्य के उपखण्ड अधिकारी से अन्यून पंक्ति का अधिकारी
(b) District judge/जिले का जिलाधीश
(c) Judicial Magistrate first class
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
(d) Only Chief Judicial Magistrate
केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

31. **Under Section 9(2) of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 how many rupees per month maximum maintenance allowance prescribed?**

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 9(2) में अधिकतम भरण-पोषण भत्ता कितने रुपये प्रतिमास बताया गया है?

(a) Five thousand/पांच हजार
(b) Fifteen thousand/पंद्रह हजार
(c) Twelve thousand/बारह हजार
(d) Ten thousand/दस हजार

32. **Under The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 how much maximum maintenance allowance will be determined by the tribunal?/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत अधिकरण द्वारा अधिकतम कितना भरण-पोषण भत्ता निर्धारित किया जायेगा?**

(a) Ten thousand rupees/दस हजार रुपये से
(b) Twelve thousand rupees/बारह हजार रुपये से
(c) Fifteen thousand rupees/पंद्रह हजार रुपये से
(d) Five thousand rupees/पांच हजार रुपये से

33. **According to the provision of Section 9(2) of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 what is the maximum amount that can be given as maintenance allowance?/धारा 9(2) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान के अनुसार, अधिकतम कितनी राशि भरण-पोषण भत्ते के रूप में दिलाई जा सकती है?**

(a) Five thousand rupees per month
पांच हजार रुपये प्रतिमाह
(b) Ten thousand rupees per month
दस हजार रुपये प्रतिमाह
(c) Twenty thousand rupees per month
बीस हजार रुपये प्रतिमाह
(d) No maximum limit fixed
कोई अधिकतम समा निर्धारित नहीं की

34. **Under which section of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 the alteration is maintenance allowance is made by the tribunal?/अधिकरण द्वारा भरण-पोषण भत्ते में परिवर्तन माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की कौन-सी धारा के अधीन किया जाता है?**

(a) Section 9/धारा 9 (b) Section 10/धारा 10
(c) Section 11/धारा 11 (d) Section 12/धारा 12

35. **Maintenance amount will be deposited within how many days from the date of announcement of the order by the tribunal?**
भरण-पोषण के विकल्प भरण-पोषण की रकम अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तारीख से कितने दिनों के भीतर जमा की जाएगी?

(a) 25 days/25 दिन (b) 60 days/60 दिन
(c) 30 days/30 दिन (d) 45 days/45 दिन

36. **Under The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 it is necessary to pay ordered amount within how many times/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अधीन कोई आदेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर आदेशित रकम का संदाय करना आवश्यक है?**

(a) 60 days/60 दिन
(b) 90 days/90 दिन
(c) 30 days/30 दिन
(d) 45 days/45 दिन

37. **Under Section 14 of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 at what rate simple interest is to be paid if the claim is allowed?**
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 14 में दावा अनुज्ञात किया जाने पर किस दर से साधारण ब्याज के अधिनिर्णीत किए जाने का प्रावधान है?

(a) upto 5% to 18%/5% से 18% तक
(b) upto 6% to 20%/6% से 20% तक
(c) upto 8% to 16%/8% से 16% तक
(d) upto 4% to 18%/4% से 18% तक

38. **To whom appeal shall lie against the order of the maintenance officer?/भरण-पोषण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष की जाएगी?**

(a) District court/जिला न्यायालय
(b) Session court/सत्र न्यायालय
(c) High court/उच्च न्यायालय
(d) Appellate tribunal/अपील अधिकरण

39. **Who established the maintenance officer?**
भरण-पोषण अधिकारी की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी?

(a) High court/उच्च न्यायालय
(b) Supreme court/उच्चतम न्यायालय
(c) State Government/राज्य सरकार
(d) Appellate tribunal/अपील अधिकरण

40. The appellate tribunal shall be constituted–
अपील अधिकरण का गठन किया जाएगाः

(a) for each sub division/प्रत्येक उपखण्ड के लिए
(b) for each district/प्रत्येक जिले के लिए
(c) for each tehsil/प्रत्येक तहसील के लिए
(d) for each state/प्रत्येक राज्य के लिए

41. The chairperson of the appellate tribunal shall be such officer as–
अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा अधिकारी होगा जोः

(a) is or has been a judge of a High Court
उच्च न्यायालय या न्यायाधीश हो या रह चुका हो
(b) is not below the rank of District Magistrate
जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो
(c) is not below the rank of sub-divisional officer/जो उपखण्ड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो
(d) is qualified to be a Judge of High Court
जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होन की अर्हता रखता हो

42. Any senior citizen or a parent aggrieved by an order of a tribunal may prefer an appeal to the appellate tribunal within how many time?
भरण-पोषण अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता-पिता आदेश की तारीख से कितने दिनों के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा?

(a) 30 days/30 दिन (b) 45 days/45 दिन
(c) 60 days/60 दिन (d) 90 days/90 दिन

43. According to The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 an appeal may be preferred to the appellate tribunal from the date of passing of the order by the tribunal?/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अनुसार अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, अधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने के दिनांक सेः

(a) within 60 days/60 दिन के अंदर
(b) within 30 days/30 दिन के अंदर
(c) within 45 days/45 दिन के अंदर
(d) within 90 days/90 दिन के अंदर

44. Within what period of receipt of the appeal the appellate tribunal shall endeavour to hear the appeal in writing?
आदेश अपील की प्राप्ति की कितनी अवधि के भीतर अपील अधिकरण लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा?

(a) 90 days/90 दिन (b) 45 days/45 दिन
(c) 60 days/60 दिन (d) 30 days/30 दिन

45. Which of the following statement is true?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(a) every order made under Section 16(5) one copy will be send to both the parties on a nominal charge and given free of cost
धारा 16(5) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति नाममात्र शुल्क पर दोनों पक्षकारों को भेजी जाएगी विशुल्क दी जाती है
(b) Proceeding before the tribunal or appellate tribunal representation of a party by a legal practitioner will not be done/अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा
(c) The appellate tribunal may call for the record of the proceeding from the tribunal against whose order appeal is preferred
अपील अधिकरण उस अधिकरण से जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, कार्यवाहियों का अभिलेख मांग सकेगा
(d) Appellate tribunal shall adjudicate and decide the appeal filed against the order of the tribunal and the order of the appellate tribunal shall be final/अपील अधिकरण, अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील का न्यायनिर्णयन और विनिश्चय करेगा तथा अपील अधिकरण का आदेश अंतिम होगा

46. Under The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, the proceeding before a tribunal can be represented by a legal practitioner?
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रकरण में अधिकरण के समक्ष विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता हैः

(a) Yes/हां
(b) No/नहीं
(c) with the consent of tribunal
अधिकरण की अनुमति से
(d) with the consent of district judge
जिला न्यायाधीश की अनुमति से

47. To whom the State Government shall designate as maintenance officer?/राज्य सरकार, भरण-पोषण अधिकारी के रूप में किसे पदाभिहित करेगी?

(a) District social welfare officer
जिला समाज कल्याण अधिकारी को

(b) An officer not below the rank of a distrtict social welfare affair/जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति में अनिम्न किसी अधिकारी को

(c) Above (a) or (b)/उपरोक्त (a) अथवा (b)

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

48. Who may establish the oldage home under Section 19 of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007–
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 19 के अधीन वृद्धाश्रमों की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी?

(a) by Central Government/केन्द्रीय सरकार द्वारा

(b) by State Government/राज्य सरकार द्वारा

(c) by NGO/एन.जी.ओ. द्वारा

(d) By all the above/उपरोक्त सभी द्वारा

49. Which of the following section of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 provides the medical support for senior citizen–
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 है, जो राज्य सरकार अवधारित करे की कौन-सी धारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता के बारे में उपबंध करती है?

(a) Section 19/धारा 19 (b) Section 20/धारा 20

(c) Section 21/धारा 21 (d) Section 22/धारा 22

50. According to Section 21 of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 what measure will the State Government ensure?/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की संपत्ति गहरा कार्य या धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार क्या सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी?

(a) the provision of this act are given wide publicity through public media including the television, radio and the print of regular intervals/इस अधिनियम के उपबंधों का टेलीविजन, रेडियो और अखबारों सहित सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है।

(b) the Central Government and State Governemnt officer including the poilce officer and the member of the judicial service, are given periodic sensitization and awareness training on the issue relating to this act/केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिनके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं, इस अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर समय-समय पर सुग्राही और जागरुक होने का प्रशिक्षण दिया जाता है

(c) Effective co-ordination between the services provided by the concerned ministeries or departments dealing with law, home affairs, health and welfare to address the issue relating to the welfare of the senior citizens and periodical review of the same is conducted/वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने क लिए विधि, गृह, स्वास्थ्य और कल्याण से संबद्ध मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाता है

(d) All the above/उपरोक्त सभी

51. The Transfer of Property under Section 23 of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 shall be declared by the tribunal at the option of the transferor–
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 के अधीन सम्पत्ति का अंतरण अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा घोषित किया जाएगाः

(a) Void/शून्य (b) Illegal/अवैध

(c) Voidable/शून्यकरणीय (d) Valid/विधिमान्य

52. Whoever having the care or protection of a senior citizen, leaves such citizen in any place with the intention of completely abandoning such senior citizen, shall be punished?
जो कोई जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख य सुरक्षा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को, किसी स्थान में, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा, वह दण्डनीय होगाः

(a) with imprisonment for a term of 2 year or fine upto 2000 rupees/दो मास तक के कारावास से या दो हजार रुपये तक के जुर्माने से

(b) with imprisonment for a term of 3 year or fine upto 5000 rupees/तीन मास तक के कारावास से या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से

(c) with imprisonment for a term of 6 months or fine upto 10000 rupees/छह मास तक के कारावास से या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से

(d) with imprisonment for a term of 1 year or fine upto 20000 rupees/एक वर्ष तक के कारावास से या बीस हजार रुपये तक के जुर्माने से

53. Every offence under Section 25 of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 25 के अधीन प्रत्येक अपराधः

(a) Cognizable and non-bailable
संज्ञेय और अजमानतीय होगा
(b) Non-cognizable and non-bailable
असंज्ञेय और अजमानतीय होगा
(c) Non-cognizable and bailable
असंज्ञेय और जमानतीय होगा
(d) Cognizable and bailable
संज्ञेय और जमानतीय होगा

54. Any offence under Section 25 of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 by a magistrate–
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 25 के अधीन किसी अपराध का किसी मजिस्ट्रेट द्वाराः

(a) Session trial to be held/सत्र विचारण किया जाएगा
(b) Summary trial to be held
संक्षिप्त विचारण किया जाएगा
(c) Both (a) and (b)/उपरोक्त (a) अथवा (b)
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

55. Which of the following statement are true?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य हैः

(a) Every officer or staff appointed to exercise function under this act shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारिवृन्द को, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा
(b) Jurisdiction of Civil Corut are barred by Section 27 of the act/अधिनियम की धारा 27 द्वारा सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया गया है
(c) Action taken in good faith and protected by Section 28 of the act/अधिनियम की धारा 28 द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई को संरक्षण प्रदान किया गया है
(d) All the above/उपरोक्त सभी

56. Who can give direction to the State Government to the carrying out the provision of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007?/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के उपबंधों का निष्पादन करने के बारे में किसी राज्य सरकार को निदेश कौन दे सकता है?

(a) Central Government/केन्द्रीय सरकार
(b) Supreme Court/उच्चतम न्यायालय
(c) High Court/उच्च न्यायालय
(d) All the above/उपरोक्त सभी

57. Who can order to remove the difficulties in giving effect to the provision of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007/माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को प्रभावी करने में आई कठिनाईयों को दूर करने के लिए आदेश कौन दे सकेगा?

(a) Central Government/केन्द्रीय सरकार
(b) Supreme Court/उच्चतम न्यायालय
(c) State Government/राज्य सरकार
(d) High Court/उच्च न्यायालय

58. Who will to review and monitor the progress of implementation of the provision of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 by State Government?/राज्य सरकारों द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति के लिए पुनर्विलोकन तथा अनुवीक्षण कौन कर सकेगा?

(a) Central Government/केन्द्रीय सरकार
(b) Supreme Court/उच्चतम न्यायालय
(c) High Court/उच्च न्यायालय
(d) All the above/उपरोक्त सभी

59. Who can make rulese for carrying out the provision of The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007–
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम कौन बना सकेगा?

(a) Central Government/केन्द्रीय सरकार
(b) State Government/राज्य सरकार
(c) High Court/उच्च न्यायालय
(d) Both (a) and (b) above/उपरोक्त (a) एवं (b) दोनों

उत्तरमाला (Answer Key)

1. (a)	7. (a)	13. (d)	19. (d)	25. (c)	31. (d)	37. (a)	43. (a)	49. (b)	55. (d)
2. (c)	8. (d)	14. (d)	20. (a)	26. (b)	32. (a)	38. (d)	44. (d)	50. (d)	56. (a)
3. (a)	9. (d)	15. (b)	21. (d)	27. (b)	33. (b)	39. (c)	45. (c)	51. (a)	57. (c)
4. (a)	10. (a)	16. (c)	22. (b)	28. (d)	34. (b)	40. (b)	46. (a)	52. (b)	58. (a)
5. (c)	11. (b)	17. (c)	23. (b)	29. (b)	35. (c)	41. (b)	47. (c)	53. (d)	59. (b)
6. (d)	12. (d)	18. (d)	24. (a)	30. (a)	36. (c)	42. (c)	48. (b)	54. (b)	

The Dowry Prohibition Act, 1961
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

1. The Dowry Prohibition Act, 1961 was enacted for what objective?/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का किस उद्देश्य के लिये अधिनियम किया गया है

(a) To prohibit giving dowry
दहेज का देना प्रतिषिद्ध करने के लिए
(b) To prohibit taking dowry
दहेज का लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए
(c) To prohibit giving and taking of dowry
दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए
(d) To protect women from cruelty
स्त्री को क्रूरता से संरक्षण के लिये

2. When did the Dowry Prohibition Act, 1961 came into force?/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 कब प्रवर्तन में आया है-

(a) 1 May, 1961/01 मई, 1961
(b) 1 June, 1961/01 जून, 1961
(c) 1 July, 1961/01 जुलाई, 1961
(d) 1 August, 1961/01 अगस्त, 1961

3. In Section 2 of Dowry Prohibition Act, 1961 has been defined?/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है-

(a) Dowry/दहेज को
(b) Atrocity/अत्याचार को
(c) Cruelty/क्रूरता को
(d) All of them/उपरोक्त सभी को

4. Under the ambit of Dowry Prohibition Act, 1961 which of the following has been included in the term - 'Dowry'?/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दहेज शब्द में सम्मिलित है-

(a) Meher given by a Muslim husband to his wife/मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया मेहर
(b) Promise of marriage of grooms brother with bride's sister/वर के भाई के साथ वधू की वहन के विवाह का वादा
(c) Gift presented by grandfather and grandmother on the birth of her grandson/नाना नानी द्वारा अपने नाती के जन्म पर दिया गया उपहार
(d) Money given by the groom for the sake of marriage of groom with a Dalit's daughter/एक दलित द्वारा अपनी पुत्री को वर के साथ विवाह करने हेतु वर द्वारा दिया गया धन

5. Under the Dowry Prohibition Act, 1961 the term dowry means any type of property or valuable security that/दहेज प्रतिषध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दहेज से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत है, जो-

(a) has been given at the time of marriage only
केवल विवाह के समय दी गई हो
(b) has been given any time after the marriage only/केवल विवाह के पश्चात् किसी समय दी गई हो
(c) has been given any time prior/to the marriage only/केवल विवाह के पूर्व किसी समय दी गई हो
(d) has been given at the time of marriage, or before or after the solemenisation of marriage or which has been contracted upon for performing the marriage/विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् किसी समय विवाह के संबंध में दी गई हो या दी जाने के लिए करार की गई हो

6. Which of the following is not crime under the Dowry Prohibition Act, 1961/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कौन-सा एक अपराध नहीं है-

(a) To take dowry/दहेज लेना
(b) To given dowry/दहेज देना
(c) Demand for dowry/दहेज की मांग करना
(d) To fix a meher/मेहर तय करना

7. Identify the false statement out of the following–In the Dowry Prohibition Act, 1961 the term 'Dowry' indicate such propety or valuable security/निम्नलिखित में से असत्य बताइयें- अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी सम्पत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूत अभिप्रेत है-

(a) which has been given at the time or before or after the marriage/जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् की गई हो
(b) which has been given by one party of marriage to the another party of marriage/विवाह के पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को दी गई हो
(c) which has been given by the guardian of any one party to the marriage or some other person to the other party or person/विवाह के किसी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार या अन्य व्यक्ति को दी गई है
(d) It include Mahr to whom the Muslim law applies/जिन्हें मुस्लिम विधि लागू होती है मेहर इसके अन्तर्गत आता है।

8. Under the Dowry Prohibition Act, 1961 which of the following is not considered as Dowry? /दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत इनमें से कौन-सा दहेज नहीं माना जाता है-

(a) any valuable security that is given by one party to another party at the time of marriage
मूल्यवान प्रतिभूत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाह के समय दिया जाना

(b) any valuable security which is given by one party to another party before the marriage
मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पूर्व एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाना

(c) any valuable security provided after the marriage is solemnized/मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पश्चात् दिया जाना

(d) any valuable security given by one party to another party at the time of child birth/मूल्यवान प्रतिभूति एक पक्ष द्वारा पश्चात् पक्ष को बच्चे के जन्म पर दिया जाना

9. Under which of the following sections, the act of giving or taking dowry is punishable offence under the Dowry Prohibition Act, 1961?/दहेज लेना और देना दहेज प्रतिषद अधिनियम, 1961 के किस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय है-

(a) Section 3/धारा 3
(b) Section 4/धारा 4
(c) Section 3 and 4/धारा 3 और 4
(d) Section 6/धारा 6

10. After the commencement of Dowry Prohibition Act, 1961 if any person gives or takees or abets the giving or taking of dowry, he shall be punishable with following/यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषद अधिनियम, 1961 के प्रारम्भ के पश्चात् दहेज देगा या लेगा या दहेज देना या लेना दूष्प्रेरित करेगा, तो वह निम्न प्रकार दण्डनीय होगा-

(a) imprisonment for a term which shall not be less than 2 years/कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी

(b) imprisonment for a term which shall not be less than 5 years/कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी

(c) Fine which may be fifteen thousand or equivalent to the value of dowry/जुर्माना को 15,000 रूपए या दहेज के मूल्य की रकम तक हो सकेगा

(d) (b) or (c) above/उपरोक्त 'ब' एवं 'स'

11. The court may pass a sentence of imprisonment for a term of less than 5 year to a who person taking or giving dowry in which circumstances? दहेज देने या दहेज लेने वाले व्यक्ति को न्यायालय पांच वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश किन परिस्थितियों में दे सकेगा-

(a) without cruelty or harassment
क्रूरता या प्रताणना न होने पर

(b) if the dowry amount is not excessive
दहेज की रकम अधिक न होने पर

(c) It's against the law/यह विधि के विरुद्ध है

(d) For adequate and special reason to be recorded in the judgment/निर्णय में लेखबद्ध किये जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से

12. If the brides father gives gift of conservative nature to the bride which is in his financial capability, then such a gift will come under the definition of dowry this statement is/यदि दुल्हन का पिता रूढ़िगति प्रकृति के उपहार, जो उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन है दुल्हन को देता है, तो ऐसा उपहार दहेज की परिभाषा में आएगा, यह कथन है-

(a) True/सत्य
(b) False/असत्य
(c) Cannot say/कह नहीं सकते
(d) None of them is true/इनमें से कोई सही नहीं हैं

13. Under which section of Dowry Prohibition Act, 1961 there is a provision of penalty for demanding dowry?/दहेज प्रतिषध अधिनियम 1961 की किस धारा के अन्तर्गत दहेज मांगने के लिए शास्ति का उपबन्ध है-

(a) Section 3/धारा 3 में
(b) Section 4/धारा 4 में
(c) Section 5/धारा 5 में
(d) Section 6/धारा 6 में

14. 'A' indirectly demands dowry from the parents of bride. He shall be punish under which section of Dowry Prohibition Act, 1961?/'क' वधू के माता-पिता से अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है, दहेज प्रतिषध अधिनियम, 1961 की किस धारा के अधीन वह दण्डनीय होगा-

(a) Section 3/धारा 3
(b) Section 4/धारा 4
(c) Section 5/धारा 5
(d) Section 6/धारा 6

15. If the groom's uncle (Mama) demanded dowry from the uncle of bride then it will be a punishable offence under which section of Dowry Prohibition Act, 1961?/यदि वर के मामा ने वधू के चाचा से दहेज की माग की तो यह दहेज प्रतिषद के अधिनियम, 1961 की किस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय होगा-

(a) Section 3/धारा 3
(b) Section 4/धारा 4
(c) Section 3 read with 4/धारा 3 सहपठित 4
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

16. If a person at any time demands a dowry, directly or indirectly from the brides or groom's parents or other relative or a guardian, then he shall be punishable with following manner/यदि कोई व्यक्ति यथास्थित वधू या वर के माता-पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करेगा, तो वह निम्न प्रकार दण्डनीय होगा-

(a) an imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extent to 2 years
कारावास, जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष का हो सकेगा

(b) fine which may extent to ten thousand rupees/जुर्माने से जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा

(c) Both of them/उपर्युक्त दोनों

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

17. Under Section 4(A) of Dowry Prohibition Act, 1961 provision has been made/दहेज प्रतिषध अधिनियम, 1961 की धारा 4-क के अन्तर्गत उपबन्ध किया गया है-

(a) Prohibition on taking or giving dowry
दहेज लेने व देने का पाबन्दी

(b) Prohibition on advertisement (of dowry)
विज्ञापन पर पाबन्दी

(c) Prohibition on atrocity/अत्याचार पर पाबन्दी

(d) all the options are true/सभी विकल्प सही

18. An industrialist published an advertisement in a newspaper that who ever will marry her blind daughter he shall be give half of his proerty. Does he committed any crime?/एक उद्योग पति ने एक विज्ञापन छपवाया कि, जो कोई अन्धी पुत्री से विवाह करेगा, उसको उसकी सम्पत्ति का आधा भाग दिया जायेगा, क्या उसने कोई अपराध किया है-

(a) Not committed any offence
कोई अपराध नहीं किया

(b) It is just an invitation of proposal
यह केवल एक प्रस्ताव को आमंत्रण है

(c) It is his compulsion
यह उसकी विवशता है

(d) He has committed a crime under Section 4(A) of Dowry Prohibition Act, 1961
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के धारा 4-क के अन्तर्गत उसने अपराध किया है

19. 'A' on the occassion of his daughter's marriage publishes a proposal to grant a portion of his property to the groom through an advertisement in a newspaper. It will be a punishable offence under which section of Dowry Prohibition Act, 1961?/'क' अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में अपनी सम्पत्ति में से एक अंश देने का प्रस्ताव समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन द्वारा करता है। दहेज प्रतिषध अधिनियम, 1961 की किस धारा के अधीन दण्डनीय होगा-

(a) Section 4A(a)/धारा 4क (क)

(b) Section 4A(b)/धारा 4क (ख)

(c) Section 5/धारा 5

(d) Section 6/धारा 6

20. If any person on the occassion of marriage of his son or daughter or any relative; publishes a proposal in newspaper, magazine or journal to grant or allocate a certain sum of portion of his property or any amount of money or both of them, then he shall be punishable with a sentence of/यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफलस्वरूप किसी समाचार पत्र, पत्रिका जनरल या किसी अन्य माध्यम से अपनी सम्पत्ति या किसी धन के अंश या दोनो के किसी कारवार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना, कोई विज्ञापन मुद्रित, प्रकाशित परिचालित करेगा, तो वह निम्न कारावास

(a) imprisonment which shall not be less than six months but which may extent 5 years/कारावास जो छः माह से कम का नहीं होगा, किन्तु पांच वर्ष तक का हो सकेगा

(b) fine which may extent to Rs. 15000
जुर्माने से जो पन्द्रह हजार रूपए तक का हो सकेगा

(c) both of them/उपरोक्त दोनों

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

21. Under which section of the Dowry Prohibition Act, 1961 the act of taking or giving dowry or a contract to give or take dowry has been declared void?/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की किस धारा के अन्तर्गत दहेज लेने, दहेज देने या लेने के करार को शून्य होना घोषित किया गया है-

(a) Under Section 4/धारा 4 के अन्तर्गत

(b) Under Section 5/धारा 5 के अन्तर्गत

(c) Under Section 6/धारा 6 के अन्तर्गत

(d) Under Section 7/धारा 7 के अन्तर्गत

**22. An agreement to give or take dowry will be–
दहेज देने या लेने के लिये करार होगा-**

(a) Illegal/अवैध (b) Voidable/शून्यकरणीय

(c) Legal/वैध (d) Void/शून्य

Raj. (APO) 2015

23. Under which section of Dowry Prohibition Act, 1961 it is provided that dowry to be for the benefit of the wife or her heirs–
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की किस धारा के अन्तर्गत देहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिये होना उपबन्धित है-

(a) Under Section 4/धारा 4 के अन्तर्गत
(b) Under Section 5/धारा 5 के अन्तर्गत
(c) Under Section 6/धारा 6 के अन्तर्गत
(d) Under Section 7/धारा 7 के अन्तर्गत

24. When any dowry is received by any person other than the woman in connection with whose marriage it is given, that person shall transfer it to–
जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति, उस दहेज को अन्तरित करेगा-

(a) the woman/स्त्री को
(b) the police/पुलिस को
(c) her parents/उसके माता-पिता को
(d) dowry prohibition officer
दहेज प्रतिषध अधिकारी को

Raj. (APO) 2015

25. When any dowry is received by any person other than the woman in connection with whose marriage it is given, that person shall transfer it to/जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति, उस दहेज को अन्तरित करेगा-

(a) within a period of three months from the date of marriage if received before the marriage/यदि विवाह से पूर्व प्राप्त किया था, तो विवाह की तारीख के पश्चात् तीन माह के भीतर
(b) within three months from the date of receipt if that has been received at the time of marriage or before the marriage/यह विवाह के समय या उसके पश्चात् प्राप्त किया था, तो उसकी प्राप्ति के तारीख के पश्चात् तीन माह के भीतर
(c) within 3 months from the date of becoming adult (i.e. 18 years) if the dowry has been received when the woman was a minor/यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी, तब प्राप्त किया था, तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् तीन माह के भीतर
(d) All of them/उपरोक्त सभी

26. According to Section 6 of Dowry Prohibition Act, 1961 if a person receives dowry from a woman other than the woman in connection with whose marriage it is given, then that peson will transfer the aforesaid dowry to the woman if received before the marriage–
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा प्रापत किया जाता है तो वह व्यक्ति उस दहेज को , यदि वह दहेज विवाह पूर्व प्राप्त किया गया था तो उस स्त्री को अन्तरित कर सकेगा–

(a) within a week after the date of marriage
विवाह की तारीख के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर
(b) within a one month after the date of marriage/विवाह की तारीख के पश्चात् एक माह के भीतर
(c) within a two month after the date of marriage /विवाह की तारीख के पश्चात् दो माह के भीतर
(d) within a three month after the date of marriage /विवाह की तारीख के पश्चात् तीन माह के भीतर

Raj. (APO) 2015

27. Under the Section 6 of Dowry Prohibition Act, 1961 a person can hold the dowry for the benefit of the woman in what manner?/दहेज प्रतिषध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अन्तर्गत स्त्री से भिन्न व्यक्ति स्त्री के फायदे के लिये दहेज को किस रूप में धारण करता है-

(a) As a custodian/संरक्षक के रूप में
(b) As a tradition/रूढ़ि के रूप में
(c) As a trustee/न्यास के रूप में
(d) As a relative/नातेदार के रूप में

28. If any person fails to transfer the property within the period stipulated in the sub-section (1) of Section 6 of Dowry Prohibition Act, 1961 then he shall be punish withयदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सम्पत्ति का, विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर अन्तरण करने में असमर्थ रहेगा, तो वह दण्डनीय होगा-

(a) imprisonment which shall not be less than six months but which may extent to 2 years
कारावास से, जो 6 मोह से कम का नही होगा किन्तु 2 वर्ष तक हो सकेगा
(b) a fine which shall not be less than 5 thousand rupees but which may extent to 10 thousand rupees/जुर्माने से, जो 5 हजार रूपए से कम नहीं होगा किन्तु 10 हजार रूपये तक हो सकेगा
(c) Both/उपरोक्त दोनों
(d) Only (a)/उपरोक्त 'अ'

29. Under sub-section (1) of Section 6 of the Dowry Prohibition Act, 1961 if the woman entitled to receive the proerty dies before receiving it then who among the following will be entitled to claim the property from the property holder person?/दहेज प्रतिषध अधिनियम, 1961 की धारा 6 उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पत्ति की हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो कौन सम्पत्ति धारण करने वाले व्यक्ति से उसका दावा करने का हकदार होगा-

(a) Heirs of the woman/स्त्री के वारिस
(b) Father of the woman/स्त्री का पिता
(c) Husband of the woman/स्त्री का पति
(d) Daughter of the woman/स्त्री की पुत्री

30. Under sub-section (1) of Section 6 of the Dowry Prohibition Act, 1961 a woman entitled to a property dies within 7 year of her marriage otherwise than due to natural causes, then that property shall be transferred to?/दहेज प्रतिषध अधिनियम, 1961 की धारा 6 उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पत्ति की हकदार स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहाँ ऐसे सम्पत्ति अन्तरित की जाएगी-

(a) to her parents if she has no children
यदि उसकी सन्तान नहीं है, तो उसके माता-पिता को
(b) to her children if she has children
यदि उसकी सन्तान है तो संतान को
(c) such transfer to be held in trust for such children
ऐसा अन्तरण सन्तान के न्यास के रूप में धारण
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

31. If the bride due to other than natural causes within 7 years of marriage then the property related to marriage shall be transferred to/यदि दुल्हन के विवाह के 7 वर्ष के अन्दर प्रकृति के सामान्य अनुक्रम से भिन्न मृत्यु होती है तो उसकी विवाह से सम्बन्धित सम्पत्ति अन्तरित होगी-

(a) Children/सन्तान
(b) To the guardian if no children
सन्तान न होने पर पालक
(c) Husband/पति
(d) Both are correct, to children and guardian in case of no children/सन्तान और सन्तान न होने पर पालक दोनों सही

32. Accordig to Section 6 of the Dowry Prohibition Act, 1961 where the woman dies within 7 years of her marriage otherwise than due to natural causes the property shall be transferred to? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार जहाँ स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहाँ उसकी सम्पत्ति अन्तरित होगी-

(a) To her parents if she has children
यदि उसकी सन्तान है, तो उसके माता-पिता को
(b) If she has children, be transferred to such children and pending such transfer, be held in trust for such children
यदि उसकी सन्तान है, तो उसकी ऐसी सन्तान को अन्तरित की जाएगी और अन्तरण तक ऐसी सन्तान के लिये न्यास के रूप में धारण की जाएगी।
(c) If she has no child, then to the parents of her husband/यदि उसके सन्तान नहीं है, तो उसके पति के माता-पिता को
(d) Her husband/उसके पति

33. If any person fail to transfer of property under sub-section (1) of Section 6 of the Dowry Prohibition Act, 1961 within specified time, than/दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 उपधारा (1) की अधीन की सम्पत्ति का कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा, तो-

(a) An amount equal to the value of the property shall be recovered from him as a fine imposed by court
सम्पत्ति के मूल्य के बराबर की रकम उससे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने के रूप में वसूल की जा सकेगी
(b) Said amount be transferred to that woman, or his heirs parents
उक्त रकम उस स्त्री या उसके वारिसों, माता-पिता को संदाय की जा सकेगी
(c) Both of them/उपरोक्त दोनों
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

34. Under which Section of the Dowry Prohibition Act, 1961 provisions have been made regarding cognizance of offences and trial?/दहेज प्रतिषध अधिनियम, 1961 की कौनसी धारा के अन्तर्गत अपराधों के संज्ञान एवं विचारण के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है-

(a) Under Section 4/धारा 4 के अन्तर्गत
(b) Under Section 5/धारा 5 के अन्तर्गत
(c) Under Section 6/धारा 6 के अन्तर्गत
(d) Under Section 7 /धारा 7 के अन्तर्गत

35. Who is empowered to trial of an offence under the Dowry Prohibition Act, 1961?/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जा सकेगा।

(a) Metropolitan Magistrate/महानगर मजिस्ट्रेट
(b) Judicial Magistrate of first class
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट
(c) Session court/सत्र न्यायालय
(d) Both (a) or (b) above/उपरोक्त 'अ' एवं 'ब'

36. Under the Dowry Prohibition Act, 1961 who can take cognizance of offence?/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अधीन अपराध का संज्ञान ले सकता है-
(a) Judicial Magistrate of second class
द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट
(b) Metropolitan Magistrate or first class Judicial Magistrate/महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट
(c) Executive Magistrate/कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(d) Any Judicial Magistrate
कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट

37. Under the Dowry Prohibition Act, 1961 any Court can take into cognizance of offence under the act on/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को संज्ञान करेगा-
(a) His own knowledge
अपनी जानकारी पर
(b) On the basis of police report/पुलिस रिपोर्ट पर
(c) On the complaint filed by the aggrieved person or his parents or relatives or any recognized welfare agency or organization
व्यथित व्यक्ति या उसके माता-पिता या नातेदार या मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किये गये परिवाद पर
(d) On the basis of any of the above
उपरोक्त में से किसी भी प्रकार से

38. A court can take into cognizance of any offence committed under the Dowry Prohibition Act, 1961/न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत किये गये अपराध का संज्ञान ले सकेगा-
(a) upon police report/पुलिस रिपोर्ट पर
(b) upon complaint/परिवाद पर
(c) upon police report and complaint
पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर
(d) None of these/इनमें से कोई सही नहीं

MPADPO 2015

39. A five years imprisonment is awarded to Raju under Section 6(2) of Dowry Prohibition Act, 1961 by Judicial Magistrate First class. Is this sentence according to law?
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा राजू को दहेज प्रतिषध अधिनियम, 1961 की धारा 6 (2) के तहत 5 वर्ष का कारावास दिया जाता है, क्या यह कारावास विधि के अनुसार है-
(a) Yes/हाँ
(b) No/नहीं
(c) On the direction of High Court
उच्च न्यायालय के निर्देश पर
(d) On the direction of Session Court
सत्र न्यायालय के निर्देश पर

40. Nothing in chapter 36 of the Code of Criminal Procedure, 1973 to any offence punishable under this Act/दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 36 (अपराधों की परिसीमा) की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध को-
(a) Applicable/लागू होगी
(b) Not applicable/लागू नहीं होगी
(c) applicable as per Court's discretion
न्यायालय के विवेकानुसार लागू होगी
(d) applicable on the High Court's direction
उच्च न्यायाल के निर्देश पर लागू होगी

41. Under which section of Dowry Prohibition Act, 1961 provisions have been made regarding offences to be cognizable for certain purpose and to be non-bailable and non-compoundable?/दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानतीय और अशमनीय होना उपबंधित है–
(a) Under Section 8/धारा 8 के अंतर्गत
(b) Under Section 9/धारा 9 के अंतर्गत
(c) Under Section 10/धारा 10 के अंतर्गत
(d) Under Section 11/धारा 11 के अंतर्गत

42. Under which section of Dowry Prohibition Act, 1961 it is provided that Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply to offence under this act as if they were cognizable offence?
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 कि किस धारा में यह उपबंधित है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर ऐसे लागू होंगी, मानो वे संज्ञेय अपराध हो–
(a) Under Section 7/धारा 7
(b) Under Section 8/धारा 8
(c) Under Section 8(a)/धारा 8क
(d) Under Section 8(b)/धारा 8ख

43. Offences comitted under Dowry Prohibition Act, 1961 are/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत के अपराध है–

(a) Non-cognizable/असंज्ञेय
(b) Non-bailable/अजमानतीय
(c) Non-bailable and non-compoundable
अजमानतीय एवं अशमनीय
(d) Bailable and compoundable
जमानतीय एवं शमनीय

44. Offences comitted under Dowry Prohibition Act, 1961 are/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अपराध है–

(a) Compoundable/शमनीय
(b) Compoundable with the consent of Court
न्यायालय की अनुमति से शमनीय
(c) Non-compoundable/अशमनीय
(d) Bailable/जमानतीय

45. Offences comitted under Dowry Prohibition Act, 1961 are/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अधीन अपराध है–

(a) Non-compoundable/अशमनीय
(b) Compoundable/शमनीय
(c) Compoundable with the consent of Court
न्यायालय की अनुमति से शमनीय
(d) Bailable/जमानतीय

46. Under which section of Dowry Prohibition Act, 1961 provisions are laid regarding burden of proof in certain cases?/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की किस धारा के अंतर्गत कुछ मामलों में सबूत का भार के संबंध में उपबंध है–

(a) Section 7/धारा 7 (b) Section 8/धारा 8
(c) Section 8(A)/धारा 8क
(d) Section 8(B)/धारा 8ख

47. Under the Dowry Prohibition Act, 1961 at the time of trial under Section 3 on whom burden of proof lie?/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अधीन धारा 3 में विचारण के समय प्रमाण का भार किस पर होगा–

(a) The person who is being prosecuted
जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो
(b) Complainant/परिवादी पर
(c) Wife/पत्नी पर
(d) Administration/शासन पर

**48. Under which section of Dowry Prohibition Act, 1961 Dowry Prohibition Officer is appointed?
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है–**

(a) Section 8/धारा 8 (b)Section 8(A)/धारा 8क
(c) Section 8(B)/धारा 8ख (d) Section 9/धारा 9

**49. Dowry Prohibition Officer is appointed by–
दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है–**

(a) Session Court/सत्र न्यायाधीश द्वारा
(b) District Collector/जिला कलेक्टर द्वारा
(c) Central Government/केन्द्रीय सरकार द्वारा
(d) State Government/राज्य सरकार द्वारा

50. Under Section 8(B) of Dowry Prohibition Act, 1961 the Dowry Prohibition Officer shall exercise which of the following powers and functions?/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8-ख के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी किन शक्तियों एवं कृत्यों का पालन करेगा–

(a) To see that the provision of this act are complied with/यह देखना कि अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जाता है
(b) To prevent the giving or abetting the taking or the demanding of dowry/दहेज देने या लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को रोकना
(c) To collect such evidences which are necessary for prosecuting person committing crimes/अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो
(d) All the above/उपरोक्त सभी

51. Who shall appoint an advisory board for the purpose of rendering advice and help in the efficient compliance of duties (functions) prescribed under this act to the Dowry Prohibition Officer?/दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह और सहायता के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कौन करेगा–

(a) State Government/राज्य सरकार
(b) Central Government/केन्द्र सरकार
(c) Governor/राज्यपाल
(d) Chief Minister/मुख्यमंत्री

**52. The Advisory board constituted under the Section 8(B)(4) of the Act shall comprise of?
अधिनियम के धारा 8-ख(4) के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड का गठन निम्न से मिलकर होगा–**

(a) Dowy Prohibition Officer/दहेज प्रतिषेध अधिकारी
(b) Not more than 5 social welfare workers out of which atleast 2 should be women/5 से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता, जिनमें कम से कम 2 महिलाऐं होगी
(c) District Magistrate/जिला मजिस्ट्रेट
(d) (a) and (b) above/उपरोक्त (a) एवं (b)

53. Under which section of Dowry Prohibition Act, 1961 the Central Government is empowered to make rules?/दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की कौन-सी धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है–

(a) Section 9/धारा 9 (b) Section 10/धारा 10
(c) Section 11/धारा 11 (d) Section 12/धारा 12

54. When the Dowry Probhition (Groom-Bride gift list) rules, 1985 came into effect?/दहेज प्रतिषेध (वर-वधू भेंट सूची) नियम, 1985 कब प्रवृत्त हुआ–

(a) 1 October, 1985/1 अक्टूबर, 1985
(b) 2 October, 1985/2 अक्टूबर, 1985
(c) 1 December, 1985/1 दिसम्बर, 1985
(d) 1 February, 1985/1 फरवरी, 1985

55. In Dowry Probhition (Groom-Bride gift list) rules, 1985 how many rules are incorporated? दहेज प्रतिषेध (वर-वधू भेंट सूची) नियम, 1985 में कितने नियम है–

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

56. Which of the following statements is false? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(a) The list of gifts which are presented during the marriage to the bride will be kept by the bride/विवाह के समय जो भेंटे वधू को दी जाती है, उनकी एक सूची वधू रखेगी
(b) The groom will keep a list of the gifts which are presented to him at the time of marriage विवाह के समय जो भेंटे वर को दी जाती है, उनकी एक सूची वर रखेगी
(c) These gift lists shall be prepared before the marriage only/उपरोक्त सूचियाँ केवल विवाह के पूर्व तैयार की जाएगी
(d) All of them/उपरोक्त सभी

57. The nature of provisions related to preparing the gifts received at the time of the marriage is? विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाने के उपबंध की प्रकृति है–

(a) Mandatory for Groom and Bride
वर-वधू के लिए आज्ञापक
(b) Discretionary for Groom and Bride
वर-वधू का विवेकाधिकार
(c) Necessary for the for Groom's father
वर के पिता के लिए आवश्यक
(d) None of these are true/इनमें से कोई सही नहीं है

58. Which of the following statements is true regarding the gift list of groom-bride?/वर-वधू भेंट सूची के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है–

(a) The list shall be in written and duly signed/सूची लिखित एवं हस्ताक्षरित होगी
(b) If the Groom or Bride is unable to put sign then the list will be read out to them and they can put their thumb impression
यदि वर या वधू हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, तो वह सूची उन्हें पढ़कर सुनाई जायेगी एवं वे अंगूठे का निशान लगा सकेगे
(c) Both of the above/उपरोक्त दोनों
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं है

59. Such gifts which are given without any demand for it to the bride shall not be applicable as such in that respect (law), but if such gifts are registered in the list as per the rules prescribed under the act, then such gifts shall come in the ambit of "Dowry" under the Dowry Prohibition Act, 1961
ऐसी भेटों को जो वधू को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती या उसके संबंध में लागू नहीं होगी, परन्तु यदि ऐसी भेंटे, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाए, तो यह भेंटे दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत ''दहेज'' की परिधि में आवेगी–

(a) Yes/हां
(b) No/नहीं
(c) Partialy true/अंशतः सही
(d) None of them/इनमें से कोई नहीं

उत्तरमाला (Answer Key)

1. (c)	7. (d)	13. (b)	19. (b)	25. (d)	31. (d)	37. (d)	43. (c)	49. (d)	55. (b)
2. (c)	8. (d)	14. (b)	20. (c)	26. (d)	32. (b)	38. (c)	44. (c)	50. (d)	56. (c)
3. (a)	9. (a)	15. (b)	21. (b)	27. (c)	33. (c)	39. (b)	45. (a)	51. (a)	57. (a)
4. (d)	10. (d)	16. (c)	22. (d)	28. (c)	34. (d)	40. (b)	46. (c)	52. (d)	58. (c)
5. (d)	11. (d)	17. (b)	23. (c)	29. (a)	35. (d)	41. (a)	47. (a)	53. (a)	59. (b)
6. (d)	12. (b)	18. (d)	24. (a)	30. (d)	36. (b)	42. (b)	48. (c)	54. (b)	

The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

1. The total sections in the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 are–
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में कुल धाराएँ हैं-

(a) 37 (b) 32
(c) 33 (d) 34

2. The total schedules in the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 is/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में कुल अनुसूचियाँ है-

(a) None/कोई नहीं (b) 2
(c) 3 (d) 4

3. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 has come under which article of the Constitution/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत आता हैं-

(a) Article 14 and 21/अनुच्छेद 14 व 21
(b) Article 14, 15 and 21/अनुच्छेद 14, 15 व 21
(c) Article 21/अनुच्छेद 21
(d) Article 14/अनुच्छेद 14

4. The objective of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 is/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का उद्देश्य है–

(a) Protection of women living in the family against domestic violence/परिवार में रहने वाली महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से रक्षा करना
(b) To provide more effective protection to the rights of women guaranteed under constitution/महिलाओं को संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करना
(c) To provide constitutional guarantee to the women who are victim of violence of any domestic violence/पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करना
(d) All of them/उपरोक्त सभी

5. Any order made by the competent court under the Domestic Violence Act is enforceable–
घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा-

(a) Only in the district where order is passed
मात्र उस जिले में जहाँ आदेश दिया गया
(b) Only in the state where order is passed
मात्र उस राज्य में जहाँ आदेश दिया गया
(c) To the whole of India except the state of Jammu and Kashmir/जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत में
(d) Whole of India/समस्त भारत में

6. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 extends to/घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम, 2005 का विस्तार है-

(a) Whole of India/संपूर्ण भारत पर
(b) Whole of India except Jammu & Kashmir
जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर
(c) Both (a) and (b) are correct/उपरोक्त दोनों सही है
(d) Both (a) and (b) are wrong/उपरोक्त दोनों गलत है

7. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 was passed on/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 पारित हुआ था–

(a) 12.08.2005 (b) 13.09.2005
(c) 12.07.2005 (d) 12.05.2005

8. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 received the assent of the President on/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई-

(a) 1 September, 2005/1 सितम्बर, 2005 को
(b) 13 September, 2005/13 सितम्बर, 2005 को
(c) 1 October, 2005/1 अक्टूबर, 2005 को
(d) 1 December, 2005/1 दिसम्बर, 2005 को

9. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 came into force–
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 प्रवृत्त हुआ-

(a) 26 January, 2005/26 जनवरी, 2005 को
(b) 17 October, 2006/17 अक्टूबर, 2006 को
(c) 13 September, 2005/13 सितम्बर, 2005 को
(d) 26 October, 2006/26 अक्टूबर, 2006 को

10. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 has been implemented–
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 लागू कर दिया गया-

(a) 1 October, 2005/1 अक्टूबर, 2005 से
(b) 30 December, 2005/30 दिसम्बर, 2005 से
(c) 30 January, 2006/30 जनवरी, 2006 से
(d) 26 October, 2006/26 अक्टूबर, 2006 से

11. According to the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 'aggrieved person' means/घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार ''व्यथित व्यक्ति'' से अभिप्रेत है-

(a) Any woman has been in a domestic relationship /उस स्त्री से है जो पारिवारिक रिश्तेदारी में है
(b) has been in relationship and रिश्तेदारी में रही है तथा
(c) Who alleges to have been subjected to any act of domestic violence/जो घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन रही है, ऐसा उसका अभिकथन है
(d) All the above/उपरोक्त सभी

12. According to the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 "child" means/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार बालक से अभिप्रेत है-

(a) Any person below the age of eighteen years and/जो 18 वर्ष से कम आयु का है और
(b) Includes adopted/इसमें दत्तक शामिल है एवं
(c) Step or foster child उत्पन्न सौतेला अथवा पोषित बालक शामिल है
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

13. According to the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 "compensation" means–
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार प्रतिकर आदेश से अभिप्रेत है-

(a) An order granted in term of Section 22 धारा 22 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश
(b) An order granted in term of Section 23 धारा 23 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश
(c) An order granted in term of Section 21 धारा 21 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश
(d) An order granted in term of Section 25 धारा 25 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश

14. According to the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 "custody order" means/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार अभिरक्षा आदेश से अभिप्रेत है-

(a) An order granted in term of Section 22 धारा 22 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश
(b) An order granted in term of Section 23 धारा 23 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश
(c) An order granted in term of Section 21 धारा 21 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश
(d) An order granted in term of Section 25 धारा 25 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश

15. According to the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 "domestic incidence report" means–/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है-

(a) A report made in the prescribed form on receipt of a complaint of domestic violence from an agrrieved person/दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप में की गई रिपोर्ट
(b) A report made in the prescribed form on receipt of a complaint other than domestic violence from the agrrieved person/दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा के अलावा की गई शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप में की गई रिपोर्ट
(c) Both are correct/उपरोक्त दोनों सही हैं
(d) Both are wrong/उपरोक्त दोनों गलत हैं

16. 'Domestic relationship' means a relationship between two persons who/घरेलू नातेदारी से अभिप्राय दो व्यक्तियों के बीच की ऐसी नातेदारी से है जो–

(a) live or have, at any point of time, lived together in a shared household/किसी भी समय संयुक्त कौटुम्बिक गृह में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं
(b) they are related by consanguinity, marriage or adoption/समरक्तता, विवाह द्वारा या दत्तक ग्रहण के माध्यम से संबंधित हों
(c) they are family members living together as a joint family/संयुक्त परिवार के रूप में साथ-साथ निवास कर रहे पारिवारिक सदस्य हों
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

17. According to the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 "domestic violence" means/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा से अभिप्रेत है-

(a) as assigned to it in Section 3/जो धारा 3 में है
(b) as assigned to it in Section 4/जो धारा 4 में है
(c) as assigned to it in Section 5/जो धारा 5 में है
(d) as assigned to it in Section 6/जो धारा 6 में है

18. "Magistrate" means magistrate exercising jurisdiction in the area where–
मजिस्ट्रेट से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट से है, जिसमें-

(a) The aggrieved person resides temporaliy or otherwise/व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है
(b) The respondent resides/प्रत्यर्थी निवास करता है
(c) The domestic violence is alleged to have taken place/घरेलू हिंसा का होना अभिकथित है
(d) All of the above/उपरोक्त सभी स्थितियों में

19. According to the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, "Magistrate" means/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है-

(a) Judicial Magistrate of the first class
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट

(b) Metropolican Magistrate in Metropolitan areas
महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट

(c) Both are correct/उपरोक्त दोनों सही हैं

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

20. According to the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, "Protection Officer" means–
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार संरक्षण अधिकारी से अभिप्रेत है-

(a) An officer appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 8/राज्य सरकार द्वारा धारा 8(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी

(b) An officer appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 9/राज्य सरकार द्वारा धारा 9(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी

(c) An officer appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 10/राज्य सरकार द्वारा धारा 10(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

21. Under The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, "competent court" means/घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है-

(M.P.A.D.P.O.2008)

(a) Session court/सत्र न्यायालय

(b) Court of Chief Judicial Magistrate
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय

(c) Court of Judicial Magistrate
न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय

(d) Judicial Magistrate of the first class or Metropolitan Magistrate/प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट

22. According to the Act "Protection order" means–
अधिनियम के अनुसार संरक्षण आदेश से अभिप्रेत है-

(a) An order made in terms of Section 18
धारा 18 में दिया गया आदेश

(b) An order made in terms of Section 19
धारा 19 में दिया गया आदेश

(c) An order made in terms of Section 20
धारा 20 में दिया गया आदेश

(d) An order made in terms of Section 21
धारा 21 में दिया गया आदेश

23. According to the Act, "residence order" means–/अधिनियम के अनुसार निवास स्थान आदेश से अभिप्रेत है-

(a) An order granted in terms of Section 18
धारा 18 में दिया गया आदेश

(b) An order granted in terms of Section 19
धारा 19 में दिया गया आदेश

(c) An order granted in terms of Section 20
धारा 20 में दिया गया आदेश

(d) An order granted in terms of Section 21
धारा 21 में दिया गया आदेश

24. According to the Act, "respondent" means any adult male person/अधिनियम के अनुसार रिस्पॉन्डेन्ट (प्रत्यर्थी) से अभिप्रेत है, कोई वयस्क पुरुष-

(a) who is in a domestic relationship with the aggrieved person/जो दुखी व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्तेदारी में है

(b) who is living in domestic relationship
घरेलू रिश्तेदारी में रह रहा है

(c) Against whom the aggrieved person has sought any relief under this act/जिसके विरुद्ध दुखी व्यक्ति ने इस अधिनियम में सहायता चाही है

(d) All of the above/उपरोक्त सभी

25. Compensation which the Magistrate may direct the respondent to pay to aggrieved person, meet the expenses incurred and losses suffered by the aggrieved person as a result of the domestic violence is called/मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति द्वारा अवगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए व्यथित व्यक्ति को संदाय करने हेतु प्रत्यर्थी को दिया गया आदेश कहलाता है–

(a) Protection order/संरक्षण आदेश

(b) Residence order/निवास आदेश

(c) Monetary order/धनीय आदेश

(d) Medical facility/चिकित्सीय सुविधा

26. Any shelter home may be notified to be a shelter home for the purposes of this act by–
इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु कोई आश्रम गृह किसी अधिसूचना द्वारा आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया जाएगा-

(a) Central Government/केन्द्रीय सरकार

(b) State Government/राज्य सरकार

(c) Magistrate/मजिस्ट्रेट

(d) Protection Officer/संरक्षण अधिकारी

27. **Under The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, the definition of 'domestic violence' is given under–**
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है-
(a) Section 3/धारा 3 में (b) Section 4/धारा 4 में
(c) Section 5/धारा 5 में (d) Section 6/धारा 6 में

28. **Under The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, in the context of the definitions of domestic violence, which of the following statement is the most relevant–**
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा के संदर्भ में निम्न कौन-सा कथन सबसे उपयुक्त है-
(a) To inflict harms or injurers or endangers the health, safety, life, limb whether mental or physical of the aggrieved woman/पीड़ित-महिला के स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन, अंग या उसकी मानसिक या शारीरिक क्षति पहुँचाना
(b) To deamnd for any dowry or other property or valuable security from the aggrieved women/पीड़ित-महिला से किसी दहेज या अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की माँग करना
(c) To threaten the aggrieved woman or any person related to her by any conduct/किसी आचरण द्वारा महिला या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को धमकी देना
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

29. **Which of the following terms has not been used in the category of various kinds of abuse falling in the definition of domestic violence–/कौन-सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुप्रयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जाता है-**
(a) Emotional abuse/भावात्मक दुरुप्रयोग
(b) Verbal abuse/मौखिक दुरुप्रयोग
(c) Economic abuse/आर्थिक दुरुप्रयोग
(d) Mental abuse/मानसिक दुरुप्रयोग

30. **In which of the following sections of the domestic violence act, the term 'domestic violence' is defined–**
घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है-
(a) Section 1/धारा 1
(b) Section 3/धारा 3
(c) Section 4/धारा 4
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

31. **Under The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 "domestic violence" includes/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है-**
(a) Physical abuse/शारीरिक दुरुप्रयोग
(b) Sexual abuse/लैंगिक दुरुप्रयोग
(c) Verbal and emotional abuse
मौखिक और भावात्मक दुरुप्रयोग
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

32. **Under Section 3 definition of 'domestic violence' includes/धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल है-**
(a) To demand for any dowry or other property
दहेज सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की माँग
(b) Any conduct which has the effect of threatening the aggrieved peson or any person related to her/कोई आचरण जो व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी
(c) harms or injures whether mental or physical
व्यथित व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

33. **The definition of 'domestic violence' includes–**
घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल है-
(a) Physical or sexual abuse
शारीरिक एवं लैंगिक दुरुप्रयोग
(b) Verbal and emotional abuse
मौखिक और भावनात्मक दुरुप्रयोग
(c) Economic abuse/आर्थिक दुरुप्रयोग
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

34. **Under The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 'domestic violence' includes/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है-**
(a) Economic abuse/आर्थिक दुरुप्रयोग
(b) Sexual abuse/लैंगिक दुरुप्रयोग
(c) Both (a) and (b)/(a) और (b)
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

35. **Any conduct with domestic woman that abuse, humiliates, degrades or otherwise violates the dignity of woman is called–**
घरेलू महिला के साथ ऐसा कोई आचरण करना जो महिला की गरिमा का दुरुप्रयोग, अपमान, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण करता हो, होगा-
(a) Physical abuse/शारीरिक दुरुप्रयोग
(b) Sexual abuse/लैंगिक दुरुप्रयोग
(c) Verbal and emotional abuse
मौखिक और भावनात्मक दुरुप्रयोग
(d) Economic abuse/आर्थिक दुरुप्रयोग

36. **Any insults or ridicule specially with regard to not having a child comes under–**
किसी घरेलू महिला का संतान नहीं होने के संबंध में अपमान या उपहास करना आता है-

(a) Physical abuse/शारीरिक दुर्व्यवहार के अन्तर्गत
(b) Sexual abuse/लैंगिक दुर्व्यवहार के अन्तर्गत
(c) Emotional abuse/भावनात्मक दुर्व्यवहार के अन्तर्गत
(d) Economic abuse/आर्थिक दुर्व्यवहार के अन्तर्गत

37. Any act or conduct which is of such a nature as to cause bodily pain harm or danger to life, limb or health of the aggrieved person and also includes criminal intimidation and criminal force is called–
ऐसा कोई कार्य या आचरण जो व्यथित व्यक्ति को कोई शारीरिक पीड़ा, अपहानि, जीवन, अंग या स्वास्थ्य का खतरा कारित करता है जिसमें हमला आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी कहलाता है-

(a) Physical abuse/शारीरिक दुरुप्रयोग
(b) Mental abuse/मानसिक दुरुप्रयोग
(c) Emotional abuse/भावनात्मक दुरुप्रयोग
(d) Sexual abuse/लैंगिक दुरुप्रयोग

38. Any conduct that abuses, humilitates, degrades or otherwise violatese the dignity of woman is called/ऐसा आचरण जो महिला की गरिमा का दुरुप्रयोग, अपमान, तिरस्कार या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है कहलाता है-

(a) Physical abuse/शारीरिक दुरुप्रयोग
(b) Mental abuse/मानसिक दुरुप्रयोग
(c) Emotional abuse/भावनात्मक दुरुप्रयोग
(d) Sexual abuse/लैंगिक दुरुप्रयोग

39. Choose the false statement from the following verbal and emotional abuse includes–
निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइये- मौखिक और भावनात्मक दुरुप्रयोग के अंतर्गत आता है-

(a) Insults, ridicule, humiliation and name calling/अपमान, उपहास, तिरस्कार व गाली
(b) Ridicule especially with regard to not having a child or a male child/संतान या नर संतान न होने के संबंध में अपमान का उपहास
(c) Repeated threats to cause physical pain to any person in whom the aggrieved persoin is interested/व्यथित व्यक्ति से हितबद्ध व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकी
(d) Any threat to cause physical pain to any person in whom the aggrieved person is interested/व्यथित व्यक्ति से हितबद्ध व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की एक भी धमकी

40. Deprivation of a married woman from her stridhan or owned property any alienation of household property comes under the category of/किसी घरेलू महिला को उसके स्त्रीधन, स्वामित्वाधीन सम्पत्ति किराए की राशि आदि से वंचित करना या गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं का व्ययन कर देना, आता है-

(a) Verbal abuse/मौखिक दुर्व्यवहार के अन्तर्गत
(b) Economic abuse/आर्थिक दुर्व्यवहार के अन्तर्गत
(c) Emotional abuse/भावनात्मक दुर्व्यवहार के अन्तर्गत
(d) Sexual abuse/लैंगिक दुर्व्यवहार के अन्तर्गत

41. Oral and emotional abuse includes–
मौखिक और भावनात्मक दुरुप्रयोग में आता है-

(a) Not producing children/संतान न होना
(b) Not producing a male child/नर संतान न होना
(c) Both (a) and (b)/(a) या (b) दोनों
(d) Only (a)/केवल (a)

42. To determine that any act or omission or conduct constitutes domestic violence–
यह अवधारित करने के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य या लोप या आचरण घरेलू हिंसा गठित करता है-

(a) Depends on court's discretion
न्यायालयीन विवेक पर निर्भर है
(b) the overall facts and circumstance of the case shall be taken into consideration/मामले के सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा
(c) Depends on the report of protection officer
संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट पर निर्भर है
(d) Will be determined infavour of aggrieved person/व्यथित व्यक्ति के पक्ष में अवधारणा की जाएगी

43. Whether any civil or criminal liability can be incurred on a person for giving information in goodfaith/क्या किसी व्यक्ति पर सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए, सिविल, दण्डिक दायित्व उपगत होगा-

(a) Yes/हाँ
(b) No/नहीं
(c) Depends on facts/तथ्यों पर निर्भर है
(d) Depends on courts discretion
न्यायालयीन विवेक पर निर्भर है

44. Under the Section 4 of Domestic Violence Act, information about the domestic violence can be given to the protection officer–
घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 4 के अधीन घरेलू हिंसा के विषय में सूचना संरक्षण अधिकारी को दी जा सकती है-

(a) by any person/किसी व्यक्ति द्वारा
(b) only by a Police Officer
मात्र एक पुलिस अधिकारी द्वारा
(c) only by a service provider
मात्र एक सेवा प्रदाता द्वारा
(d) Only by a police officer who is not below the rank sub-inspector/मात्र एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो उप निरीक्षक से अवर पद का न हो

45. Under which of the following sections of the Domestic Violence Act, 2005 a woman who is victim of domestic violence can register a report?/ पीड़ित-महिला द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की निम्न किस धारा के अन्तर्गत, रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान किया गया है-

(a) Section 3/धारा-3 (b) Section 4/धारा-4
(c) Section 5/धारा-5 (d) Section 6/धारा-6

46. Information to a protection officer under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 can be given–
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को सूचना-

(a) by any person who has reasons to believe that domestic violence is being committed in some home or their is a possibility of such violence
ऐसा कोई भी व्यक्ति दे सकता है जो यह विश्वास करने का कारण रखता है कि किसी घर में घरेलू हिंसा की जा रही है या की जाना संभावित है
(b) Only by the victim woman/केवल पीड़ित स्त्री द्वारा
(c) Only by persons related to mother side
केवल पीड़ित स्त्री के मातृपक्ष के व्यक्ति
(d) Any of the above/उपरोक्त में से कोई भी

47. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, the duties of police officers, service providers and magistrate is described in–/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य का वर्णन किया गया है-

(a) Section 3/धारा 3 (b) Section 4/धारा 4
(c) Section 5/धारा 5 (d) Section 6/धारा 6

48. Any police officer, service provider or magistrate with whom a complaint has been lodged regarding domestic violence, shall inform the aggrieved person upon such complaint/कोई पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे घरेलू हिंसा की शिकायत (परिवाद) की गई है ऐसे परिवाद पर व्यथिंत व्यक्ति को सूचनाओं से अवगत् कराएगा-

(a) about obtaining free legal service
निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के संबंध में
(b) with respect to an orde for protection order, monetary relief/संरक्षण आदेश, धनीय राहत के लिए किसी आदेश के संबंध में
(c) Availability of services of service providers
सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में
(d) All the above/उपरोक्त सभी के संबंध में

49. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, duties of the incharge of shelter home have been decribed in
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत आश्रय गृहों के प्रभारी के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है-

(a) Section 3/धारा 3 (b) Section 4/धारा 4
(c) Section 5/धारा 5 (d) Section 6/धारा 6

50. Under the Domestic Violence Act, the notified shelter home is bound to provide shelter to aggrieved person/घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रयगृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है- (M.P.A.D.P.O.2008)

(a) only on the request of protection officer
मात्र संरक्षण अधिकारी के अनुरोध पर
(b) only on the request of any Magistrate
मात्र किसी मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर
(c) on the request of any police officer
किसी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर
(d) by written contract or by any registered document/या तो मौखिक करार द्वारा या रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा

51. Who can request to provide shelter or medical aid to as person aggrieved from the incharge of shelter home and incharge of medical services/आश्रयगृह के भारसाधक एवं चिकित्सा सुविधा के भारसाधक व्यक्ति से व्यथित व्यक्ति को आश्रय या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध कौन कर सकता है-

(a) Aggrieved person/व्यथित व्यक्ति
(b) Protection officer/संरक्षण अधिकारी
(c) Service provider/सेवा प्रदाता
(d) All the above/सभी उपरोक्त

52. The duties of an incharge of medical facilities have been defined under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 in–
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत चिकित्सा सुविधाओं के प्रभारी के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है-

(a) Section 3/धारा 3 (b) Section 4/धारा 4
(c) Section 5/धारा 5 (d) Section 7/धारा 7

53. Provisions regaerding appointments of protection officers has been described–
संरक्षण अधिकारियों की नियुक्त के बारे में प्रावधान किया गया है-

(a) Section 7/धारा 7 (b) Section 8/धारा 8
(c) Section 9/धारा 9 (d) Section 10/धारा 10

54. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 who appoints the protection officer?/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है-

(a) State government by notification
राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा
(b) Central government by notification
केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा
(c) State government through notification which will comprise of women as possible who should have such ability and experience as prescribed/राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जिसमें यथासंभव महिलाएं होगी और वह ऐसी योग्यता व अनुभव रेखेगी जो विहित की जाए
(d) None of them are fully true
उपरोक्त में से पूर्ण रूप से कोई सही नहीं है

55. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 protection officer shall be appointed/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी-
(a) by State Government/राज्य सरकार द्वारा
(b) by district Margistrate/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा
(c) by the Governor of state/राज्य के राज्यपाल द्वारा
(d) by Chief Minister of state/राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा

56. Under Section 8 of the Domestic Violence Act the total number of protection officers in each district can be/घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की संख्या हो सकती है-
(a) Only one/मात्र एक
(b) As the State Government deemed fit
जितना राज्य सरकार उचित समझे
(c) Maximum three/अधिकतम तीन
(d) None of them is true/उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है

57. Appointment to the post of protection officers shall be?
संरक्षण अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा-
(a) Old women/वृद्ध महिलाओं को
(b) Women as for as possible/यथासंभव महिलाओं को
(c) Old persons/वृद्ध व्यक्तियों को
(d) Only public servants/केवल लोक सेवकों को

58. Which of the following is true?
निम्नलिखित में से कौन सही है-
(a) Protection officers shall be women as far as possible/संरक्षण अधिकारी, जहाँ तक संभव हो, महिलाएँ होंगी
(b) The District Magistrate should act as protection officer/जिलाधिकारी को संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करना है
(c) The dowry officer shall work as protection officer/जिले के दहेज अधिकारी को संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करना है
(d) None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं

59. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 the duties of protection officer has been described/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है-
(a) Section 7/धारा 7 (b) Section 8/धारा 8
(c) Section 9/धारा 9 (d) Section 10/धारा 10

60. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 the protection officer shall provide which of the following help to a victim of domestic violence?/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित-महिला को संरक्षण अधिकारी निम्न में से कौन सी सहायता प्रदान करेगा-
(a) To provide help to the victim person in filing complaint/पीड़ित व्यक्ति को परिवाद फाइल करने में सहायता देना
(b) to make available information of rights given in proforma 4 to the victim person/पीड़ित व्यक्ति को अधिनियम के प्रारूप-4 में दिये गये अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराना
(c) To provide security to victim person
पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

61. What is true regarding protection officer?
संरक्षण अधिकारी के संबंध में सत्य है-
(a) He shall be under the supersion and control of magistrate/वह मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होगा
(b) He shall abide by the duties imposed by magistrate and government/वह मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा
(c) Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों
(d) Shall abide the duties assigned by the act
अधिनियम द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा

62. Under which section of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 service provider has been described?/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की किस धारा के तहत सेवा प्रदाता का प्रावधान किया गया है-
(a) Section 9/धारा 9
(b) Section 10/धारा 10
(c) Section 11/धारा 11
(d) Section 12/धारा 12

63. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 who can be appointed service provider?/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत सेवा प्रदाता कौन नियुक्त हो सकता है-

(a) Voluntary organization registered under Society Registrstion Act, 1860
सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्ट्रीकृत स्वयं सेवी संगठन
(b) Any company registered under Company Act, 1956/कंपनी एक्ट, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी
(c) Both of the above/उपरोक्त दोनों
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

64. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 duties have been assigned for ensuring all the measures under this act for the Central and State Government in–
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत समस्त उपाय सुनिश्चित करने हेतु किस धारा के तहत कर्तव्य अधिरोपित किए हैं-
(a) Section 11/धारा 11 (b) Section 12/धारा 12
(c) Section 13/धारा 13 (d) Section 14/धारा 14

65. Under Section 9 of the Domestic Violence Act which is not a function of protection officer?/घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 9 के अधीन निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य संरक्षण अधिकारी का नहीं है-
(a) To assit the Magistrate in the discharge of his function/किसी मजिस्ट्रेट को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना
(b) To maintain lists of service providers
सेवा प्रदाताओं की सूची रखना
(c) To get the aggrieved person medically examined/पीड़ित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण करना
(d) To pass orders for monetary compensation
मौद्रिक अनुतोष हेतु आदेश देना

66. Under Section 10 of the Domestic Violence Act who among the following cannot be registered as a service provider?
घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है-
(a) Any volutnary organization registered under Society Registration Act, 1860/सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगठन
(b) Any company registered under Company Act, 1956/कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी
(c) Any company registered under any other law for time being in force/तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी
(d) Social service woman
समाज सेवा प्रदान करने वाली कोई महिला

67. Whose duty to ensure wide publicity of the provision of this act through public media including the television, radio and the print media at regular intervals–
अधिनियम के उपबंधों का नियमित अन्तरालों पर लोक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाना सुनिश्चित करना, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो व प्रिंट मीडिया भी है, किसका कर्तव्य है-
(a) Protection officer/संरक्षण अधिकारी का
(b) State Government/राज्य सरकार का
(c) Central Government/केन्द्र सरकार का
(d) Central and State Government
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार का

68. For seeking one or more reliefs under this act application to the magistrate has been described under which section/इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बारे में प्रावधान किस धारा में किया गया है-
(a) Section 11/धारा 11
(b) Section 12/धारा 12
(c) Section 13/धारा 13
(d) Section 14/धारा 14

69. Under Section 12 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 who can present an application/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अन्तर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है-
(a) Aggrieved person/व्यथित व्यक्ति
(b) Protection officer/संरक्षा अधिकारी
(c) Any other person on behalf the aggrieved person/व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई अन्य व्यक्ति
(d) All the options are true/सभी विकल्प सही

70. Before passing any order on appliation filed under Section 12(1) of the act, the procedure to be followed by the Magistrate?/अधिनियम की धारा 12(1) के आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया है-
(a) He shall send summon to the respondent
वह प्रत्यर्थी को समन करेगा
(b) Receive evidence on the oath of aggrieved person/व्यथित व्यक्ति के शपथ पर साक्ष्य लेगा
(c) Shall consider upon the report of any domestic incident received by the protection officer or service provider in this respect
संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट पर विचार करेगा
(d) Shall expedite the hearing /शीघ्र सुनवाई करेगा

71. Under Section 12 of the Domestic Violence Act, 2005 the first date of hearing on the application for obtaining relief shall not be fixed/घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन अनुतोष हेतु आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन पर सुनवाई की पहली तारीख में सामान्यतः नियत नहीं करेगा-

(a) beyond 10 days from the date of receipt of application
आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन परे
(b) beyond 30 days from the date of receipt of application
आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन परे
(c) beyond 3 days from the date of receipt of application
आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन परे
(d) beyond 15 days from the date of receipt of application
आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन परे

72. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 a complainant shall be submitted by the aggrieved person, protection officer or any other person on behalf of the aggrieved person/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत दुखी व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या दुखी व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत करेगा-

(a) before the Magistrate/मजिस्ट्रेट के समक्ष
(b) before the district Magistrate
जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष
(c) before the state government
राज्य सरकार के समक्ष
(d) before the service provider/सेवा प्रदाता के समक्ष

73. Under Section 12(1) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 a magistrate may pass the following order on receipt of the application/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत धारा 12(1) के तहत परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट निम्न आदेश दे सकता है-

(a) Order regarding giving a compernsation or damages from the respondent/रिस्पॉन्डेन्ट से प्रतिकर/क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिलाने का आदेश
(b) Any other help other than the reliefs mentioned in the option (a)/विकल्प (अ) में दी गई राहत के अलावा अन्य सहायता जो उचित समझे
(c) Both above are true/उपरोक्त दोनों सही है
(d) Both above are wrong/उपरोक्त दोनों गलत है

74. On an application under Section 12 the Magistrate shall fix the date of first hearing, which shall be not be more than how many days from the date of receipt of application? धारा 12 के आवेदन पर मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो आवेदन प्राप्ति की तारीख से कितने दिन अधिक की नहीं होगी-

(a) 3 days/3 दिन (b) 4 days/4 दिन
(c) 5 days/5 दिन (d) 6 days/6 दिन

75. The Magistrate shall endevour to dispose the application within how many days from the date of receipt of application?/मजिस्ट्रेट धारा 12(1) के आवेदन का प्रथम सुनवाई की तारीख से कितने दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा-

(a) 40 days/40 दिन (b) 45 days/45 दिन
(c) 90 days/90 दिन (d) 60 days/60 दिन

76. Under Section 12(1) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 the Magistrte shall fix the date of first hearing on receiving the complaint which shall not be/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत धारा 12(1) के तहत परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट सुनवाई हेतु प्रथम तारीख नियत करेगा जो-

(a) beyond 3 days/3 दिनों के पश्चात् की नहीं होगी
(b) beyond 10 days/10 दिनों के पश्चात् की नहीं होगी
(c) beyond 5 days/5 दिनों के पश्चात् की नहीं होगी
(d) beyond 30 days/30 दिनों के पश्चात् की नहीं होगी

77. A provision regarding serving of the notice has been made–
सूचना की तामील के बारे में प्रावधान किया गया है-

(a) Section 12/धारा 12 (b) Section 13/धारा 13
(c) Section 14/धारा 14 (d) Section 15/धारा 15

78. The protection officer shall serve the date of notice given by the magistrate–
संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गए नोटिस या सूचना की तारीख तामील करेगा-

(a) To the respondent/प्रत्यर्थी पर
(b) To other person (as directed by Magistrate)
अन्य व्यक्ति पर (मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित)
(c) Within 2 days from the receipt of information/सूचना प्राप्ति के 2 दिन के भीतर
(d) All the above/उपरोक्त सभी

79. Under Section 12 of the Domestic Violence Act, the information about date of hearing fixed will be given to/घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन नियत की गयी सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा दी जायेगी-

(a) Respondent/प्रत्युत्तरदाता को
(b) Protection officer/संरक्षण अधिकारी को
(c) Service provider/सेवा प्रदाता को
(d) The incharge of that police station in whose area the respondent resides/पुलिस थाने के प्रभारी को जिसके क्षेत्र में प्रत्युत्तरदाता निवास करता है

80. Under Section 12 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 the notice of date of hearing given by magistrate–
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत धारा 12 के अधीन नियत की गई तारीख को नोटिस तामील हेतु मजिस्ट्रेट द्वारा-
(a) to the protection officer
सुरक्षा अधिकारी को दिया जाएगा
(b) to the service provider/सेवा प्रदाता को दिया जायेगा
(c) can be given to either of them
दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है
(d) cannot be given to either of them
दोनों में से किसी को नहीं दिया जा सकता

81. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 the Magistrate may at any stage of the proceeding direct the aggrieved person or respondent to undergo counselling wit service provider. In such case the next date of hearing/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत मजिस्ट्रेट कार्यवाही के किसी भ प्रक्रम पर व्यथित व्यक्ति व प्रत्यर्थी को सेवा प्रदाता से परामर्श हेतु निर्देशित कर सकता है ऐसी दशा में मामले की अगली सुनवाई हेतु तारीख-
(a) Shall be fixed within a period not exceeding two months/दो माह से अनधिक समयावधि के भीतर नियत की जावेगी
(b) Shall be fixed within a period not exceeding one month/एक माह से अनधिक समयावधि के भीतर नियत की जावेगी
(c) Shall be fixed within a period not exceeding three months/तीन माह से अनधिक समयावधि के भीतर नियत की जावेगी
(d) Shall be fixed within a period not exceeding four months/चार माह से अनधिक समयावधि के भीतर नियत की जावेगी

82. Provisions regarding services of welfare officers have been described/कल्याण विशेषज्ञों की सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है-
(a) Section 14/धारा 14 (b) Section 15/धारा 15
(c) Section 16/धारा 16 (d) Section 17/धारा 17

83. The aggrieved person shall be evicted or excluded from any shared household or part of the household by the respondent/कोई व्यथित व्यक्ति, प्रत्यर्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जाएगा-
(a) True/सही है
(b) False/गलत है
(c) Can be evictd or deprived in special circumstances by the order of the court
विशेष परिस्थितियों में न्यायालयी आदेश से बेदखल या अपवर्जित किया जा सकता है
(d) in accordance with the procedure established by law evicted or deprived/विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में बेदखल या अपवर्जित किया जा सकता है

84. State the false statement–
The Magistrate may for the purpose of assisting him in the discharge of his duties obtain the service of/असत्य कथन बताइये-
मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए सेवायें प्राप्त कर सकेगा-
(a) Any woman/किसी महिला की
(b) Such person who is engaged in promotion of familiy welfare/ऐसे व्यक्ति की जो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हो
(c) Any woman who may be or not a relative of the aggrieved person/कोई महिला जो व्यथित व्यक्ति की नातेदार हो या नहीं
(d) Any woman, who is not a relative of aggreived person/कोई महिला, जो व्यथित व्यक्ति की नातेदार न हो

85. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 the proceedings to be carried in camera by the magistrate. This provision is describe in section/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही मजिस्ट्रेट द्वारा बंद कमरे में की, जायेगी, यह प्रावधान धारा में है-
(a) Section 16/धारा 16
(b) Section 17/धारा 17
(c) Section 18/धारा 18
(d) Section 19/धारा 19

86. Whether the proceeding to be held in camera on the desire of party other than the magistrate–
क्या मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य पक्षकार की वांछा पर भी कार्यवाहियाँ बंद कमरे में की जा सकेगी-
(a) Yes/हाँ
(b) by the Government order/सरकार के आदेश से
(c) No/नहीं
(d) by the Collector order/कलेक्टर के आदेश से

87. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 the aggrieved woman shall have the right to live in a shared household. This provision is made in which section?/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत व्यथित स्त्री को सांझी गृहस्थी में निवास का अधिकार होगा यह प्रावधान किस धारा में है-

(a) Section 16/धारा 16
(b) Section 17/धारा 17
(c) Section 18/धारा 18
(d) Section 19/धारा 19

88. Point out the wrong pair/गलत जोड़ी बताइये-
(a) Section 18 - Protection order
धारा 18 - संरक्षण आदेश
(b) Section 19 - Residence order
धारा 19 - निवास आदेश
(c) Section 20 - Monetary relief
धारा 20 - धनीय अनुतोष
(d) Section 21 - Custody orders
धारा 21 - अभिरक्षा आदेश
(e) Section 22 - Interim order
धारा 22 - अंतरिम आदेश

89. Which of the following order may be passed in favour of aggrieved woman and against the respondent?/मजिस्ट्रेट द्वारा व्यथित महिला के पक्ष में और प्रत्यर्थी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन-सा आदेश पारित किया जा सकेगा-
(a) Protection order/संरक्षण आदेश
(b) Monetary relief order/आर्थिक अनुतोष आदेश
(c) Compensation order/प्रतिकर आदेश
(d) All the options are true/सभी विकलप सही

90. Under Section 18 of the Domestic Violence Act protection order can be passed–
घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है-
(a) by Protection officer/संरक्षण अधिकारी द्वारा
(b) by Service provider/सेवा प्रदाता द्वारा
(c) by any Magistrate/किसी मजिस्ट्रेट द्वारा
(d) by a Civil Court/दीवानी न्यायालय द्वारा

91. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 the magistrate may after giving the aggrieved person and respondent an opportunity of being heard pass a protection order and prohibit the respondent that–
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति और रिस्पॉन्डेंट को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्न प्रकार से संरक्षण आदेश पारित कर प्रत्यर्थी को प्रतिषिद्ध कर सकेगा कि-
(a) he does not commit any act of domestic violence/वह घरेलू हिंसा का कोई कार्य कारित न करें
(b) he does not make an attempt to communicate in any way with the aggrieved person/व्यथित व्यक्ति के साथ जितनी हो किसी भी रूप में संसूचना करने का प्रयास न करे
(c) he is prohibited to enter the place of employment of the aggrieved person or where the aggrieved person used to visit normally
व्यथित व्यक्ति के नियोजन वाले स्थान में या जहाँ व्यथित सामान्यतः आता जाता है में प्रवेश करने से प्रविरत रहे
(d) All the above/उपरोक्त सभी

92. Under the Section 12(1) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 whlei disposing of an application under Section 12(1), the magistrate may on being satisfied that domestic violence has taken place, then may peirs following orders/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के तहत परिवाद की निपटारा करते समय यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाये कि घरेलू हिंसा घटित हो गई है तो वह निम्न निवास आदेश पारित कर सकेगा-
(a) direction to leave the shared household to the respondent/रिस्पॉडेन्ट को साझी गृहस्थी से स्वयं को हटने के लिए निर्देशिता
(b) restraining from dispossessing from a shared household or disturbing the possession of the aggrieved person in other manner/साझी गृहस्थी से व्यथित व्यक्ति को बेदखल करने या अन्य रीति से कब्जे में विघ्न, बाधा डालने से रोकने बाबत्
(c) restraining the respondent from renouncing his right in the shared household except with the leave of the magistrate/मजिस्ट्रेट की अनुमति के सिवाय सांझी गृहस्थी से अपने अधिकारों का परित्याग करने से रिस्पॉडेन्ट को रोकने के आदेश
(d) All the above/उपरोक्त सभी

93. Under the Domestic Violence Act Magistrate may pass residing order–
घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा निवास आदेश पारित किया जा सकता है-
(a) Section 12/धारा 12 में
(b) Section 18/धारा 18 में
(c) Section 19/धारा 19 में
(d) Section 21/धारा 21 में

94. When the respondent shall not be ordered to remove himself from all shared household under the residence order, if he is
कब प्रत्यर्थी को निवास आदेश के अधीन सभी सांझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का आदेश नहीं दिया जाएगा यदि वह है?-
(a) a woman/महिला
(b) a handicap/विकलांग
(c) a aged man/बुजुर्ग
(d) child/बालक

95. The monetary reliefs provided under Section 20 of the Domestic Violence Act shall include– घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 में प्रदत्त धनीय अनुतोषों में सम्मिलित हो सकेंगे?-

(a) Loss of earning/उपार्जनों को हानि
(b) Medical expenses/चिकित्सीय खर्चे
(c) Maintenance for the aggrieved person and his children/व्यथित व्यक्ति वं उसकी संतान हेतु भरण पोषण
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

96. State the true statements in respect of monetary reliefs/धनीय अनुतोष के संबंध में सत्य कथन बतायें

(a) it will be adequate, proper and reasonable पर्याप्त उचित और युक्तियुक्त होगा
(b) shall be consistent with the standard of living to which the aggrieved person is accustomed उस जीवन स्तर, जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्त है संगत होगा
(c) it can be a lumpsum amount or monthly एक मुश्त या मासिक हो सकेगा
(d) All the above/उपरोक्त सभी

97. In which provision under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 the magistrate may pass temporary custody order of boys/girls of the aggrieved person?/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन किस प्रावधान में व्यथित व्यक्ति के बालक/बालिकाओं की अस्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है-

(a) Under Section 20/धारा 20 के अधीन
(b) Under Section 21/धारा 21 के अधीन
(c) Under Section 22/धारा 22 के अधीन
(d) Under Section 23/धारा 23 के अधीन

98. A magistrate may pass order of payment of compensation for damages under the Domestic Violence Act– घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट क्षतियों के लिए प्रतिकर संदाय हेतु आदेश पारित कर सकता है-

(a) Section 21/धारा 21 में
(b) Section 22/धारा 22 में
(c) Section 20/धारा 20 में
(d) Section 23/धारा 23 में

99. In the order of compensation passed by a magistrate include/मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये प्रतिकर आदेश में सम्मिलित है-

(a) Mental torture/मानसिक यातना
(b) Emotional direction/भावनात्मक संकेत
(c) Both (a) and (b)/'अ' और 'ब' दोनों
(d) Ex-parte compensation/एक पक्षीय प्रतिकर

100. Under which section of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 there is provision of interim order– घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अंतरिम आदेश देने का प्रावधान किस धारा में है?

(a) Section 20/धारा 20 (b) Section 21/धारा 21
(c) Section 22/धारा 22 (d) Section 23/धारा 23

101. Magistrate upon prima facie disclosure upon the affidavit of aggrieved person under Sections 18, 19, 20, 21 and 22 may pass order against respondent/मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टता-?- प्रकट होने पर धारा 18, 19, 20, 21 व 22 के अधीन व्यथित के शपथपत्र पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध दे सकेगा-

(a) Interim order/अंतरिम आदेश
(b) Ex-parte order/एक पक्षीय आदेश
(c) Both (a) and (b)/'a' और 'b' दोनों
(d) Any order/कोई भी आदेश

102. Provision regarding making available free of cost copies of order of court have been made under– न्यायालयों के आदेशों की निःशुल्क प्रतियाँ उपलब्ध कराए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है-

(a) Section 23/धारा 23
(b) Section 24/धारा 24
(c) Section 25/धारा 25
(d) Section 26/धारा 26

103. The magistrate shall make available free of cost one copy of such an order in all those cases in which any order has been passed– मजिस्ट्रेट सभी मामलों में जिनमें कोई आदेश दिया गया है ऐसे आदेश की एक-एक प्रति उपलब्ध करायेगा (निःशुल्क)-

(a) Party of application/आवेदन के पक्षकार
(b) the incharge of police station पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी
(c) Service provider/सेवा प्रदाता
(d) All the above/उपरोक्त सभी

104. Provisions regarding duration of orders and alteration in it has been made under– आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन के बारे में प्रावधान किया गया है-

(a) Section 24/धारा 24
(b) Section 25/धारा 25
(c) Section 26/धारा 26
(d) Section 28/धारा 28

105. The protection order passed under Section 18 will be enforceable?/धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश कब तक प्रवर्तन में रहेगा?

(a) till it is not executed
जब तक उसका निष्पादन नहीं कर दिया जाता

(b) till it is not cancel by court
जब तक न्यायालय उसे रद्द नहीं कर देगा

(c) till the aggrieved person applied for discharge
जब तक व्यथित निर्मोचन के लिए आवेदन करता रहे

(d) Both (a) and (b)/'a' और 'b'

106. Inspite of obtaining relief under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 the aggrieved person shall not be prevented from seeking other legal action before the civil court or family court or criminal court. In which section this provision is made?/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अनुतोष या राहत प्राप्त करने पर भी व्यथित व्यक्ति सिविल न्यायालय या कुटुम्ब न्यायालय या दांडिक न्यायालय के समक्ष अन्य विधिक कार्यवाही करने से निवारित नहीं होगा, यह प्रावधान किस धारा में है-

(a) Section 23/धारा 23

(b) Section 24/धारा 24

(c) Section 25/धारा 25

(d) Section 26/धारा 26

107. Relief provided under Section 18, 19, 20, 21 and 22 can be claimed in proceeding before civil, family or criminal court–
धारा 18,19,20,21 व 22 के अधीन उपबंधित अनुतोष किसी सिविल, कुटुम्ब या दाण्डिक न्यायालय के समझ की कार्यवाही में किया जा सकेगा-

(a) True/सही

(b) False/गलत

(c) It is the discretion of court
न्यायालय का विवेक है

(d) Never/कभी नहीं

108. Application under Section 21(1) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 shall be presented before the court of judicial magistrate or metropolitan magistrate within the local limits of which//घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धारा 12(1) के तहत आवेदन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जिसके स्थानीय सीमाओं के भीतर-

(a) the aggrieved person resides permanently or temporarily or carries on business or is employed/जहाँ व्यथित व्यक्ति स्थाई या अस्थाई रूप से निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजित है

(b) the respondnet resides or carries on business or is employed/जहाँ प्रत्यर्थी निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजित है

(c) where the cause of action has arisen
जहाँ वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है

(d) At any of the above place
उपरोक्त में से किसी भी स्थान पर

109. An order passed under the Protection of Women from Domestic Violence Act shall be enforceable in/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया जाने वाला आदेश प्रवर्तनीय होगा:-

(a) in court jurisdiction
न्यायालयी अधिकार क्षेत्र मे

(b) whole of state/सम्पूर्ण राज्य में

(c) whole of India/संम्पूर्ण भारत में

(d) in appropriate areas/युक्तियुक्त क्षेत्रों में

110. Under Section 12(1) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 while taking action, the Magistrate shall follow which of the following procedure?
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 (1) के तहतकार्यवाही करते समय मजिस्ट्रेट किस प्रक्रिया को अपनायेगा:-

(a) Save as otherwise provided in this act, all proceeding under Section 12, 18-23 and offence under Section 31 shall be governed by the provision of the Code of Criminal Procedure, 1973/इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय समस्त कार्यवाहियॉ धारा 12,18-23 के तहत और धारा 31 के तहत अपराध दं.प्र.सं. के उपबंधों द्वारा शासित होगें

(b) Nothing in Section 28(1) shall prevent the court from laying down its own procedure for disposal of an application under Section 12 or under sub-section (2) of Section 23
धारा 28 की उपधारा 1कोई बात न्यायालय को धारा 12 या धारा 23 की उपधारा 2 के अधीन आवेदन के निपटारे हेतु स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने से निवारित नहीं करेगी

(c) Both of the above are true/उपरोक्त दोंनों सही है

(d) Both of the above are false/उपरोक्त दोनों गलत है

111. Save as otherwise provided in the act, the provision of the Criminal Procedure Code, 1973 shall not apply in the following proceeding–/इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय निम्नांकित कार्यवाहियों में दण्ड प्रक्रिया संहिसा, 1973 के उपबंध लागू नहीं होंगे:-

(a) application to the protection officer under Section 13/धारा 13 के अन्तर्गत संरक्षण अधिकारी के आवेदन

(b) protection order passed under Section 18
धारा 18 के अन्तर्गत संरक्षण आदेश

(c) order of monetary relief under Section 20
धारा 20 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता आदेश
(d) compensation order under Section 22
धारा 22 के अन्तर्गत प्रतिकार आदेश

112. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 provision regarding appeal against Magistrate order, has been describe–
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध अपील के बारे में प्रावधान किया गया है ।
(a) Section 28/धारा 28 (b) Section 29/धारा 29
(c) Section 30/धारा 30 (d) Section 31/धारा 31

113. An appeal can be filed against any order passed by a Magistrate before–
इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है :-
(a) the Chief Judicial Magistrate
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को
(b) to Sessions Court/सेशन न्यायालय को
(c) to High Court/उच्च न्यायालय को
(d) sub-divisional or district Magistrate
उपखण्ड या जिला मजिस्ट्रेट को

114. An appeal can be filed against order of Magistrate within/मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के विरूध्द अपील की जा सकेगी :-
(a) 30 days/30 दिन में
(b) 45 days/45 दिन में
(c) 60 days/60 दिन में
(d) 90 days/90 दिन में

115. The protection officers and service providers are declared public servants/संरक्षण अधिकारियों एवं सेवा प्रदाताओं को लोक सेवक घोंषित करती है:-
(a) Section 29/धारा 29 (b) Section 30/धारा 30
(c) Section 31/धारा 31 (d) Section 32/धारा 32

116. Which of the folloing considered to be public servant under Section 21 of Indian Penal Code–
निम्नलिखित में से कौन भारतीय दण्ड सहिंसा की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएगे:-
(a) Protection officer/संरक्षण अधिकारी
(b) Member of service provider members
सेवा प्रदाता के सदस्य
(c) Both of the above/उपरोक्त दोनों
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

117. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 in case of violation of protection order by the respondent a punishment can be imposed–
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन की दशा में उस पर अधिरोपित की जा सकेगी:-
(a) imprisonment upto one year or penalty of twenty thousand rupees or both/एक वर्ष तक कारावास या बीस हजार रूपया तक जुर्माना या दोनों
(b) imprisonment upto 2 years or penalty of twenty thousand rupees or both/दो वर्ष तक कारावास या बीस हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों
(c) imprisonment upto 1 year or penalty of Rs. 10 thousand or both/एक वर्ष तक करावास या दस हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों
(d) imprisonment upto 6 month or 10 thousand rupees penalty or both/छः मास तक कारावास या दस हजार रूपये तक जूर्माना या दोनों

118. Under Section 31 and 32 of the Domestic Violence Act violation of the protection order shall be a crime/घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 एवं 32 के अधीन संरक्षण आदेश का भंग किया जाना एक अपराध होगा :-
(a) Cognizable and bailable/संज्ञेय एवं जमानतीय
(b) Cognizable and non-bailable
संज्ञेय एवं गैर जमानतीय
(c) Non-cognizable and bailable
असंज्ञेय एवं जमानीय
(d) Non-cognizable and non-bailable
असंज्ञेय एवं गैर जमानतीय

119. Offence under Section 31(1) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 shall be/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 धारा 31 (1) का अपराध होगा:-
(a) Non-cognizable and non-bailable
असंज्ञेय और गैरजमानतीय
(b) Non-cognizable and bailable
असंज्ञेय और जमानतीय
(c) Cognizable and bailable
संज्ञेय और जमानतीय
(d) Cognizable and non-bailable
संज्ञेय और गैर-जमानतीय

120. Where any protection officer fails to discharge his duties without any sufficient reason, he shall be liable–
जहॉ कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित अपने कर्तव्यों का बिना पर्याप्त कारण के निर्वहन करने में विफल रहता है वहॉ वह उत्तरदायी होगा:-
(a) Termination of service/सेवा समाप्ति हेतु
(b) Compensation/क्षतिपूर्ति हेतु
(c) For punishment of imprisonment or fine both
कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित करने हेतु
(d) Punishable only with fine
मात्र जुर्माने द्वारा दण्डित होने हेतु

121. A provision of penalty has been made for not discharging duties by the protection officer is–
संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति का उपबंध किया गया है-

(a) Section 32/धारा 32 (b) Section 33/धारा 33
(c) Section 34/धारा 34 (d) Section 35/धारा 35

122. Under Section 31 of the Domestic Violence Act the maximum punishment of imprisonment for violating the protection order shall be–
घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 31 के आधीन प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग किए जाने पर कारावास की अधिकतम शास्ति होगी :-
(a) Six months/छह माह (b) One year/एक वर्ष
(c) Two years/दो वर्ष (d) Three years/तीन वर्ष

123. If any protection officer fails to discharge his duties as specified by the Magistrate without any adequate reason or refuses to follow his duties then he shall be punish with/यदि कोइ संरक्षक अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहता है या इन्कार करता है तो वह दंडित किया जा सकेगा :-
(a) Six months imprisonment
छः माह का कारावास
(b) One year imprisonment
एक वर्ष का कारावास
(c) One year imprisonment or a penalty of twenty thousand rupees
एक वर्ष का करावास या बीस हजार रूपए जुर्माना
(d) Five years imprisonment or a penalty of thirty thousand rupees
पाँच वर्ष का कारावास या तीस हजार रूपए जुर्माना

124. A provision regarding cognizance against the protection officer has been made under–
संरक्षण अधिकारी के विरूद्ध संज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है :-
(a) Section 33/धारा 33 (b) Section 34/धारा 34
(c) Section 35/धारा 35 (d) Section 36/धारा 36

125. It is necessary for initating legal action against any protection officer that–
किसी संरक्षण अधिकारी के विरूध्द किसी अभियोजन या विधिक कार्यवाही के लिए आवश्यक है कि:-
(a) a prior permission is obtained from the state government or officer authorised by it in this behalf
राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ली जाए
(b) a complaint is filed
परिवाद प्रस्तुत किया जाए
(c) Both (a) and (b)
उपरोक्त 'अ' व 'ब'
(d) Only (a)/उपरोक्त केवल 'अ'

126. Protection against prosecution or other legal proceeding has been provided to protection officer for action taken in good faity/सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण अधिकारी को वाद, अभियोजन एवं विधि कार्यवाही से संरक्षण प्रदान किया गया है:-
(a) Section 33/धारा 33 (b) Section 34/धारा 34
(c) Section 35/धारा 35 (d) Section 36/धारा 36

127. Under which section of the Domestic Violence Act, 2005 a protection of action taken in good faith provided/घरेलू हिंसा से महिलाओं का सांक्षण अधिनियम, 2005 की किस धारा के आधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण संरक्षण प्रदान किया गया है-
(a) Section 33/धारा 33
(b) Section 30/धारा 30
(c) Section 35/धारा 35
(d) Section 36/धारा 36

128. Every rule made under this act shall be laid as soon as possible before each house of parliament
इस अधिनियम के आधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा-
(a) within 10 days/10 दिन के भीतर
(b) within 15 days/15 दिन के भीतर
(c) within 30 days/30 दिन के भीतर
(d) within 45 days/45 दिन के भीतर

उत्तरमाला (Answer Key)

1. (a)	14. (c)	27. (a)	40. (b)	53. (b)	66. (d)	79. (a)	92. (d)	105. (c)	118. (b)
2. (a)	15. (a)	28. (d)	41. (c)	54. (c)	67. (d)	80. (a)	93. (c)	106. (d)	119. (d)
3. (b)	16. (d)	29. (d)	42. (b)	55. (a)	68. (b)	81. (a)	94. (a)	107. (a)	120. (c)
4. (d)	17. (a)	30. (b)	43. (b)	56. (b)	69. (d)	82. (b)	95. (d)	108. (d)	121. (b)
5. (d)	18. (d)	31. (d)	44. (a)	57. (b)	70. (c)	83. (d)	96. (d)	109. (c)	122. (b)
6. (a)	19. (c)	32. (d)	45. (c)	58. (a)	71. (c)	84. (d)	97. (b)	110. (c)	123. (c)
7. (b)	20. (a)	33. (d)	46. (a)	59. (c)	72. (a)	85. (a)	98. (b)	111. (a)	124. (b)
8. (b)	21. (d)	34. (c)	47. (c)	60. (d)	73. (c)	86. (a)	99. (c)	112. (b)	125. (c)
9. (d)	22. (a)	35. (b)	48. (d)	61. (c)	74. (a)	87. (b)	100. (d)	113. (b)	126. (c)
10. (d)	23. (b)	36. (c)	49. (d)	62. (b)	75. (d)	88. (e)	101. (b)	114. (a)	127. (c)
11. (d)	24. (d)	37. (a)	50. (a)	63. (c)	76. (a)	89. (d)	102. (b)	115. (b)	128. (c)
12. (d)	25. (c)	38. (d)	51. (d)	64. (a)	77. (b)	90. (c)	103. (d)	116. (c)	
13. (a)	26. (b)	39. (d)	52. (d)	65. (d)	78. (d)	91. (d)	104. (b)	117. (a)	

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

1. How many chapters and sections are in the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 में कितने अध्याय एवं धाराएँ है–

(a) 7 Chapters, 25 Sections/7 अध्याय, 25 धाराएँ
(b) 6 Chapters, 30 Sections/6 अध्याय, 30 धाराएँ
(c) 8 Chapters, 30 Sections/8 अध्याय, 30 धाराएँ
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं

2. Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition Act, 2013 extends to–/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 का विस्तार है–

(a) the whole of India/सम्पूर्ण भारत पर
(b) the whole of India except Jammu & Kashmir जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर
(c) Area fixed by the Central Government notification in official gazette/केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत स्थानों पर
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

3. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 any woman shall be considered as an aggrieved woman only when she is of the following age?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई महिला तभी व्यथित महिला कहलायेगी जब वह निम्न आयु की होगी।

(a) 18 years/18 वर्ष की (b) 21 years//21 वर्ष की
(c) 16 years//16 वर्ष की
(d) Any age/किसी भी आयु की

4. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition and Act, 2013 an aggrieved woman means?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत व्यथित महिला से अभिप्रेत है।

(a) who at any workplace alleges to have been subjected to any act of sexual harassement by the respondent/जो किसी कार्य स्थल में प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अधीन रहने का अभिकथन करती है।
(b) employed in relations to a dwelling house or house/किसी निवास गृह या गृह के संबंध में नियोजित है।
(c) a woman of any age महिला जो किसी भी आयु की हो।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

5. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition and Act, 2013 any woman shall be considered as an aggrieved woman when she is .... at a workplace– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई महिला व्यथित महिला होगी जब वह किसी कार्य स्थल पर......... होगी।

(a) Employed/नियोजित
(b) Not employed/नियोजित नहीं
(c) Employed or not employed नियोजित हो या नहीं
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

6. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition Act, 2013 the term Chairperson means–/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है।

(a) the Chairperson of Local complaint committee under sub-section (1) of Section 7/धारा 7 की उप धारा 1 के अधीन स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष
(b) the Chairperson of Local complaint committee under sub-section (1) of Section 8/धारा 8 की उप धारा 1 के अधीन स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष
(c) the Chairperson of Local complaint committee under sub-section (1) of Section 5/धारा 5 की उप धारा 1 के अधीन स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष
(d) District Magistrate under sub-section (1) of Section 5/धारा 5 की उप धारा 1 के अधीन जिला अधिकारी

7. "The notified officer" under Section 5 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 means/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 5 के अधीन अधिसूचित अधिकारी से अभिप्रेत है।

(a) The President/अध्यक्ष
(b) District Officer/जिला अधिकारी
(c) Employer/नियोजक
(d) Presiding Officer/पीठासीन अधिकारी

8. The word "Domestic Worker" under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 means such a woman who works in any household–
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत घरेलू कर्मकार से ऐसी महिला अभिप्रेत है जो किसी गृह में कार्य करती है।
(a) for remuneration in the form of cash or kind
नकद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक के लिए
(b) Employed on the temporary, permanent, part-time or full time basis/अस्थाई, स्थाई, अंशकालिक या पूर्ण कालिक आधार पर नियोजित है।
(c) It does not include female members of employer/इसमें नियोजक के कुटुम्ब की कोई सदस्य महिला सम्मिलित नहीं है।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

9. An "Internal Committee" under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 means/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक समिति से अभिप्रेत है।
(a) Internal complaint committee constituted under Section 4
धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति
(b) Internal complaint committee constituted under Section 6
धारा 6 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति
(c) Internal complaint committee constituted under Section 7
धारा 7 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति
(d) Internal complaint committee constituted under Section 8
धारा 8 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति

10. A "Local Committee" under Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 means/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''स्थानीय समिति'' से अभिप्रेत है।
(a) Local complaint committee constituted under Section 4/धारा 4 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति
(b) Local complaint committee constituted under Section 6/धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति
(c) Local complaint committee constituted under Section 7/धारा 7 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति
(d) Local complaint committee constituted under Section 8/धारा 8 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति

11. The word "member" under Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 means/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''सदस्य'' से अभिप्रेत है।
(a) a member of internal committee
आंतरिक समिति का सदस्य
(b) a member of local committee
स्थानीय समिति का सदस्य
(c) Both of the above/उपरोक्त दोनों
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

12. "Presiding officer of the Internal Complaint Committee specified under the sub-section (2) of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 means–
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन नाम निर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी'' से अभिप्रेत है।
(a) The President/अध्यक्ष
(b) District Magistrate/जिला अधिकारी
(c) Employer/नियोजक
(d) Presiding officer/पीठासीन अधिकारी

13. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 a person against whom the aggrieved women has made a complaint under Section 9 is meant to/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है'' से अभिप्रेत है।
(a) Aggrieved woman/पीड़ित महिला
(b) Offender/अपराधी
(c) Respondent/प्रत्यर्थी
(d) Complainant/परिवादी

14. Under Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the term "Sexual harassment includes one or more unwelcome acts–
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''लैंगिक उत्पीड़न'' में एक या अधिक निंदनीय कार्य सम्मिलित है।
(a) Physical touch and take advantage
शारीरिक सम्पर्क और फायदा उठाना
(b) Demand or request of sexual favor or making sexually coloured remarks/लैंगिक पक्षपाद की माँग या अनुरोध या लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियाँ
(c) Showing pornography or unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nautre
अश्लील साहित्य दिखाना या लैंगिक प्रकृति का निंदनीय, शारीरिक या गैर शाब्दिक आचरण करना
(d) All the above/उपरोक्त सभी

15. Any sector related to workplace under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 will come under the category of "Unorganized Sector" if the number of employees (workers) is–
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई सेक्टर किसी कार्य स्थल के संबंध में ''असंगठित सेक्टर'' होगा यदि उसमें कर्मकारों की संख्या होगी।

(a) less than 50/50 से कम
(b) less than 10/10 से कम
(c) more than 10/10 से अधिक
(d) more than 10 but less than 50
10 से अधिक किन्तु 50 से कम

16. Under which section of Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013 provisions regarding "Prevention from sexual harassment" are laid? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''लैंगिक उत्पीड़न से निवारण'' संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है।
(a) Under Section 2/धारा 2 के अंतर्गत
(b) Under Section 3/धारा 3 के अंतर्गत
(c) Under Section 4/धारा 4 के अंतर्गत
(d) Under Section 5/धारा 5 के अंतर्गत

17. The Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provides for prevention of sexual harassment of women at places?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 किस स्थान पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से निवारण का प्रावधान करता है।
(a) Anywhere/कहीं भी
(b) Home/गृह में
(c) Workplace/कार्यस्थल पर
(d) Any unorganized place/अनियोजित स्थान में

18. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the following circumstances among other circumstances if it occurs in relation to any act or behaviour of sexual harassement may amount to sexual harassement–/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अन्य परिस्थितियों के साथ भी लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में उत्पन्न होने वाली निम्न परिस्थितियों को भी लैंगिक उत्पीड़न माना जा सकेगा।
(a) Implied or explicit promise of preferential treatment is employement, detrimental treatment of present or future employment status/नियोजन में अधिमानी व्यवहार, अहितकारी व्यवहार का वर्तमान या भावी नियोजन की प्रास्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना।
(b) Interference withher work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her/उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करना
(c) Humiliating treatment likely to affect her health or safety/उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण करना
(d) All the above/उपरोक्त सभी

19. Under which section of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provisions regarding "Constitution of internal complaint committee"?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''आंतरिक परिवाद समिति का गठन'' संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है।
(a) Under Section 2/धारा 2 के अंतर्गत
(b) Under Section 3/धारा 3 के अंतर्गत
(c) Under Section 4/धारा 4 के अंतर्गत
(d) Under Section 5/धारा 5 के अंतर्गत

20. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 who will constitute an "Internal Complaint Committee" by a written order at any workplace?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किसी कार्य स्थल में लिखित आदेश द्वारा ''आंतरिक परिवाद समिति'' नाम समिति का गठन करेगा।
(a) District Magistrate/जिला अधिकारी
(b) The President/अध्यक्ष
(c) Employer/नियोजक
(d) Secretary/सचिव

21. Who will be the presiding officer in the internal complaint committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक परिवाद समिति में पीठासीन अधिकारी होगा।
(a) President/अध्यक्ष
(b) Employed woman/नियोजित महिला
(c) Employed woman of senior level
वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला
(d) a woman secretary/सचिव महिला

22. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 how many employee members will be there in the internal complaint committee who possess knowledge about law or have experience of social reform or who are preferentially committed towards the woman's problem?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक परिवाद समिति में महिलाओं की समस्या के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध या समाज सुधार का अनुभव या विधिक ज्ञान रखने वाले कितने कर्मचारी सदस्य होंगे।
(a) Atleast 1/कम से कम 1
(b) Not less than 2/2 से अन्यून
(c) Atleast half/कम से कम आधे
(d) Less than 10/10 से कम

23. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013, the member of the internal committee, who is committed to the problems of women or is well conversant with issues related to sexual harassment should be from area?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत समिति में एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित है किस क्षेत्र से होगा।

(a) Government sector/सरकारी क्षेत्र से
(b) A non-government organization or associations/गैर सरकारी संगठनों या संगमों से
(c) Non-organized sector/असंगठित क्षेत्र से
(d) Organized sector/संगठित क्षेत्र से

24. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013, how many women members will be there in the total nominated members of the internal complaint committee?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक परिवाद समिति में नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से कितनी महिला सदस्य होगी।

(a) More than half members/आधे से अधिक सदस्य
(b) Atleast half members//कम से कम आधे सदस्य
(c) Atleast three members/कम से कम तीन सदस्य
(d) Atleast five members/कम से कम पांच सदस्य

25. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013, for how much time period, the presiding officer and the members of the internal complaint committee shall hold office from the date of nomination?
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी और सदस्य नाम निर्देशन से कितनी अवधि तक पद धारण करेगा।

(a) Not more than 3 years/3 वर्ष से अनधिक
(b) Not more than 5 years/5 वर्ष से अनधिक
(c) Not more than 7 years/7 वर्ष से अनधिक
(d) Not more than 10 years/10 वर्ष से अनधिक

26. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013, what is false regarding grounds of dismissal of the President and members of the internal complaint committee?
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक परिवाद समिति का अध्यक्ष व सदस्य को पद से हटाये जाने के आधारों के संबंध में क्या असत्य है।

(a) He violates the provisions of Section 14
वह धारा 14 के उपबंधों का उल्लंघन करता है
(b) He is convicted of any offence or any inquiry is pending/किसी अपराध का सिद्धदोष है या जांच लंबित है
(c) He is convicted of disciplinary action or inquiry is pending/अनुशसनिक कार्यवाही में दोषी है या जांच लंबित है
(d) He has abused his position as to render his continuance on post against public interest
अपनी हैसियत का दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर रहना लोकहित के प्रतिकूल है।

27. In which section under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013, provisions regarding "Notifications of District officer"?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''जिला अधिकारी की अधिसूचना'' संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है।

(a) Under Section 4/धारा 4 के अंतर्गत
(b) Under Section 5/धारा 5 के अंतर्गत
(c) Under Section 6/धारा 6 के अंतर्गत
(d) Under Section 7//धारा 7 के अंतर्गत

28. For using the powers specified under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 who will issue notification as a District Officer–/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु कौन जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचना जारी करेगा।

(a) Appropriate Government/समुचित सरकार
(b) State Government/राज्य सरकार
(c) Central Government/केन्द्र सरकार
(d) The President/राष्ट्रपति

29. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 who may be notified as District Officer by appropriate Government?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत समुचित सरकार किसे जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगी।

(a) District Magistrate or Additional District Magistrate/जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट
(b) Collector/कलेक्टर
(c) Deputy Collector/उप कलेक्टर
(d) Any one of the above/उपरोक्त में से कोई भी

30. In which section of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provisions regarding "Constitution of local committee and its jurisdiction" are prescribed?
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''स्थानीय समिति का गठन और उसकी अधिकारिता'' संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है।

(a) Under Section 4/धारा 4 के अंतर्गत
(b) Under Section 5/धारा 5 के अंतर्गत
(c) Under Section 6/धारा 6 के अंतर्गत
(d) Under Section 7/धारा 7 के अंतर्गत

31. Under the the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the formation of local committee shall be done for what?
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थानीय समिति का गठन किस हेतु किया जायेगा।
(a) for department investigation/विभागीय जांच हेतु
(b) for exercising control over officers
अधिकारियों पर नियंत्रण हेतु
(c) for initiating penal action
दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु
(d) for receiving complaints regarding sexual harassment/लैंगिक उत्पीड़न के लिए परिवाद ग्रहण करने हेतु

32. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 who will constitute the local committee?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''स्थानीय समिति का गठन किसके द्वारा किया जायेगा।
(a) By Collector/कलेक्टर द्वारा
(b) By District Magistrate/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा
(c) By Employer/नियोजक द्वारा
(d) By District officer/जिला अधिकारी द्वारा

33. In which district, local committee shall be constituted under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थानीय समिति का गठन किस जिले में किया जायेगा।
(a) In those establishments where no internal committee has been formed due to employees number less than 10/ऐसे स्थापनाओं से जहां 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक समिति गठित नहीं की गई है।
(b) The complaint is itself against the employer
परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है
(c) Both of the above/उपरोक्त दोनों
(d) Only (b) from the above/उपरोक्त में से केवल (b)

34. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the District Magistrate shall designate a Nodal Officer for receiving complaints in Tribal areas and sending it to the local committee within a period of?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जिला अधिकारी जनजातीय क्षेत्रों में परिवाद ग्रहण करने के लिए और कितनी अवधि के भीतर स्थानीय समिति को भेजने के लिए नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगा।
(a) 5 days/5 दिन की अवधि के भीतर
(b) 7 days/7 दिन की अवधि के भीतर
(c) 15 days/15 दिन की अवधि के भीतर
(d) 30 days/30 दिन की अवधि के भीतर

35. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the jurisdiction of local committee extends upto?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थानीय समिति का विस्तार है।
(a) Entire district/सम्पूर्ण जिले पर
(b) Entire tehsil/सम्पूर्ण तहसील पर
(c) Entire taluka/सम्पूर्ण तालूक पर
(d) To the areas of the district where it is constituted/जिले के उन क्षेत्रों पर जहां वह गठित की गई है।

36. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the Presiding Officer and members of the local committee shall hold office for how much period?
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थानीय समिति का पीठासीन अधिकारी और सदस्य नाम निर्देशन से कितनी अवधि तक पद धारण करेगा।
(a) Not more than 3 years/3 वर्ष से अनधिक
(b) Not more than 5 years/5 वर्ष से अनधिक
(c) Not more than 7 years/7 वर्ष से अनधिक
(d) Not more than 10 years/10 वर्ष से अनधिक

37. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provisions regarding "Grant and Audit" are laid in which section?
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''अनुदान और संपरीक्षा'' संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है।
(a) Under Section 7/धारा 7 के अंतर्गत
(b) Under Section 8/धारा 8 के अंतर्गत
(c) Under Section 9/धारा 9 के अंतर्गत
(d) Under Section 10/धारा 10 के अंतर्गत

38. Under Section 8 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 accounts shall be maintained and audited in which order?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत लेखाओं को किस रीति में रखा और संपरीक्षित किया जायेगा।
(a) which is prescribed in consultation with central government/जो केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विहित की जाये
(b) which is prescribed in consultation with state government/जो राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाये
(c) which is prescribed in consultation with appropriate government/जो समुचित सरकार के परामर्श से विहित की जाये

(d) which is prescribed in consultation with the Accountant General of State/जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाये

39. Under which section of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provision regarding complaint of sexual harassement have been laid?
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद'' संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है।

(a) Under Section 7/धारा 7 के अंतर्गत
(b) Under Section 8/धारा 8 के अंतर्गत
(c) Under Section 9/धारा 9 के अंतर्गत
(d) Under Section 10/धारा 10 के अंतर्गत

40. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 who will file complaint/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिवाद किसके द्वारा किया जायेगा।

(a) By Aggrieved woman/व्यथित महिला द्वारा
(b) By her parents/उसके माता पिता द्वारा
(c) By local committee/स्थानीय समिति द्वारा
(d) By District Officer/जिला अधिकारी द्वारा

41. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013 the aggrieved woman shall file complaint of sexual harassment, within how many time of incident?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत व्यथित महिला द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की घटना की तारीख से कितनी अवधि के भीतर परिवाद किया जायेगा।

(a) within 3 months/3 मास के भीतर
(b) within 3 months from the date of last incident in case of occurrence of series of such incidents/शृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास के भीतर
(c) within 6 months from the date of last incident in case of occurrence of series of such incidents/शृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से छः मास के भीतर
(d) Both (a) and (b)/उपरोक्त (a) एवं (b)

42. Under Section 9 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 a written complaint shall be made to?
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 9 के अंतर्गत लिखित में परिवाद किसे किया जायेगा।

(a) Internal complaint committee/आंतरिक परिवाद समिति
(b) Local committee/स्थानीय समिति
(c) District Officer/जिला अधिकारी
(d) Both (a) and (b)/उपरोक्त (a) एवं (b)

43. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 in case of aggrieved woman being physically or mentally incapable or becuase of her death, not being able to file complaint, who shall file complaint on her behalf?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत व्यथित महिला के शारीरिक या मानसिक असमर्थ या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ होने पर उसकी ओर से किसके द्वारा परिवाद किया जायेगा।

(a) By her legal heir or prescribed person उसके विधिक वारिस या विहित व्यक्ति द्वारा
(b) By her parents/उसके माता-पिता द्वारा
(c) By local commitee/स्थानीय समिति द्वारा
(d) By the District Officer/जिला अधिकारी द्वारा

44. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provisions regarding "Conciliation" are under which section?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''सुलह'' संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है।

(a) Under Section 7/धारा 7 के अंतर्गत
(b) Under Section 8/धारा 8 के अंतर्गत
(c) Under Section 9/धारा 9 के अंतर्गत
(d) Under Section 10/धारा 10 के अंतर्गत

45. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 who will initiate steps for reaching a conciliation between the aggrieved woman and the respondent?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सुलह के माध्यम से व्यथित महिला एवं प्रत्यर्थी के बीच किसके द्वारा मामले का समाधान करने का उपाय किया जायेगा।

(a) Internal committee or local committee आंतरिक समिति या स्थानीय समिति
(b) District Officer/जिला अधिकारी
(c) Employer/नियोजक
(d) Mediator/मध्यस्तम

46. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 which of the following is not true regarding 'Conciliation'? /महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सुलह के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है।

(a) Conciliation shall be done prior to initiation of inquiry under Section 11/सुलह धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने के पूर्व की जायेगी
(b) Conciliation shall be done on request of aggrieved woman/सुलह व्यथित महिला के अनुरोध पर होगी
(c) Conciliation shall be done by the internal committee or local committee/सुलह आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा की जायेगी
(d) Conciliation shall be done on the basis of monetary settlement/सुलह धन संबंधी समाधान के आधार पर की जायेगी

47. To whom the internal committee or local committee refer the case for taking action where a settlement has been arrived on the basis of conciliation under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जहां सुलह के आधार पर समाधान हो जाता है वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति कार्यवाही करने के लिए मामला किसे भेजेगी।

(a) District Officer/जिला अधिकारी
(b) Employer/नियोजक
(c) State Government/राज्य सरकार
(d) Both (a) and (b)/उपरोक्त (a) एवं (b)

48. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 where internal committee or local committee upon inquiry prima facie satisfied that the case exist, than to who he make oomplaint under Section 509 of IPC?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का जांच की कार्यवाही में प्रथमदृष्टया समाधान होता है कि मामला विद्यमान है तो वह भा.दं.सं. की धारा 509 के अधीन परिवाद किसे भेजेगी।

(a) Court/न्यायालय
(b) District Officer/जिला अधिकारी
(c) Police/पुलिस
(d) Employer/नियोजक

49. Under sub-section (1) of Section 11 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the complaint shall be sent to police within how many days from the date of prima facie solution?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 11 की उप धारा 1 के अधीन पुलिस को परिवाद प्रथम दृष्टया समाधान होने के कितने दिन के भीतर भेजा जायेगा।

(a) 5 days/5 दिन (b) 7 days/7 दिन
(c) 10 days/10 दिन (d) 15 days/15 दिन

50. Under Section 11 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 inquiry shall be completed within how many days?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 11 के अंतर्गत जांच कितने दिन के भीतर पूरी की जायेगी।

(a) 30 days/30 दिन (b) 60 days/60 दिन
(c) 90 days/90 दिन (d) 120 days/120 दिन

51. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 what is not true regarding recommendations made to the employer by internal committee or local committee on the request of aggrieved woman? /महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत व्यथित महिला के अनुरोध पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा नियोजक को की गई सिफारिशों के संबंध में क्या सही नहीं है।

(a) Transfer of the aggrieved woman or the respondent to some other workplace
व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल में स्थानांतरण
(b) Transfer of the aggrieved woman in some other workplace/व्यथित महिला का किसी अन्य कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण
(c) To grant leave to the aggrieved woman upto the period of 3 month/व्यथित महिला को तीन मास की अवधि तक छुट्टी मंजूर करना
(d) To provide such other reliefs to the aggrieved woman as may be prescribed/व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहतें जो विहित की जायें

52. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 on completion of inquiry, to whom the internal committee or local committee will send the report of his conclusions?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जांच पूरी होने पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्ष की एक रिपोर्ट किसे उपलब्ध करायेगी।

(a) To employer or District Officer
नियोजक या जिला अधिकारी
(b) To the concerned parties
रिपोर्ट से संबंधित पक्षकार
(c) Court/न्यायालय
(d) Both (a) and (b)/उपरोक्त (a) एवं (b)

53. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the report of inquiry shall be made available within how many days?
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जांच रिपोर्ट कितने दिन के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी।

(a) 10 days/10 दिन (b) 20 days/20 दिन
(c) 30 days/30 दिन (d) 60 days/60 दिन

54. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the employer or District Officer shall act within how many days after receiving the recommendations?
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियोजक या जिला अधिकारी सिफारिश की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करेंगे।

(a) 30 days/30 दिन (b) 60 days/60 दिन
(c) 3 months/3 माह (d) 6 months/6 माह

55. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provisions regarding "penalty for false of malicious complaint and false evidence" are made in which section?

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड'' संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत।**

(a) Under Section 14/धारा 14 के अंतर्गत
(b) Under Section 15/धारा 15 के अंतर्गत
(c) Under Section 6/धारा 6 के अंतर्गत
(d) Under Section 17/धारा 17 के अंतर्गत

56. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 whether mere "inability to substantiate a complaint or provide adequate proof head to attract action against the complainant?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत क्या किसी ''परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने मात्र में असमर्थता' परिवादकर्ता के विरुद्ध मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए कार्यवाही करने को आकर्षित करेगी।

(a) Yes/हां (b) No/नहीं
(c) Depend on discretion of the District Officer
जिला अधिकारी के विवेक पर निर्भर है
(d) Partially true/अंशतः सही है

57. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 by whom the malicious intent shall be established after an inquiry in accordance with the procedure prescribed before any action is recommended– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किसी कार्यवाही की सिफारिश किए जाने से पूर्व, विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किये जाने के पश्चात् किसके द्वारा द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जायेगा।

(a) By the employer/नियोजक के द्वारा
(b) By the District Officer
जिला अधिकारी के द्वारा
(c) By the complainant/परिवादकार्ता के द्वारा
(d) By legal person/विधि व्यक्ति द्वारा

58. Under the Section 15 of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 who shall determine compensation?
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 15 के अंतर्गत प्रतिकर का अवधारण किसके द्वारा किया जायेगा।

(a) Internal committee or local committee
आंतरिक समिति या स्थानीय समिति
(b) Employer/नियोजक
(c) District Officer/जिला अधिकारी
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

59. Under the Section 15 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 what things shall be taken into consideration in determing compensation?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 15 के अंतर्गत प्रतिकर का अवधारण करने में किन बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

(a) the mental truma pain, suffering and emotional distress, loss in the carrer opportunity caused to the aggrieved woman /व्यथित महिला को पहुँचाये गये मानसिक आघात, पीड़ा, यातना या भावनातमक कष्ट, वृत्ति के अवसर की हानि
(b) Medical expenses incurred by the victim for physical or psychiatric treatment and income and financial status of the respondent/पीड़ित द्वारा शारीरिक या मानसिक चिकित्सकीय उपचार में उपगत व्यय एवं प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय प्रस्थिति
(c) Payment in lumpsum or in installment
एकमुश्त या किस्तों में संदाय
(d) All the above/उपरोक्त सभी

60. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the provisions regarding "Penalty for publication or making known the contents of complaint and inquiry proceedings" are incorporated under which section?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन को सार्वजनिक करने के लिए शास्ति'' संबंधी उपबंध किस धारा के अंतर्गत है।

(a) Section 16/धारा 16 के अंतर्गत
(b) Section 17/धारा 17 के अंतर्गत
(c) Section 18/धारा 18 के अंतर्गत
(d) Section 19/धारा 19 के अंतर्गत

61. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provisions related to "Appeal" are laid under which section?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''अपील'' संबंधी उपबंध किस धारा के अंतर्गत है।

(a) Section 16/धारा 16 के अंतर्गत
(b) Section 17/धारा 17 के अंतर्गत
(c) Section 18/धारा 18 के अंतर्गत
(d) Section 19/धारा 19 के अंतर्गत

62. Under Section 13 of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 before whom/or where the appeal may lie by the aggrieved person?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति द्वारा अपील कहां की जायेगी।

(a) To court or tribunal as per the service rules
सेवा नियमों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को
(b) Where no service rule exist in such manner as may be prescribed/सेवा नियम विद्यमान न होने पर ऐसी रीति में जो विहित की जायें।
(c) to the Session Court/सेशन न्यायालय को
(d) Above (a) and (b)/उपरोक्त (a) एवं (b)

63. Under Section 18 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 an appeal shall be filed/ made within how many days from the recommendation?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 18 के अंतर्गत अपील सिफारिशों के कितने दिन के भीतर की जायेगी।

(a) 10 days/10 दिन (b) 20 days/20 दिन
(c) 30 days/30 दिन (d) 90 days/90 दिन

64. Under which Section of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provisions regarding "Duties of Employer" are provided?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''नियोजक के कर्तव्य'' संबंधी उपबंध किस धारा के अंतर्गत है।

(a) Section 16/धारा 16 के अंतर्गत
(b) Section 17/धारा 17 के अंतर्गत
(c) Section 18/धारा 18 के अंतर्गत
(d) Section 19/धारा 19 के अंतर्गत

65. Under which section of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provisions related to "Duties and powers of District Officer" are provided?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ'' संबंधी उपबंध किस धारा के अंतर्गत है

(a) Section 19/धारा 19 के अंतर्गत
(b) Section 20/धारा 20 के अंतर्गत
(c) Section 21/धारा 21 के अंतर्गत
(d) Section 22/धारा 22 के अंतर्गत

66. Under Section 18 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the prescribed duties and powers of the District Magistrate are–/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 20 के अंतर्गत जिला अधिकारी के कर्तव्य एवं शक्तियाँ होंगी।

(a) Monitoring the timely submission of the reports by local committee/स्थानीय समिति द्वारा रिपोर्टों को समय से दिए जाने को मॉनिटर करना
(b) To take measures for employing non-government organizations (NGO's) to crreate awareness on sexual harassement and the right of the woman/लैंगिक उत्पीड़न एवं महिला अधिकारों के संबंध में जागरूकता हेतु गैर सरकारी संगठनों को लगाने के उपाय करना
(c) Both (a) and (b) above/उपरोक्त (a) एवं (b)
(d) Only (a) of the above/उपरोक्त में से केवल (a)

67. Under Section 21 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the internal or local committee shall present their annual report?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अंतर्गत आंतरिक या स्थानीय समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेंगी।

(a) Employer/नियोजक
(b) District Officer/जिला अधिकारी
(c) Member Secretary/सदस्य सचिव
(d) Both (a) and (b)/उपरोक्त (a) एवं (b)

68. Under Section 23 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 monitoring of implementation of the act and data related to disposal of all the cases shall be kept by? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 23 के अंतर्गत अधिनियम के कार्यान्वयन की मौनेटरिंग और निपटाये गए सभी मामलों से संबंधित डाटा किसके द्वारा रखा जायेगा।

(a) Employer/नियोजक
(b) District Officer/जिला अधिकारी
(c) Appropriate Government/समुचित सरकार
(d) Local Committee/स्थानीय समिति

69. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013 provisions related to "seeking information and power of inspection of records" are land under which section? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''सूचना माँगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति'' संबंधी उपबंध किस धारा के अंतर्गत है।

(a) Section 24/धारा 24 के अंतर्गत
(b) Section 25/धारा 25 के अंतर्गत
(c) Section 26/धारा 26 के अंतर्गत
(d) Section 27/धारा 27 के अंतर्गत

70. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013 provisions related to "penalty for non-compliance of provisions of the act" are provided under which section? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति'' संबंधी उपबंध किस धारा के अंतर्गत है।

(a) Section 24/धारा 24 के अंतर्गत
(b) Section 25/धारा 25 के अंतर्गत
(c) Section 26/धारा 26 के अंतर्गत
(d) Section 27/धारा 27 के अंतर्गत

71. Under Section 26 of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the employer shall be liable for which penalty? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अंतर्गत नियोजक किस शास्ति का दायी होगा।

(a) A fine which may extent to Rs. 20000/- जुर्माना जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा
(b) A fine which may extent to Rs. 30000/- जुर्माना जो तीस हजार रुपए तक हो सकेगा
(c) A fine which may extent to Rs. 50000/- जुर्माना जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा
(d) A fine which may extent to Rs. 60000/- जुर्माना जो साठ हजार रुपए तक हो सकेगा

72. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 if any employer having been previously convicted again. Convicted then he shall be liable to penalty/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई नियोजक पूर्व दोषसिद्धि की दशा में पुनः दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो वह किस शास्ति की दायी होगा।

(a) Such penalty which are not less than first conviction/ऐसी शास्ति जो पहली दोषसिद्धि से कम ना हो
(b) To the greater penalty of first conviction पहली दोषसिद्ध से बड़ी हुई शास्ति से
(c) Twice penalty which has been imposed on first conviction/पहली दोषसिद्ध पर अधिरोपित दण्ड के दुगने दण्ड से
(d) One and half sentence of first conviction/पहली दोषसिद्ध पर अधिरोपित दण्ड के ढेड गुने दण्ड से

73. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provisions regarding "Cognizance of offences by court" are prescribed?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान'' संबंधी उपबंध किस धारा के अंतर्गत है।
(a) Section 24/धारा 24 के अंतर्गत
(b) Section 25/धारा 25 के अंतर्गत
(c) Section 26/धारा 26 के अंतर्गत
(d) Section 27/धारा 27 के अंतर्गत

74. Under Section 27 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 the court shall take cognizance of any offence on the complaint lodged by–/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी अपराध का संज्ञान किसकी शिकायत पर किया जायेगा।
(a) Aggrieved woman/व्यथित महिला
(b) By the person authorized by the internal or local committee/आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति
(c) District Magistrate/जिला मजिस्ट्रेट
(d) Both (a) and (b)/उपरोक्त (a) एवं (b)

75. Under the Section 27 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 who shall take cognizance of offence?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अंतर्गत संज्ञान किसके द्वारा लिया जायेगा।
(a) District Magistrate/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा
(b) Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate first clean/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा
(c) Sessions court/सेशन न्यायालय द्वारा
(d) By Executive Magistrate कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा

76. Every offence under Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 shall be?महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध होगा।
(a) Cognizance/संज्ञेय
(b) Non-cognizance/असंज्ञेय
(c) Bailable/जमानतीय
(d) Non-bailable/अजमानतीय

77. Under Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provisions related to "powers to make rules by appropriate government are laid in which section?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''समुचित सरकार के निमय बनाने की शक्ति'' संबंधी उपबंध किस धारा के अंतर्गत है।
(a) Section 28/धारा 28 के अंतर्गत
(b) Section 29/धारा 29 के अंतर्गत
(c) Section 30/धारा 30 के अंतर्गत
(d) Section 31/धारा 31 के अंतर्गत

78. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 provisions related to "powers to remove difficulties" are land under which section?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति'' संबंधी उपबंध किस धारा के अंतर्गत है।
(a) Section 28/धारा 28 के अंतर्गत
(b) Section 29/धारा 29 के अंतर्गत
(c) Section 30/धारा 30 के अंतर्गत
(d) Section 31/धारा 31 के अंतर्गत

79. Under Section 30 of Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition Act, 2013 after how many years from the date of commencement of the Act, Central Government shall not take any action?/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की धारा 30 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार अधिनियम के प्रारंभ होने के कितने वर्ष पश्चात कोई कार्यवाही नहीं करेगी।
(a) 1 year/1 वर्ष
(b) 2 years/2 वर्ष
(c) 3 years/3 वर्ष
(d) 4 years/4 वर्ष

उत्तरमाला

1. (c)	9. (a)	17. (c)	25. (a)	33. (c)	41. (d)	49. (b)	57. (c)	65. (b)	73. (d)
2. (a)	10. (b)	18. (d)	26. (a)	34. (b)	42. (d)	50. (c)	58. (a)	66. (c)	74. (d)
3. (d)	11. (c)	19. (c)	27. (b)	35. (d)	43. (a)	51. (b)	59. (d)	67. (d)	75. (b)
4. (d)	12. (d)	20. (c)	28. (a)	36. (a)	44. (d)	52. (d)	60. (b)	68. (c)	76. (b)
5. (c)	13. (c)	21. (c)	29. (d)	37. (b)	45. (a)	53. (a)	61. (c)	69. (b)	77. (b)
6. (a)	14. (d)	22. (b)	30. (c)	38. (d)	46. (d)	54. (b)	62. (d)	70. (c)	78. (c)
7. (b)	15. (b)	23. (b)	31. (d)	39. (c)	47. (d)	55. (a)	63. (d)	71. (c)	79. (b)
8. (d)	16. (b)	24. (b)	32. (d)	40. (a)	48. (c)	56. (b)	64. (d)	72. (c)	

The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्ण निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

1. The objective of enactment of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 is?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधिनियमन का उद्देश्य है–

(a) Prohibition of sex selection before conception
गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन का प्रतिषेध
(b) Prohibition of sex selection after conception
गर्भधारण के पश्चात् लिंग चयन का प्रतिषेध
(c) Prohibition of sex selection before or after conception
गर्भधारण से पूर्व या पश्चात् लिंग चयन का प्रतिषेध
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं

2. When did the assent of President received to The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई–

(a) 1 January, 1994/1 जनवरी, 1994 को
(b) 20 September, 1994/20 सितम्बर, 1994 को
(c) 10 October, 1995/10 अक्टूबर, 1995 को
(d) 1 January, 1996/1 जनवरी, 1996 को

3. The act number of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 is?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का अधिनियम क्रमांक है–

(a) Act 7 of 1994/1994 का अधिनियम संख्यांक 7
(b) Act 8 of 1994/1994 का अधिनियम संख्यांक 8
(c) Act 57 of 1994/1994 का अधिनियम संख्यांक 57
(d) Act 52 of 1994/1994 का अधिनियम संख्यांक 52

4. The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 extends to–
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 विस्तार है–

(a) Whole of India/सम्पूर्ण भारत पर
(b) Whole of India except Jammu & Kashmir
जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर
(c) Whole of India including Jammu & Kashmir
जम्मू-कश्मीर राज्य के साथ सम्पूर्ण भारत पर
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं

5. The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 came into force on?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रवृत्त हुआ–

(a) 1 January, 1994/1 जनवरी, 1994 को
(b) 20 September, 1994/20 सितम्बर, 1994 को
(c) 10 October, 1995/10 अक्टूबर, 1995 को
(d) 1 January, 1996/1 जनवरी, 1996 को

6. The term 'Board' under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 means?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है–

(a) State Supervision Board/राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड
(b) Central Supervision Board/केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड
(c) Central Advisory Board/केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड
(d) Both (a) and (b)/(a) एवं (b) दोनों

7. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 'Any product of conception at any stage of development from fertilization until birth including extra embryonic membrances and embryo or foetus, means?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत 'गर्भाधान से जन्म होने तक विकास, के किसी भी प्रक्रम पर गर्भधारण का कोई उत्पाद जिसमें अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली तथा भ्रूण या गर्भ सम्मिलित है'' से अभिप्रेत है–

(a) Conceptus/गर्भ उत्पाद (b) Embryo/भ्रूण
(c) Feotus/गर्भ (d) Child/बालक

8. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, embryo means a developing human organism after the end of how many days of fertilization–
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ''भ्रूण'' से गर्भाधान के पश्चात् कितने दिनों के अंत तक कोई विकासोन्मुखी मानव जीव अभिप्रेत है–

(a) 54 days/54 दिन (b) 56 days/56 दिन
(c) 58 days/58 दिन (d) 62 days/62 दिन

9. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 human organism during the period of its development beginning on the 57th day following fertilization means–
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ''गर्भाधान या सृजन से अनुगामी 57वें दिन से प्रारंभ होकर और जन्म पर सर्माप्त होने वाली इसकी विकास की अवधि के दौरान मानव जीवन'' से अभिप्रेत है–

(a) Conceptus/गर्भ उत्पाद (b) Embryo/भ्रूण
(c) Foctus/गर्भ (d) Child/बालक

10. The term "Gynaecologist" under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 means–/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन ''स्त्री रोग विशेषज्ञ'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास–

(a) a master degree in Gynaecologist and obstetrics
स्त्री रोग विज्ञान व प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता है
(b) a bachelors degree in Gynaecologist and obstetrics/स्त्री रोग विज्ञान व प्रसूति विज्ञान में स्नातक अर्हता है
(c) Diploma in Gynaecologist and obstetrics
स्त्री रोग विज्ञान व प्रसूति विज्ञान में डिप्लोमा अर्हता है
(d) None of the above//उपरोक्त में से कोई भी

11. The term "Paediatrician" under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 means–
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन ''बाल चिकित्सक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास–

(a) a master degree in paediatrician
बाल रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता है
(b) a bachelor degree in paediatrician
बाल रोग विज्ञान में स्नातक अर्हता है
(c) a diploma in paediatrician
बाल रोग विज्ञान में डिप्लोमा अर्हता है
(d) None of them/उपरोक्त में से कोई भी

12. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 any procedure, technique, test or administration or prescription or provision of anything for the purpose of ensuring or an embryo will be a particular sex means–/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ''इस बात को सुनिश्चित करने या उसकी किसी विशिष्ट लिंग का होगा कोई प्रक्रिया, तकनीक, परीक्षा या कोई प्रयोग या नुस्खा या व्यवस्था'' से अभिप्रेत है–

(a) Conceptus/गर्भ उत्पाद
(b) Sex selection/लिंग चयन
(c) Foetus/गर्भ
(d) Natal Diagnostic Technique
प्रसव निदान तकनीकी

13. The term "State Board" under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 means–
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन ''राज्य बोर्ड'' से अभिप्रेत है–

(a) State Supervision Board/राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड
(b) Supervision Board of Union Territory
संघ राज्यक्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड
(c) Notified board/अधिसूचित बोर्ड
(d) Both (a) and (b)/उपरोक्त (a) और (b) दोनों

14. Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 prohibition of sex selection provided/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''लिंग चयन और प्रतिषेध'' संबंधी प्रावधान है–

(a) Under Section 3/धारा 3 के अंतर्गत
(b) Under Section 3(A)/धारा 3क के अंतर्गत
(c) Under Section 3(B)/धारा 3ख के अंतर्गत
(d) Under Section 4(A)/धारा 4क के अंतर्गत

15. The Pre-Natal Diagnostic Techniques cannot be used for any other purpose except to find following abnormalities?प्रसवपूर्व निदान-तकनीक का उपयोग निम्न अनियमितताओं को ज्ञात करने के सिवाय नहीं किया जाएगा–

(a) Chromosomal abnormalities and genetic metabolic diseases/गुणसूत्री अनियमितता और आनुवांशिकी उपाचयी रोग

(b) Haemoglobin disorder and sex linked genetic disease/हीमोग्लोबिन विकृतियां और लिंग संलग्न आनुवंशिकी रोग

(c) Congential abnormalities or any other abnormalities or disease which are specified by Central Supervisory Board/जन्मजात असंगतियां और अन्य कोई अप्रसामान्यताएं या रोग जो केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं

(d) All the above/उपरोक्त सभी

16. After the fulfilment of the following condition/conditions, any Pre-Natal Diagnostic Techniqued shall be used or operated by an eligible person if–/निम्नलिखित किस शर्त/शर्तों की पूर्ति हो जाने पर, किसी भी प्रसवपूर्व निदान-तकनीक का उपयोग या परिचालन, ऐसा करने के आर्हित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा–

(a) the age of pregnant woman is about 35 years and the pregnant lady had undergone two or more spontaneous abortions or foetal damage /गर्भवती स्त्री की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक है अथवा गर्भवती स्त्री के दो या अधिक स्वतः गर्भपात हुए हैं या भ्रूण हानि हुई है।

(b) the pregnant lady has been exposed to potentially tetratogenic agents such as drugs, radiation, infection or chemicals/गर्भवती स्त्री, विभव विरूपजनकों, जैसे कि औषधियों, विकिरणों, संक्रमण या रसायनों से प्रभावित हुई है

(c) The pregnant woman or her spouse has a family history of mental retardation or physical deformities such as spasticity or any other genetic disease.
गर्भवती स्त्री या उसके पति के कुटुंब में मानसिक मंदता या शारीरिक विरूपिता जैसे की संस्तम्भता या किसी अन्य आनुवंशिकी रोग का परिवार वृत्त है

(d) Any of the above/उपरोक्त में से कोई भी

17. Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 provisions regarding prohibitions of written consent of pregnant woman and communication of the sex foetus provided /गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''गर्भवती स्त्री की लिखित सहमति और भ्रूण के लिंग की संसूचना के प्रतिषेध'' संबंधी प्रावधान हैं–

(a) Under Section 3/धारा 3 के अंतर्गत

(b) Under Section 4/धारा 4 के अंतर्गत

(c) Under Section 5/धारा 5 के अंतर्गत

(d) Under Section 6/धारा 6 के अंतर्गत

18. Under the Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 person referred to in clause (2) of Section 3 may conduct the pre-natal diagnostic procedure, when/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत धारा 3 के खण्ड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति प्रसवपूर्ण निदान प्रक्रियाओं का संचालन कर सकेगा, जबकि–

(a) He has intimated about all the known effects of such processese to the concerned pregnant woman/उसने संबंधित गर्भवती को ऐसी प्रक्रियाओं के सभी ज्ञात प्रभावों को बता दिया हो

(b) He has obtained a written consent to execute such processes to the concerned pregnant lady in a tengible language/उसने संबंधित गर्भवती को ऐसी प्रक्रिया कराने की लिखित सहमति समझे जाने वाली भाषा में प्राप्त कर ली हो

(c) He has provided a copy of the written consent to the pregnant woman/लिखित सहमति की प्रति गर्भवती स्त्री को दे दी हो

(d) All the above/उपरोक्त सभी

19. Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 provisions regarding constitution of "Central Supervision Board" are given?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 कि किस धारा के अंतर्गत ''केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन'' संबंधी प्रावधान है–

(a) Under Section 5/धारा 5 के अंतर्गत

(b) Under Section 6/धारा 6 के अंतर्गत

(c) Under Section 7/धारा 7 के अंतर्गत

(d) Under Section 8/धारा 8 के अंतर्गत

20. Who will constitute 'Central Supervision Board' under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन कौन करेगा?

(a) Central Government/केन्द्रीय सरकार

(b) Central Government by the advice of Chief Justice of India/भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केन्द्रीय सरकार

(c) President/राष्ट्रपति

(d) President on the advice of Central Government/केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति

21. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 who will be the ex-officio chairman of Central Supervisory Board?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होगा?

(a) Prime Minister/प्रधानमंत्री
(b) Family Welfare Ministry or Minister in-charge
परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग का भारसाधक मंत्री
(c) Any member who has been electedd by all the members of board/कोई सदस्य जो बोर्ड के समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया हो
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

22. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 who will be the ex-officio vice-chairman of Central Supervisory Board?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष कौन होगा?

(a) Secretary of Government of India who is the in-charge of family welfare deptt/भारत सरकार का सचिव जो परिवार कल्याण विभाग का भारसाधक है
(b) Director General of Health Service of Central Government/केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक
(c) An equivalent joint rank officer of Central Government who is the in-charge of family welfare/केन्द्रीय सरकार के संयुक्त समतुल्य पंक्ति का अधिकारी, जो परिवार कल्याण का भारसाधक है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

23. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 who will be ex-officio member-secretary of Central Supervisory Board?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का पदेन सदस्य-सचित कौन होगा?

(a) Secretary of Government of India is the in-charge of family welfare dept/भारत सरकार का सचिव जो परिवार कल्याण विभाग का भारसाधक है
(b) Director General of health services of Central Government/केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक
(c) An equivalent joint rank officer of Central Government who is the in-charge of family welfare/केन्द्रीय सरकार के संयुक्त समतुल्य पंक्ति का अधिकारी, जो परिवार कल्याण का भारसाधक है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

24. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the working tenure of members of Central Supervisory Board will be?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों की कार्य अवधि होगी?

(a) 5 years/5 वर्ष (b) 3 years/3 वर्ष
(c) 2 years/2 वर्ष (d) 1 years/1 वर्ष

25. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 the central supervisory board shall meet at least once in ....
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन .... में कम से कम एक बार होगा–

(a) Three months/तीन माह
(b) Four months/चार माह
(c) Six months/छह माह
(d) Eight months/आठ माह

26. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 how many times a member of Central Supervisory Board can be appointed?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का कोई सदस्य कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है?

(a) Only once/केवल एक बार
(b) Two times/दो बार
(c) More than2 times/दो से अधिक बार
(d) Any number of times/कितनी भी बार

27. Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 provisions regarding "Functions of Board" have been provided?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''बोर्ड के कृत्य'' संबंधी प्रावधान है?

(a) Under Section 14/धारा 14 के अंतर्गत
(b) Under Section 15/धारा 15 के अंतर्गत
(c) Under Section 16/धारा 16 के अंतर्गत
(d) Under Section 17/धारा 17 के अंतर्गत

28. Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 provisions regarding "Constitution of State and Union Territory Supervisory Board" have been provided?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्यक्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन'' संबंधी प्रावधान है?

(a) Under Section 17/धारा 15 के अंतर्गत
(b) Under Section 16/धारा 16 के अंतर्गत
(c) Under Section 16(A)/धारा 16क के अंतर्गत
(d) Under Section 17/धारा 17 के अंतर्गत

29. Who shall be the chairman of State Supervisory Board under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा?

(a) Chief Minister/मुख्यमंत्री
(b) Minister in-charge of Health and Family welfare in state/राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का भारसाधक मंत्री
(c) Any member who has been elected by all the members of State Supervisory Board/कोई सदस्य जो राज्य बोर्ड के समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया हो
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

30. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 who shall be the ex-officio vice-chairman of the State Supervisory Board?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष कौन होगा?

(a) Secretary in-charge of Health and Family Welfare Deptt./स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का भारसाधक सचिव
(b) In-charge of Women and Child Development, social welfare, law and medical science and homeopathy related Indian system, deptt/महिला और बाल विकास, समाज कल्याण विधि और आयुविज्ञान तथा होम्योपैथी की भारतीय पद्धति विभागों का भारसाधक
(c) An officer not below the rank of joint director in-charge of family welfare/एक अधिकारी, जो परिवार कल्याण के भारसाधक संयुक्त निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

31. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 who will be the ex-officio member secretary of State Supervisory Board?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव कौन होगा?

(a) Secretary in-charge of Health and Family Welfare Deptt./स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का भारसाधक सचिव
(b) In-charge of Women and Child Development, social welfare, law and medical science and homeopathy related Indian system, deptt/महिला और बाल विकास, समाज कल्याण विधि और आयुविज्ञान तथा होम्योपैथी की भारतीय पद्धति विभागों का भारसाधक
(c) An officer not below the rank of joint director in-charge of family welfare/एक अधिकारी, जो परिवार कल्याण के भारसाधक संयुक्त निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

32. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 the state supervisory board shall meet at least once in ....?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन .... में कम से कम एक बार होगा–

(a) Three months/तीन माह
(b) Four months/चार माह
(c) Six months/छह माह
(d) Eight months/आठ माह

33. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 the tenure of members of State Advisory Board except ex-officio member shall be/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के पदेन सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की पदावधि होगी–

(a) 5 years/5 वर्ष (b) 3 years/3 वर्ष
(c) 2 years/2 वर्ष (d) 1 year/1 वर्ष

34. Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 there is provisions regarding, "Appropriate Authority and Advisory Committee"?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति'' संबंधी प्रावधान हैं?

(a) Under Section 17/धारा 17 के अंतर्गत
(b) Under Section 18/धारा 18 के अंतर्गत
(c) Under Section 19/धारा 19 के अंतर्गत
(d) Under Section 20/धारा 20 के अंतर्गत

35. Who shall appoint an appropriate authority for the Union Territory under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के लिए समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी–

(a) By Central Government/केन्द्रीय सरकार द्वारा
(b) By appropriate Government/समुचित सरकार द्वारा
(c) By State Government/राज्य सरकार द्वारा
(d) By administrator of Union Territory
संघ राज्य क्षेत्र के प्रषासक के द्वारा

36. Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 there is provisions regarding, "Constitution of an advisory committee to aid and advice appropriate authority?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''समुचित प्राधिकारी को सलाह और सहायता देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन'' संबधी प्रावधान है?

(a) Under Section 17(5)/धारा 17(5) के अंतर्गत
(b) Under Section 18(3)/धारा 18(3) के अंतर्गत
(c) Under Section 19(4)/धारा 19(4) के अंतर्गत
(d) Under Section 20(5)/धारा 20(5) के अंतर्गत

37. Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 there is provisions regarding, "powers of appropriate authorities"?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''समुचित प्राधिकारियों की शक्ति'' संबंधी प्रावधान हैं

(a) Under Section 17/धारा 17 के अंतर्गत
(b) Under Section 17(A)/धारा 17क के अंतर्गत
(c) Under Section 18/धारा 18 के अंतर्गत
(d) Under Section 19/धारा 19 के अंतर्गत

38. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 every genetics counselling centre or laboratory or clinic which operates for a particular purpose as mentioned in Section 4, shall apply for registration within how much period from the date of commencement of this act?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रत्येक आनुवंशिकी सलाह केन्द्र या प्रयोगशाला या क्लीनिक, जो धारा 4 में उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए संचालित करता है, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व कितनी अवधि के भीतर रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करेगा–

(a) 15 days/15 दिनों के भीतर
(b) 30 days/30 दिनों के भीतर
(c) 45 days/45 दिनों के भीतर
(d) 60 days/60 दिनों के भीतर

39. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 who shall grant the registration certificate?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा–

(a) Central Government/केन्द्रीय सरकार द्वारा
(b) State Government/राज्य सरकार द्वारा
(c) Advisory committee/सलाहकार समिति द्वारा
(d) Appropriate authority/समुचित प्राधिकारी द्वारा

40. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 who shall cancel and suspend of registration?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन किसके द्वारा किया जाएगा–

(a) Central Government/केन्द्रीय सरकार द्वारा
(b) State Government/राज्य सरकार द्वारा
(c) Appropriate Government/समुचित सरकार द्वारा
(d) Appropriate Authority/समुचित प्राधिकारी द्वारा

41. Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 there is provisions regarding 'Appeals'?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''अपील'' संबंधी प्रावधान हैं?

(a) Under Section 20/धारा 20 के अंतर्गत
(b) Under Section 21/धारा 21 के अंतर्गत
(c) Under Section 22/धारा 22 के अंतर्गत
(d) Under Section 23/धारा 23 के अंतर्गत

42. An appeal against cancellation or suspension of registration can be filed by the genetics counselling centre, genetic laboratory or genetic clinic within?/रजिस्ट्रीकरण के रद्करण या निलंबन के विरुद्ध आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक द्वारा अपील की जा सकेगी–

(a) 15 days/15 दिनों के भीतर
(b) 30 days/30 दिनों के भीतर
(c) 45 days/45 दिनों के भीतर
(d) 60 days/60 दिनों के भीतर

43. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 before whom an appeal can be filed against the cancellation or suspension of registration?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी द्वारा किए गए रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी–

(a) Appelate authority/अपील प्राधिकारी का
(b) Central Government against order passed by central appropriate authority/केन्द्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध केन्द्र सरकार को
(c) State government against order passed by the state appropriate authority/राज्य समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को
(d) By (b) and (c) above/उपरोक्त (b) एवं (c)

44. An appeal can be filed against an order of cancellation or suspension of registration by the central appropriate authority?/रजिस्ट्रीकरण के रद्करण या निलंबन के केन्द्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी–

(a) Before High Court/उच्च न्यायालय के समक्ष
(b) Before Session Court/सेशन न्यायालय के समक्ष
(c) Before State Government/राज्य सरकार के समक्ष
(d) Before Central Government
केन्द्रीय सरकार के समक्ष

45. What penalty have been provided for giving advertisement regarding Pre-Conception and Pre Natal Sex Determination?/गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण सम्बन्धी विज्ञापन देने के अपराध के लिए क्या दण्ड उपबन्धित है?

(a) imprisonment which may extend to one year and fine upto Rs. 1000/कारावास जिसकी 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा
(b) imprisonment which may extend to two years and fine upto Rs. 3000/कारावास जिसकी 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 3000 रुपए तक का हो सकेगा
(c) imprisonment which may extend to three years and fine upto Rs. 10000/कारावास जिसकी 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 10000 रुपए तक का हो सकेगा
(d) imprisonment which may extend to five years and fine upto Rs. 50000/कारावास जिसकी 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 50000 रुपए तक का हो सकेगा

46. Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 there is provisions regarding "offences and penalties"? /गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''अपराध और शास्तियां'' सम्बंधी प्रावधान है

(a) Under Section 22/धारा 22 के अंतर्गत
(b) Under Section 23/धारा 23 के अंतर्गत
(c) Under Section 24/धारा 24 के अंतर्गत
(d) Under Section 25/धारा 25 के अंतर्गत

47. Under Section 23 of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 the punishment for the first offence of contravension of any provision of the act is
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अंतर्गत अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के प्रथम अपराध पर विहित दण्ड है–

(a) imprisonment which may extend to one year and fine upto Rs. 1000/कारावास जिसकी 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा
(b) imprisonment which may extend to two years and fine upto Rs. 3000/कारावास जिसकी 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 3000 रुपए तक का हो सकेगा

(c) imprisonment which may extend to three years and fine upto Rs. 10000/कारावास जिसकी 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 10000 रुपए तक का हो सकेगा

(d) imprisonment which may extend to five years and fine upto Rs. 50000/कारावास जिसकी 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 50000 रुपए तक का हो सकेगा

48. Under Section 23 of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 the prescribed punishment for the subsequent contravention of any provision of the act is–
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अंतर्गत अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन की पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर विहित दण्ड हैं–

(a) imprisonment which may extend to one year and fine upto Rs. 1000/कारावास जिसकी 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा

(b) imprisonment which may extend to two years and fine upto Rs. 3000/कारावास जिसकी 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 3000 रुपए तक का हो सकेगा

(c) imprisonment which may extend to three years and fine upto Rs. 10000/कारावास जिसकी 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 10000 रुपए तक का हो सकेगा

(d) imprisonment which may extend to five years and fine upto Rs. 50000/कारावास जिसकी 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 50000 रुपए तक का हो सकेगा

49. Any person who will seek help for the purpose of sex selection or using Pre Natal Diagnostic Techniques (except in exceptional circumstances) on any pregnant woman from a sonologist, than he shall be liable for punishment for first offence–
कोई व्यक्ति जो किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्ण निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए (आपवादिक परिस्थितियों से भिन्न) किसी सोनोलोजिस्ट की सहायता लेगा वह प्रथम अपराध के लिए दण्डनीय होगा–

(a) imprisonment which may extend to one year and fine upto Rs. 1000/कारावास जिसकी 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा

(b) imprisonment which may extend to two years and fine upto Rs. 3000/कारावास जिसकी 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 3000 रुपए तक का हो सकेगा

(c) imprisonment which may extend to three years and fine upto Rs. 50000/कारावास जिसकी 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 50000 रुपए तक का हो सकेगा

(d) imprisonment which may extend to five years and fine upto Rs. 50000/कारावास जिसकी 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 50000 रुपए तक का हो सकेगा

50. Any person who will seek help for the purpose of sex selection or using Pre Natal Diagnostic Techniques (except in exceptional circumstances) on any pregnant woman then he shall be liable for punishment for subsequent offence/कोई व्यक्ति जो किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्ण निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए (आपवादिक परिस्थितियों से भिन्न) किसी सोनोलोजिस्ट की सहायता लेगा वह पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दण्डनीय होगा–

(a) imprisonment which may extend to one year and fine upto Rs. 1000/कारावास जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा

(b) imprisonment which may extend to two years and fine upto Rs. 3000/कारावास जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 3000 रुपए तक का हो सकेगा

(c) imprisonment which may extend to three years and fine upto Rs. 10000/कारावास जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 10000 रुपए तक का हो सकेगा

(d) imprisonment which may extend to five years and fine upto Rs. 1 lakh/कारावास जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा

51. Any woman who has been forced to undergo any Pre-Natal Diagnostic Technique or Sex-selection procedure, then she shall–
कोई स्त्री जिसे किसी निदान तकनीक कराने या लिंग चयन कराने के लिए विश्वश किया गया हो, तो वह–

(a) be liable for a punishment under Section 23(3) of the Act/अधिनियम की धारा 23(3) के अधीन दण्ड के लिए दायी है

(b) not be liable for a punishment under Section 23(3) of the Act/अधिनियम की धारा 23(3) के अधीन दण्ड के लिए दायी नहीं है

(c) whether liable or not depend upon circumstance of each case/दण्ड के लिए दायी है या नहीं यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा

(d) It will depend on courts discretion whether she is liable for punishment or not/दण्ड के लिए दायी है या नहीं यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा

52. **Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 there is provisions regarding presumption in case of conduct of Pre-Natal Diagnostic Techniques?**
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''प्रसवपूर्ण निदान तकनीकों के संचालन की दशा में उपधारणा'' संबंधी प्रावधान है?

(a) Under Section 22/धारा 22 के अंतर्गत
(b) Under Section 23/धारा 23 के अंतर्गत
(c) Under Section 24/धारा 24 के अंतर्गत
(d) Under Section 25/धारा 25 के अंतर्गत

53. **Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 the court shall presume that/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 24 के अंतर्गत न्यायालय उपधारणा करेगा कि–**

(a) the pregnant woman as such has been forced to undertake Pre-Natal Diagnostic Technique by her husband or any other relative/गर्भवती स्त्री यथास्थिति, उसके पति या किसी अन्य नातेदार द्वारा प्रसवपूर्ण निदान तकनीक का उपयोग कराने के लिए विवश की गई थी
(b) The pregnant woman has not been forced to undertake Pre-Natal Diagnostic Technique by her husband or any other relative
गर्भवती स्त्री यथास्थिति, उसके पति या किसी अन्य नातेदार द्वारा प्रसवपूर्ण निदान तकनीक का उपयोग कराने के लिए विवश नहीं की गई थी
(c) Such an offence has been committed by the woman itself/ऐसा अपराध स्वयं स्त्री द्वारा किया गया है
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

54. **Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 there is provisions regarding penalty for offences for which no specific punishment is provided?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''जिन अपराधों के लिए शास्ति उपबंधित नहीं, के लिए दण्ड'' संबंधी प्रावधान है?**

(a) Under Section 22/धारा 22 के अंतर्गत
(b) Under Section 23/धारा 23 के अंतर्गत
(c) Under Section 24/धारा 24 के अंतर्गत
(d) Under Section 25/धारा 25 के अंतर्गत

55. **Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 offences for which penalty is not prescribed in the act, he shall be punished for/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत जिस अपराधों के लिए अधिनियम में षास्त्रि का उपबंध नहीं वहां उसके लिए दण्ड की अवधि होगी–**

(a) 3 months imprisonment/तीन माह का कारावास
(b) A fine of upto Rs. 1000
एक हजार रुपए तक का जुर्माना
(c) A fine of Rs. 500 per day in case of continued offence/निरंतर जारी रहने वाले अपराध में प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

56. **Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 there is provisions regarding "offences by companies"?**
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''कंपनियों द्वारा अपराध'' संबंधी प्रावधान है?

(a) Under Section 26/धारा 26 के अंतर्गत
(b) Under Section 27/धारा 27 के अंतर्गत
(c) Under Section 28/धारा 28 के अंतर्गत
(d) Under Section 29/धारा 29 के अंतर्गत

57. **Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 every offence shall be–**
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध होगा–

(a) Cognizable, bailable and non-compoundable
संज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय
(b) Non-cognizable, non-bailable and compoundable/असंज्ञेय, अजमानतीय और शमनीय
(c) Cognizable, bailable and compoundable
संज्ञेय, जमानतीय और शमनीय
(d) Cognizable, non-bailable and non-compoundable/संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय

58. **Under which section of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 there is provisions regarding "Cognizance of offences"?**
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की किस धारा के अंतर्गत ''अपराधों का संज्ञान'' संबंधी प्रावधान है?

(a) Under Section 26/धारा 26 के अंतर्गत
(b) Under Section 27/धारा 27 के अंतर्गत
(c) Under Section 28/धारा 28 के अंतर्गत
(d) Under Section 29/धारा 29 के अंतर्गत

59. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 offences shall be triable by–/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अपराध विचारणीय होंगे–

(a) Metropolitan Magistrate or first class Magistrate
महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा
(b) Only by first class Judicial Magistrate
केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा
(c) Sessions court
सेशन न्यायालय द्वारा
(d) High court
उच्च न्यायालय द्वारा

60. Under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 all records, charts, forms, reports, consent letter and their documents required to be maintained shall be preserved?
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों, चाटों, प्ररूपों, रिपोर्टों, सहमति पत्रों तथा अन्य सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाएगा–

(a) For one year period
एक वर्ष की अवधि तक
(b) For two year period
दो वर्ष की अवधि तक
(c) For three year period
तीन वर्ष की अवधि तक
(d) For five year period
पांच वर्ष की अवधि तक

61. Under the Section 30 of The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 powers to search and seizer has been given to–
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 30 के अंतर्गत तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति दी गई–

(a) State Government
राज्य सरकार
(b) Appropriate Government
समुचित सरकार
(c) Appropriate authority
समुचित प्राधिकारी
(d) None of the above
उपरोक्त में से कोई नहीं

62. Who is empowered to make rules under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत नियम बनाने के लिए कौन सशक्त है–

(a) Central Government/केन्द्रीय सरकार
(b) State Government/राज्य सरकार
(c) Appropriate Government/समुचित सरकार
(d) All of them/उपरोक्त सभी

63. Who is empowered to make regulations under The Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994?/गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत विनियम बनाने के लिए कौन सशक्त है–

(a) Central Government
केन्द्रीय सरकार
(b) State Government
राज्य सरकार
(c) Appropriate authority/समुचित प्राधिकारी
(d) Central supervisory board with the previous sanction of Central Government/केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से

1. (c)	8. (b)	15. (d)	22. (a)	29. (b)	36. (a)	43. (d)	50. (d)	57. (d)
2. (b)	9. (c)	16. (d)	23. (c)	30. (a)	37. (b)	44. (d)	51. (b)	58. (c)
3. (c)	10. (a)	17. (c)	24. (b)	31. (c)	38. (d)	45. (c)	52. (c)	59. (a)
4. (a)	11. (a)	18. (d)	25. (c)	32. (b)	39. (d)	46. (b)	53. (a)	60. (b)
5. (d)	12. (b)	19. (c)	26. (b)	33. (b)	40. (d)	47. (c)	54. (d)	61. (c)
6. (b)	13. (d)	20. (a)	27. (c)	34. (a)	41. (b)	48. (d)	55. (d)	62. (a)
7. (a)	14. (b)	21. (b)	28. (c)	35. (a)	42. (b)	49. (c)	56. (a)	63. (d)

The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971
गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971

1. When the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 enacted?/गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 कब बना?

(a) 1971 (b) 1972
(c) 1974 (d) 1976

2. When the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 was published in Gazette?
चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 का गजट (राजपत्र) में प्रकाश कब हुआ?

(a) 6 August, 1971/6 अगस्त, 1971
(b) 10 July, 1971/10 जुलाई, 1971
(c) 7 July, 1971/7 जुलाई, 1971
(d) 10 August, 1971/10 अगस्त, 1971

3. The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 came into force/चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 लागू कब हुआ?

(a) 10 April, 1972/10 अप्रैल, 1972
(b) 1 May, 1971/1 मई, 1971
(c) 1 April, 1972/1 अप्रैल, 1972
(d) 10 May, 1971/10 मई, 1971

4. What is the nature of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971?
गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 की प्रकृति कैसी है?

(a) Statutory/सांविधिक
(b) Legal/कानूनी
(c) Legitimate/न्यायसंगत
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

5. How many chapter and part in the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971?
गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में कितने अध्याय व भाग है।

(a) 5 Chapter, 10 Part/5 अध्याय, 10 भाग
(b) 2 Chapter, 5 Part/2 अध्याय, 5 भाग
(c) 15 Chapter, 3 Part/15 अध्याय, 3 भाग
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

6. How many sections are in the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971?
गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अंदर कितनी धाराएं है?

(a) Section 10/10 धाराएं
(b) Section 8/8 धाराएं
(c) Section 34/34 धाराएं
(d) Section 37/37 धाराएं

7. How many amendment have been made in the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971?/गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुए है?

(a) 3 time/3 बार (b) 9 time/9 बार
(c) 6 time/6 बार (d) 2 time/2 बार

8. The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 extend to–/गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 का विस्तार होगा।

(a) To the whole word/सम्पूर्ण विश्व पर
(b) To the whole of India except Jammu and Kashmir/जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर
(c) To the whole of India/सम्पूर्ण भारत पर
(d) Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों

9. What is meant by the term guardian under the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971?/गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अंतर्गत 'संरक्षक' शब्द से अभिप्रेत है?

(a) Person having care of minor
अवयस्क का प्रभारी व्यक्ति
(b) Person having care of major
वयस्क का प्रभारी व्यक्ति
(c) Mentally fit person/मानसिक रूप से स्वथ्य व्यक्ति
(d) Person having the care of the person of a minor or a mentally ill person/अवयस्क या (मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति) के शरीर की देख-रेख का प्रभारी व्यक्ति

10. When can be pregnancy terminated by registered medical practitioners?/गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है।

(a) When the pregnancy does not exceed 20 weeks/जहां गर्भ 20 सप्ताह से अधिक का न हो,

(b) When the pregnancy exceeds 20 weeks but does not exceed 24 weeks/जहां गर्भ 20 सप्ताह से अधिक का हो किन्तु 24 सप्ताह से अधिक का न हो

(c) When the life of the pregnant woman is at risk/जब गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में हो

(d) All of these/इनमें से सभी

11. Under the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, the pregnancy of a woman who has not attained the age of 18 year will be terminated with whose consent/गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अंतर्गत किसी ऐसी स्त्री का गर्भ, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, किसकी सहमति से समाप्त किया जायेगा

(a) with the written consent of his guardian
उसके संरक्षक की लिखित सम्मति से

(b) with the oral consent of his guardian
उसके संरक्षक की मौखिक सम्मति से

(c) Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों

(d) Only (a)/केवल (a)

12. Under the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, what punishment shall be provided for termination of pregnancy by a person other than a registered medical practitioner.
चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा किए गए गर्भ के समापन के लिए किस दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

(a) Rigorous imprisonment/कठोर कारावास से

(b) Simple imprisonment/साधारण कारावास से

(c) Imprisonment of 2 year/2 वर्ष के कारावास से

(d) With rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 2 year but which may extend to 7 years/कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा।

13. Under the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, any person who terminates pregnancy at a place other than a hospital or place established or maintained by the government, will be punished.
चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कोई व्यक्ति, सरकार द्वारा स्थापित या पोषित अस्पताल अथवा स्थान से भिन्न स्थान पर गर्भ का समापन करेगा तो वह दण्डित किया जायेगा।

(a) Imprisonment of 3 years/3 वर्ष के कारावास से

(b) Life imprisonment/आजीवन कारावास से

(c) Death/मृत्युदण्ड से

(d) With rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 2 year but which may extend to 7 years/कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

14. Under the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, intimation and information about termination of pregnancy done by a registered medical practitioner shall be given–
गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अंतर्गत किसी राजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया गया गर्भ समापन की प्रज्ञापना तथा जानकारी दी जायेगी।

(a) to the State Government/राज्य सरकार को

(b) to the Central Government/केन्द्र सरकार को

(c) to the Chief Medical Officer
मुख्य चिकित्सक अधिकारी को

(d) to any Medical Officer
किसी भी चिकित्सक अधिकारी को

15. Willfully contravances any regulation made under Section 7 of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, will be punished–
चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा 7 के अधीन बनाये गए किसी विनियम का जानबूझकर उल्लंघन करेगा। वह दण्डित किया जायेगा।

(a) simple imprisonment/साधारण कारावास से

(b) with imprisonment of one year
एक वर्ष के कारावास से

(c) Fine which may extend to one thousand rupees/जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा

(d) Fine which may extend to ten thousand rupees/जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा

उत्तरमाला

1. (a)	2. (d)	3. (c)	4. (b)	5. (d)
6. (b)	7. (a)	8. (c)	9. (d)	10. (d)
11. (d)	12. (d)	13. (d)	14. (c)	15. (c)

The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

1. When did assent of President received to the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 No. 60.
स्त्री अशिष्टरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 क्रमांक 60 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई–
(a) 21 December, 1986/21 दिसम्बर, 1986 को
(b) 22 December, 1986/22 दिसम्बर, 1986 को
(c) 21 December, 1987/21 दिसम्बर, 1987 को
(d) 23 December, 1986/23 दिसम्बर, 1986 को

2. The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 extends to/स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 का विस्तार है–
(a) the whole of India/संपूर्ण भारत पर
(b) the whole of India except Jammu and Kashmir/जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर
(c) the whole of India except Nagaland and Scheduled tribal areas/नागालैड एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर
(d) the Jammu and Kashmir including tribal areas of Meghalaya/जम्मू-कश्मीर सहित मेघालय के जनजाति क्षेत्रों पर भी

3. The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 came into force/स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 कब प्रवर्तन में आया–
(a) 2 October, 1987/02 अक्टूबर, 1987 को
(b) 22 December, 1986/22 दिसम्बर, 1986 को
(c) 21 September, 1987/21 सितम्बर, 1987 को
(d) 23 December, 1986/23 दिसम्बर, 1986 को

4. According to Section 2(a) of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 any notice, circular, label, wrapper or other document and also includes visible representation made by means of any light, sound, smoke or gas means
स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 2 (क) के अनुसार कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रेपर, अन्य दस्तावेज और इसके अन्तर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृष्यरूपण भी है, से अभिप्रेत हैः–
(a) Distribution/वितरण
(b) Advertisement/विज्ञापन
(c) Women Indecent Representation/स्त्री अशिष्ट रूपण
(d) Label/लेबल

5. Advertisement under the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 includes/महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम के अधीन विज्ञापन में सम्मिलित है–
(a) Label/लेबल
(b) Wrapper/रैपर
(c) Label and wrapper both/लेबल और रैपर दोनों
(d) Label, wrapper and notice
लेबल, रैपर और सूचना

6. 'Distribution' according to Section 2(b) of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, means/स्त्री अशिष्टरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 2(खा) के अनुसार 'वितरण' से अभिप्रेत है–
(a) Distribution by way of sample
नमूने के तौर पर वितरण
(b) Free distribution as a sample
नमूने के तौर पर मूफ्त वितरण
(c) Sale as a sample/नमूने के तौर पर विक्रय
(d) Distribution by way of sample whether free or otherwise/नमूने के तौर पर चाहे मुफ्त या अन्यथा, वितरण भी है

7. Under which section of Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, Indecent Representation of women is defined/स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की किस धारा में महिलाओं का अशिष्ट रूपण को परिभाषित किया गया है–
(a) Section 1/धारा 1
(b) Section 2(c)/धारा 2(ग)
(c) Section 2(f)/धारा 2(च)
(d) Section 4(c)/धारा 4(ग)

8. Under which section of Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, Indecent Representation of women is defined/स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की किस धारा के अधीन 'महिलाओं का अशिष्ट रूपण' की परिभाषा दी गई है–
(a) Section 2(a)/धारा 2(क)
(b) Section 2(b)/धारा 2(ख)
(c) Section 2(c)/धारा 2(ग)
(d) Section 4(d)/धारा 4(घ)

9. Under the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, Indecent Representation of women means the depiction in any manner of the figure of a women, her form or body or any part thereof in such a way that

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'स्त्री अशिष्ट रूपण' से किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग का, किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना अभिप्रेत है–

(a) have indecent effect/जिसका प्रभाव अशिष्ट हो
(b) is derogatory or denigrating for women
जो स्त्रियों के लिये अपमानजनक या निन्दनीय हो
(c) is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals/लोक नैतिकता या नैतिक आधार के विकृष्ट, भ्रष्ट या क्षति होने की सम्भावना हो
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

10. Any written, marked, stamped, printed or graphic matter, affixed to or appearing upon any package, means/कोई लिखित, चिन्हित सम्पत्ति, मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु, जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही है, से अभिप्रेत है–

(a) Distribution/वितरण
(b) Advertisement/विज्ञापन
(c) Indecent representation of women
स्त्री अशिष्ट रूपण
(d) Label/लेबल

11. Package under Section 2(e) of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, includes/स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 2(ङ) के अधीन पैकेज के अंतर्गत है–

(a) Box/बाक्स (b) Carton/कार्टन
(c) Tin/टिन
(d) Box, carton, tin or other container
बाक्स, कार्टन, टिन या अन्य पात्र

12. Under which section of Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, advertisement containing indecent representation of women is prohibited–
स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की किस धारा के अधीन महिलाओं के अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापन प्रतिषेधित है–

(a) Section 3/धारा 3 (b) Section 4/धारा 4
(c) Section 5/धारा 5 (d) Section 6/धारा 6

13. Nothing in Section 4 shall apply to any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation of figure
धारा 4 की कोई बात किसी ऐसी पुस्तक, पत्रिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख चित्र, फोटोचित्र, रूपण या आकृति को लागू नहीं होगी–

(a) the publication of which is proved to be justified as being for the public good and in the interest of science, literature, art or other objects of general concern/जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिये होने के कारण न्यायोचित साबित हो जाता है जो विज्ञान, साहित्य कला अथवा विद्या या सर्वसाधारण सम्बन्धित अन्य उद्देश्यों के हित में है
(b) which is kept or used bona fide for religious purposes/जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिये रखी या उपयोग में लायी जाती है
(c) Only (a) is correct/केवल 'अ' सही है
(d) Both (a) and (b) are correct
'अ' एवं 'ब' दोनों सही है

14. Under which section of Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 power to enter and search provided, where there is reason to believe that an offence under this act has been or is being committed/स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की किस धारा के अधीन किसी स्थान में जहाँ यह विश्वास करने का कारण कि वहाँ उस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो, प्रवेश करने तलाशी लेने शक्ति का उपबन्ध है–

(a) Section 3/धारा 3 (b) Section 4/धारा 4
(c) Section 5/धारा 5 (d) Section 6/धारा 6

15. Under Section 5 of Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 the power to enter and search is available/स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति प्राप्त है।

(a) Any police officer authorised by the court of session/सेशन न्यायालय द्वारा अधिकृत कोई पुलिस अधिकारी
(b) Any police officer authorised by the District court/जिला न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी
(c) Any police officer authorised by the State Government/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी
(d) None of the above/इनमें से कोई भी

16. Who has power to enter and search under the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986/स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अधीन प्रवेश करने की और तलाशी लेने की शक्ति किसके पास है–

(a) State Government/राज्य सरकार
(b) Central Government/केन्द्र सरकार
(c) Any gazetted officer authorised by the State Government/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी
(d) Any gazetted officer/किसी भी राजपत्रित अधिकारी

17. Under Section 5(1) of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, no entry shall be made without a warrant/स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 5(1) के अधीन कोई प्रवेश, वारण्ट के बिना नहीं किया जायेगा–

(a) into public place/किसी सार्वजनिक स्थान में
(b) in a brothel/किसी वैश्यागृह में
(c) into a private dwelling house
प्राईवेट निवास गृह में
(d) all options are correct/सभी विकल्प सही

18. **Where any person seizes anything under clause (b) or clause (c) of sub-section (1), he shall immediately inform to the/जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा (1) खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन किसी वस्तु का अभिग्रहण करता है, वहाँ यथाशीघ्र उसकी इत्तिला देगा–**
(a) Police officer/पुलिस अधिकारी को
(b) Court of session/सत्र न्यायाधीश
(c) Nearest Magistrate/निकटतम मजिस्ट्रेट को
(d) All the above/ये सभी

19. **Who contravenes the provision of Section 3 or 4 shall be punished on first conviction/जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 या 4 का उल्लंघन करेगा, तो वह प्रथम दोषसिद्ध पर दण्डनीय होगा–**
(a) imprisonment 1 year and fine 1000 rupees
1 वर्ष का कारावास और 1 हजार रूपए का जुर्माना
(b) imprisonment 2 year and fine 2000 rupees
2 वर्ष का कारावास और 2 हजार रूपए का जुर्माना
(c) imprisonment 3 year and fine 3000 rupees
3 वर्ष का कारावास और 3 हजार रूपए का जुर्माना
(d) imprisonment 4 year and fine 4000 rupees
4 वर्ष का कारावास और 4 हजार रूपए का जुर्माना

20. **Who contravenes the provision of Section 3 or 4 shall be punished on second and subsequent conviction/जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 या 4 का उल्लंघन करेगा, तो वह द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर दण्डनीय होगा–**
(a) imprisonment for a term of not less than 6 months but which may extend to 5 years
कारावास, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किन्तु 5 वर्ष की हो सकेगी
(b) fine not less than 10 thousand rupees but may extend to 1 lakh rupees/जुर्माना जो, 10 हजार रूपए से कम का नहीं होगा, किन्तु 1 लाख रूपए तक का हो सकेगा
(c) Both above/उपरोक्त दोनों
(d) Above only (a)/उपरोक्त केवल 'अ'

21. **In which section of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 provision has been made regarding offence by companies/स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की कौन सी धारा में कम्पनी द्वारा अपराध के संबंध में उपबन्ध किया गया है–**
(a) Section 7/धारा 7
(b) Section 8/धारा 8
(c) Section 9/धारा 9
(d) Section 10/धारा 10

22. **According to which section of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 offences under the act shall be cognizable and bailable/स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की किस धारा के अनुसार अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे**
(a) Section 8/धारा 8
(b) Section 7/धारा 7
(c) Section 9/धारा 9
(d) Section 10/धारा 10

23. **Offence under the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 is/स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अपराध है–**
(a) Non-cognizable/असंज्ञेय
(b) Non-bailable/अजमानतीय
(c) Neither bailable nor cognizable
न तो जमानतीय और ना ही संज्ञेय है
(d) Both cognizable and bailable
संज्ञेय और जमानतीय दोनों

24. **Offence punishable under the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 will be/स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधा होगा–**
(a) Non-cognizable and non-bailable
असंज्ञेय तथा अजमानतीय
(b) Cognizable and bailable
संज्ञेय तथा जमानतीय
(c) Non-cognizable and bailable
असंज्ञेय तथा जमानतीय
(d) Cognizable and non-bailable
संज्ञेय तथा अजमानतीय

25. **In which section of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 protection has been provided for acts done in good faith स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अधीन किस धारा में सद्भावना के किये कार्यों के लिये संरक्षण प्रदान किया गया है–**
(a) Section 7/धारा 7
(b) Section 9/धारा 9
(c) Section 6/धारा 6
(d) Section 10/धारा 10

26. **Who has power to make rules for carrying out the provision of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986/स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों की पूर्ति के लिये नियम बनाने की शक्ति किसके पास है–**
(a) State Government/राज्य सरकार
(b) State women commission/राज्य महिला आयोग
(c) National women commission/राष्ट्रीय महिला आयोग
(d) Central Government/केन्द्रीय सरकार

27. **Under Section 10 of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 who among the following has the power to make rules/स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है–**
(a) Central Government, by notification in official gazette/केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
(b) Central Government with the consultation of the Chief Justice of Supreme Court/केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से
(c) State Government/राज्य सरकार
(d) State Government in consultation with the Governor/राज्य सरकार, राज्यपाल के परामार्श से

उत्तरमाला (Answer Key)

1. (d)	4. (b)	7. (b)	10. (d)	13. (d)	16. (c)	19. (b)	22. (a)	25. (b)
2. (a)	5. (d)	8. (c)	11. (d)	14. (c)	17. (c)	20. (c)	23. (d)	26. (d)
3. (a)	6. (d)	9. (d)	12. (a)	15. (c)	18. (c)	21. (a)	24. (b)	27. (a)

The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

1. **What is the objective behind the enactment of The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधिनियमन का उद्देश्य क्या है–**
   (a) Protection of Children from sexual assault, sexual harassment and offences related to obsence literature/लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करना।
   (b) Establishment of special courts for trial of such offences
   ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना करना।
   (c) To make provisions connected there with or incidented thereto/उनसे सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करना।
   (d) All the above/उपरोक्त सभी।

2. **How many chapters, sections and schedules are in The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में कितने अध्याय, धारा, अनुसूचियाँ हैंः-**
   (a) 9 Chapters, 46 Sections and 1 Schedule
   9 अध्याय एवं 46 धाराएँ तथा 1 अनुसूचियाँ
   (b) 10 Chapters, 42 Sections and 2 Schedule
   10 अध्याय एवं 42 धाराएँ तथा 2 अनुसूचियाँ
   (c) 11 Chapters, 44 Sections and 3 Schedule
   11 अध्याय एवं 44 धाराएँ तथा 3 अनुसूचियाँ
   (d) 12 Chapters, 40 Sections and 5 Schedule
   12 अध्याय एवं 40 धाराएँ तथा 5 अनुसूचियाँ

3. **When did the President of India gave assent to The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुईः-**
   (a) 20 January, 2012/20 जनवरी, 2012
   (b) 20 February, 2012/20 फरवरी, 2012
   (c) 19 June, 2012/19 जून, 2012
   (d) 30 June, 2012/30 जून, 2012

4. **The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 extends to?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का विस्तार है**
   (a) Whole of India/सम्पूर्ण भारत
   (b) Whole India except Jammu and Kashmir
   जम्मू-कश्मीर के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर
   (c) Only scheduled areas
   केवल (अ)नूसूचित क्षेत्रों पर
   (d) Areas notified by Central Government
   केन्द्र सरकार द्वारा सूचित क्षेत्रों पर

5. **When did The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 came into force?**
   लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 कब प्रवर्तित हुआः-
   (a) 14 November, 2012/14 नवम्बर, 2012
   (b) 20 November, 2012/20 नवम्बर, 2012
   (c) 30 November, 2012/30 नवम्बर, 2012
   (d) 15 November, 2012/15 नवम्बर, 2012

6. **According to Section 2(c) of The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012, Armed Force or Security Force means?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(ग) के अनुसार सशस्त्र बल या सुरक्षा बल से अभिप्रेत हैं–**
   (a) Armed forces of the union/संघ के सशस्त्र ब
   (b) Security forces as specified in the schedule
   अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा बल
   (c) Police force/पुलिस बल
   (d) All the above/उपरोक्त सभी

7. **Any person under the Section 2(d) of The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 whose age is less than .... years is a child/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2 (घ) के अधीन कोई व्यक्ति, जिसकी आयु......... वर्ष से कम, एक बालक है**
   (a) 12 (b) 16
   (c) 17 (d) 18

8. **Under The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 'child' means?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में बालक से क्या अभिप्रेत हैः–**
   (a) That person whose age is less than 14 years
   वह व्यक्ति, जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है।
   (b) That person whose age is less than 16 years
   वह व्यक्ति, जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है।
   (c) That person whose age is less than 18 years
   वह व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।
   (d) That person whose age is less than 21 years
   वह व्यक्ति, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है।

9. According to Section 2(e) of The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012, of domestic relation shall have the same meaning as/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(ड़) के अनुसार घरेलू सम्बन्ध का वही अर्थ है, जो–

(a) Assigned to it in clause (f) of Section 2 of Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005)/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) के खण्ड 2 (च) से है।

(b) Assigned to it in clause (f) of Section 3 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (42 of 2005)/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के खण्ड 3 (च) से है।

(c) Assigned to it in clause (d) of Section 5 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (42 of 2005)/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के खण्ड 5 (घ) से है।

(d) Assigned to it in clause (c) of Section 2 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (42 of 2005)/घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के खण्ड 2 (स) से है।

10. According to Section 2(i) of The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 'Religious Institution has the same meaning/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(ज) के अनुसार धार्मिक संस्था का वही अर्थ है, जो–

(a) As assigned in Religious institution (Prevention of Misuse) Act, 1988 (41 of 1988)
धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) में है।

(b) As assigned in Religious institution (Prevention of Misuse) Act, 1989 (41 of 1988)
धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1989 (1988 का 41) में है।

(c) As assigned in Religious institution (Prevention of Misuse) Act, 1990 (41 of 1988)
धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1990 (1988 का 41) में है।

(d) As assigned in Religious institution (Prevention of Misuse) Act, 1991 (41 of 1988)
धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1991 (1988 का 41) में है।

11. In Section 2(k) of The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 'such household' where the person charged with offence lived at anytime in a domestic relationship with the child means/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(ट) में ऐसी ग्रहस्थी से जहाँ अपराध से आरोपित व्यक्ति किसी प्रक्रम पर बालक के साथ घरेलू सम्बन्धी के रूप में रहा है, से अभिप्रेत है–

(a) Domestic relationship/घरेलू सम्बन्ध

(b) Domestic organization/घरेलू संस्था

(c) Shared household/साझी गृहस्थी

(d) Religious organization/धार्मिक संस्था

12. As per Section 2(l) of The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 the term "Special Court" means/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(ठ) के अनुसार विशेष न्यायालय से अभिप्रेत हैः–

(a) a Court designated as such under Section 28
धारा 28 के अधीन इस प्रकार अभिहित न्यायालय

(b) a Court designated as such under Section 39
धारा 39 के अधीन इस प्रकार अभिहित न्यायालय

(c) a Court designated as such under Section 30
धारा 30 के अधीन इस प्रकार अभिहित न्यायालय

(d) a Court designated as such under Section 31
धारा 31 के अधीन इस प्रकार अभिहित न्यायालय

**13. As per Section 2(m) of The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 the term "Special Public Prosecutor" means–
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(ड) के अनुसार विशेष लोक अभियोजक से अभिप्रेत हैः-**

(a) a public prosecutor appointed under Section 28/धारा 28 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक

(b) a public prosecutor appointed under Section 29/धारा 29 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक

(c) a public prosecutor appointed under Section 30/धारा 30 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक

(d) a public prosecutor appointed under Section 32/धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक

14. As per Section 2(2), "those words and expressions used here in and not defined" shall have same meaning which are/धारा 2(2) के अनुसार उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जोः-

(a) defined in the Indian Penal Code, 1860
भारतीय दण्ड संहिता 1860 में परिभाषित है।

(b) defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 (CPC)
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित है।

(c) defined in Juvenile Justice Act, 2015 and Information Technology Act, 2000/किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित है।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

15. In which section of The Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 "Penetrative Sexual Assault" has been defined?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की किस धारा में प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है:-

(a) Section 3/धारा 3 (b) Section 4/धारा 4
(c) Section 5/धारा 5 (d) Section 6/धारा 6

16. A person is said to commit a 'Penetrative Sexual Assault' if he/कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यदि वहः-

(a) Penetrates his penis to any extent into vagina, mouth, urethra or anus of any child/अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुँह, मूत्रामार्ग, या गुदा में प्रवेश करता है।
(b) Insert any object or part of his body into vagina, urethra or anus to the child/किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसाता है।
(c) Manipulates any part of childs body so that he can penetrate inside the vagina or urethra, anus or make the child to do so with other person/बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है, जिससे की वह बालक की योनि या मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कर सके या बालक के उसके साथ या किस अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

17. In which section of the act, provisions of punishment for penetrative sexual assault have been made?/प्रवेशन लैंगिक हमले के लिये दण्ड का उपबन्ध किस धारा में किया गया है:-

(a) Section 4/धारा 4 में
(b) Section 5/धारा 5 में
(c) Section 6/धारा 6 में
(d) Section 7/धारा 7 में

18. Whoever commits penetrative sexual assault then he shall be punishable with/जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो वह दण्डनीय होगा–

(a) Imprisonment which shall not be less than 10 years/कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी।
(b) May extends to imprisonment for life
जो आजवन कारावास तक हो सकेगा।
(c) Also with fine/जुर्माने से भी
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

19. Whoever commit penetrative sexual assault on a child below 16 years of age shall be punished with/जो कोई 16 वर्ष से कम के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, तो वह दण्डनीय होगाः-

(a) Imprisonment which shall is not be less than 20 years/कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी।
(b) May extent to life imprisonment
जो आजवन कारावास तक हो सकेगा।
(c) Also to fine/जुर्माने से भी
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

20. In which section of the act, aggravated penetrative sexual assault has been defined? अधिनिमय, कीं किस धारा में गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभषित किया गया है–

(a) Section 4/धारा 4 में (b) Section 5/धारा 5 में
(c) Section 6/धारा 6 में (d) Section 7/धारा 7 में

21. Whoever commits penetrative sexual assault, such person shall cause aggravated penetrative sexual assault if he/जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह व्यक्ति गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वह :-

(a) being a police officer, member of armed forces or security forces commit penetrative sexual assault in his jurisdiction/पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुये अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
(b) Being a public servant commit penetrative sexual assault/लोक सेवक होते हुये प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
(c) Being management or staff of a jail, remand home, protection home, hospital, educational institution or religious institution commit sexual assault in his jurisdiction/जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, अस्पताल, शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुये अपने अधिकार में प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

22. Whoever commits penetrative sexual assault such person shall cause aggravated penetrative sexual assault if he/जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वह व्यक्ति गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यदि वह

(a) commits gang penetrative sexual assault
सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।
(b) commits penetrative sexual assault using deadly weapns, fired armed, heated substance or corrosive substance/घातक आयुध, आग्नेय शस्त्र, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का उपयोग करते हुए प्रवेशन लैगिक हमला करता है।

(c) causing grevious hurt by commiting penetrative sexual assault/प्रवेशन लैंगिक हमला करके घोर उपहति कारित करता है।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

23. Any person commits an aggravated penetrative sexual assault on a child if he commits a penetrative sexual assault in such a manner that the child–
कोई व्यक्ति किसी बालक गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यदि वह उस बालक को इस प्रकार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, जिससे वह बालकः-
(a) becomes physically disable or mentally ill
शारीरिक रूप से अशक्त या मानसिक रोगी हो जाता है।
(b) the girl becomes pregnant
बालिका गर्भवती हो जाती है।
(c) the child gets inflicted with HIV or some other fatal disease or infection, permanently or temporary/बालक एचआईबी या अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से स्थायी या अस्थाय रूप से ग्रस्त हो जाता है।
(d) cause death of the child
बालक की मृत्यु हो जाती है।
(e) all the above/उपरोक्त सभी

24. Whoever commits penetrative sexual assault, he commits an aggravated penetrative sexual assault if he does so/जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह व्यक्ति गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला है यदि वह प्रवेशन लैंगिक हमला करता है–
(a) by taking advantage of the child's mental or physical inability (weakness)/बालक की मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाकर
(b) more than once or repeatedly
एक से अधिक बार या बार-बार
(c) On a child below 12 years age
12 वर्ष से कम आयु के बालक पर
(d) All the above/उपरोक्त सभी

25. Whoever commits penetrative sexual assault he commits an aggravated penetrative sexual assault if he commits penetrative sexual assault/जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वह व्यक्ति गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला है यदि वह प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैः
(a) knowing that the child is pregnant or naked the child publicly/यह जानते हुये कि बालक गर्भ से है या बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा करता है।
(b) an assault with an attempt to murder the child/हमला में बालक की हत्या के प्रयास के साथ
(c) during communal or sectarian violence
सामुदायिक या पथिक हिंसा के दौरान
(d) All the above/उपरोक्त सभी

26. Whoever commit penetrative sexual assault on a child, below .... years, then he is said to commit an aggravated penetrative sexual assault under Section 5(e) of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012/जो कोई..........से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वह धारा 5(ड) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।
(a) 16 years/वर्ष (b) 15 years/वर्ष
(c) 12 years/वर्ष (d) 9 years/वर्ष

27. If any person commit Penetrative Sexual assault, he shall be liable punishment under Section 6 as follows/यदि कोई व्यक्ति गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो वह धारा 6 के अन्तर्गत निम्न प्रकार दण्डनीय होगाः-
(a) imprisonment which shall not be lesss than 3 years but which may extend to life imprisonment
कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा।
(b) imprisonment which shall not be lesss than 5 years but which may extend to life imprisonment
कारावास, जिसकी अवधि 5 वर्ष कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा।
(c) imprisonment which shall not be lesss than 10 years but which may extend to life imprisonment
कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा।
(d) imprisonment which shall not be lesss than 20 years but which may extend to life imprisonment
कारावास, जिसकी अवधि 20 वर्ष कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा।

28. 'A' a police officer commits penetrative sexual assault in that police station where he is posted, he shall be punishable under which section of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012/क एक पुलिस ऑफिसर, एक बालक पर उस पुलिस थाने में जहाँ उसक नियुक्ति है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 क किस धारा के अधीन वह दण्डित होगाः-
(a) Section 6/धारा 6 (b) Section 7/धारा 7
(c) Section 8/धारा 8 (d) Section 9/धारा 9

29. Sexual assault has been defined under which section of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की किस धारा में लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है।

(a) Section 6/धारा 6
(b) Section 7/धारा 7
(c) Section 8/धारा 8
(d) Section 9/धारा 9

30. Any person commits a sexual assault if he does so with sexual intent/कोई व्यक्ति लैंगिक हमला करता है, यदि वह लैंगिक आशय से:-

(a) by touching, the vagina, penis, anus or breast of the child/बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छुता है।
(b) makes that child to touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person/बालक को स्वयं या किसी अन्य की योनि, लिंग गुदा या स्तन छुने के लिये तैयार करता है।
(c) makes physical contact without any penetration/प्रवेशन किये बिना शारीरिक सम्पर्क करता है।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

31. Whoever commits sexual assault on any child then, he shall be punishable under Section 8 by/जो कोई किसी बालक पर लैंगिक हमला करेगा, तो धारा 8 के तहत वह दण्डनीय होगा।

(a) Imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but may extend to 3 years
कारावास, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु 3 वर्ष तक हो सकेगी।
(b) Imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but may extend to 5 years
कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु 5 वर्ष तक हो सकेगी।
(c) Imprisonment for a term which shall not be less than 4 years but may extend to 5 years
कारावास, जिसकी अवधि 4 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु 5 वर्ष तक हो सकेगी।
(d) Imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but may extend to 6 years
कारावास, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु 6 वर्ष तक हो सकेगी।

32. In which section of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 aggravated sexual assasult has been defined?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की किस धारा में 'गुरूत्तर लैंगिक हमला' परिभाषित किया गया है:-

(a) Section 9/धारा 9
(b) Section 10/धारा 10
(c) Section 11/धारा 11
(d) Section 12/धारा 12

33. Whoever on a child commits "aggravated sexual assault" shall be punishable under Section 10 for/जो कोई किसी बालक पर 'गुरूत्तर लैंगिक हमला' करेगा, तो धारा 10 के तहत दण्डनीय होगा:

(a) Imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but may extend to 3 years
कारावास, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु 3 वर्ष तक हो सकेगी।
(b) Imprisonment for a term which shall not be less than 4 years but may extend to 4 years
कारावास, जिसकी अवधि 4 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु 4 वर्ष तक हो सकेगी।
(c) Imprisonment for a term which shall not be less than 4 years but may extend to 5 years
कारावास, जिसकी अवधि 4 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु 5 वर्ष तक हो सकेगी।
(d) Imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but may extend to 7 years
कारावास, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु 7 वर्ष तक हो सकेगी।

34. Under which section of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, Sexual harassment defined/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की किस धारा के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीडन को परिभाषित किया गया है:-

(a) Section 2/धारा 2
(b) Section 5/धारा 5
(c) Section 9/धारा 9
(d) Section 11/धारा 11

35. A person is said to commit sexual harassment upon a child, if he with a sexual intent/कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यदि वह लैंगिक आशय से:-

(a) Utters any word or makes any sound ormakes any gesture or exhibits any object or part of body/बालक को शब्द कहता है, ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित करता है।
(b) Asking the child to show any part of his body/बालक से अपने शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिये कहता है।
(c) Exhibits some object in some obsence from or through media or entice or give gratification to the child/बालक को किसी प्रारूप या मीडिया में कोई वस्तु दिखाता है या प्रलोभन या पारितोषण देता है।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

36. Under Section 11 question involving sexual intent shall be a ..../धारा 11 के अन्तर्गत लैंगिक आशय में अन्तर्विष्ट कोई प्रश्न .... होगा:-

(a) question of fact/तथ्य का प्रश्न
(b) question of law/विधि का प्रश्न
(c) a mixed question of fact and law
तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न
(d) All the above/उपरोक्त सभी

37. Under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 whosoever commits sexual harassment upon a children shall be punished with imprisonment for a term?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीडन करेगा, उसे कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है

(a) 1 year and fine/1 वर्ष एवं जुर्माना
(b) 3 year and fine/3 वर्ष एवं जुर्माना
(c) 7 year and fine/7 वर्ष एवं जुर्माना
(d) 5 year and fine/5 वर्ष एवं जुर्माना

38. Under which section of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 "Use of children for the purpose of pornographic defined/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की किस धारा के अन्तर्गत, 'अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिये बालक के उपयोग' को परिभाषित किया गया है:-

(a) under Section 12/धारा 12 के अन्तर्गत
(b) under Section 13/धारा 13 के अन्तर्गत
(c) under Section 14/धारा 14 के अन्तर्गत
(d) under Section 15/धारा 15 के अन्तर्गत

39. Use of a child for pornographic purpose includes/अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिये बालक का उपयोग के अन्तर्गत आता है:-

(a) Representation of the sexual organs of a child किसी बालक की जननेन्द्रियों का प्रदर्शन
(b) Use of any child for real or simulated sexual acts/किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना।
(c) the indicent or obscene representation of a child/किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन
(d) All the above/उपरोक्त सभी

40. For the purpose of Section 13 use of a child includes/धारा 13 के प्रयोजन के लिये किसी बालक का उपयोग पद के अन्तर्गत आता है।

(a) Production, offering, transmitting pronographic material/अश्लील सामग्री को तैयार, उत्पादन प्रस्थान करना।
(b) Printing for publishing, facilitating and distribution/पारेषण प्रकाशन सुनकर और वितरण करने के लिए मुद्रण करना।
(c) Involving a child through a electronic computer system/इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर माध्यम से बालक को अंतर्वलित करना
(d) All the above/उपरोक्त सभी

41. Under which section punishment for using any child for pornographic purposes provided /अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिये बालक के उपयोग के लिये दण्ड का उपबन्ध किस धारा के अन्तर्गत है–

(a) under Section 12/धारा 12 के अन्तर्गत
(b) under Section 13/धारा 13 के अन्तर्गत
(c) under Section 14/धारा 14 के अन्तर्गत
(d) under Section 15/धारा 15 के अन्तर्गत

42. What punishment is provided for the use of a child for the purpose of pornographic?/अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिये किस दण्ड का उपबन्ध हैं:–

(a) Imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and penalty/कारावास जो पाँच वर्ष से कम न होगा एवं जुर्माना
(b) In case of second or subsequent conviction, with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years/द्वितीय एवं पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास जो सात वर्ष से कम न होगा
(c) Both the above/उपरोक्त दोनों
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

43. Under which section punishment has been provided for storage of pornographic material involving child?/किस धारा के अन्तर्गत बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भण्डारण के लिये दण्ड का उपबन्ध है:

(a) under Section 15/धारा 15 के अन्तर्गत
(b) under Section 16/धारा 16 के अन्तर्गत
(c) under Section 17/धारा 17 के अन्तर्गत
(d) under Section 18/धारा 18 के अन्तर्गत

44. Punishment for storage of pornographic material involving child is/बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भण्डारण के लिये दण्ड है:-

(a) Penalty which shall not be less than 5 thousand rupees/जुर्माना जो पॉच हजार रुपये से कम न होगा।
(b) Penalty which shall not be less than 10 thousand rupees on second or subsequent conviction/द्वितीय एवं पश्चातवर्ती दोषसिद्धि में जुर्माना जो दस हजार रूपये से कम न होगा।
(c) Both the above/उपरोक्त दोनों।
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

45. Punishment prescribed for transmitting or propogating or displaying or distributing pornographic material in any from involving a child except for the purpose of reporting as may be prescribed or use as evidence in court?/किस बालक को अन्तग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य का रिपोर्टिंग के विहित प्रयोजनों के सिवाय किसी भी रूप पारेशण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण या न्यायालय के साक्ष्य में उपयोग के लिये दण्ड:-

(a) 2 years imprisonment/2 वर्ष के कारावास का
(b) 3 years imprisonment/3 वर्ष के कारावास का
(c) 5 years imprisonment/5 वर्ष के कारावास का
(d) 7 years imprisonment/7 वर्ष के कारावास का

46. Can any pronographic material involving any child be used as evidence in a court?/क्या किस बालक को अन्तग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य का न्यायालय में साक्ष्य उपयोग किया जा सकता है।

(a) Yes/हाँ
(b) No/नहीं
(c) Can be used with child's consent
बालक की अनुमति से किया जा सकता है।
(d) Consent of child is not necessary
बालक की अनुमति आवश्यक नहीं

47. Punishment prescribed for storage of pronographic material involving any child for commercial purpose is/किस बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य का वाणिज्यिक प्रयोजनों के भण्डारण के लिये दण्ड–

(a) Imprisonment for a which shall not be less than 3 years but may extend to 5 years and penalty कारावास जो तीन वर्ष से कम न होगा किंतु पाँच वर्ष का हो सकेगा एवं जुर्माना।
(b) In case of second or subsequent convictions imprisonment for a term which is not less than 5 years but may extend to 7 years and penalty/द्वितीय एवं पश्चातवर्जी दोषसिद्धि दोषसिद्धि की दशा में कारावास जो पाँच वर्ष से कम न होगा। किंतु सात वर्ष का हो सकेगा एवं जुर्माना
(c) Both the above/उपरोक्त दोनों
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

48. Under which section of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 abetment of an offence has been defined?
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की किस धारा के अन्तर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेषण को परिभाषित किया गया है–

(a) under Section 15/धारा 15 के अन्तर्गत
(b) under Section 16/धारा 16 के अन्तर्गत
(c) under Section 17/धारा 17 के अन्तर्गत
(d) under Section 18/धारा 18 के अन्तर्गत

49. The wife of a school teacher intentionally abandoms (leaves) her home, so that her husband can commit rape of student present there. What will be his criminal liability?/एक विद्यालय शिक्षक की पत्नी जानबूझकर अपना घर छोड कर चल जाती है, जिससे उसका पति वहाँ उपस्थित छात्रा से बालात्संग कर सके उसका आपराधिक दायित्व क्या है–

(a) None/कोई नहीं
(b) He is guilty of abetment under Section 16 of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012/वह यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 16 के अन्तर्गत दुष्प्रेरण की दोषी है।
(c) He has not committed any offence because the girl has not given her consent/उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि लड़की ने अपनी सहमती नहीं दी।
(d) He has cheated the girl
उसने बालिका के साथ धोखा किया

50. Under which section of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 punishment has been prescribed for abetment?
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दण्ड निर्धारित हैः-

(a) Section 14/धारा 14
(b) Section 17/धारा 17
(c) Section 16/धारा 16
(d) Section 19/धारा 19

51. Under which section of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 a punishment has been prescribed for an attempt to commit an offence?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिये दण्ड निर्धारित हैः-

(a) Section 15/धारा 15
(b) Section 16/धारा 16
(c) Section 18/धारा 18
(d) Section 19/धारा 19

52. Whosoever attempts to commit any offence under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 shall be liable to punishment?
जो कोई, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है, वह दण्डनीय होगाः-

(a) Half of the imprisonment for life
आजीवन कारावास के आधे तक
(b) One half of the longest term of imprisonment
कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक
(c) One half of the maximum term of imprisonment
कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक
(d) Both (a) and (b) above/उपरोक्त (a) एवं (b)

53. Under Section 19 of POSCO Act, 2012 provided that/पाक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 19 के अन्तर्गत उपबन्ध किया गया है–

(a) Reporting of crimes/अपराधों की रिपोर्ट करना।
(b) Complaint regarding crimes
अपराधों का परिवाद करना।
(c) Compounding of crime/अपराधों का शमन करना।
(d) Attempt to commit crimes
अपराधों का प्रत्यत्न करना।

54. Any person (including child) who has apprehends that anoffence under this act is likely to be committed or has knowledge that such an offence has been committed he shall provide such information to/कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत बालक भी है) जिसे यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किये जाने की सम्भावना है या यह जानकारी रखता है। कि ऐसा कोई अपराध किया गया वह इसकी जानाकारी उपलब्ध करायेगाः-

(a) Police commissioner/पुलिस कमिश्नर को
(b) Special juvenile police unit
विशेष किशोर पुलिस यूनिट को
(c) Local police/स्थानीय पुलिस को
(d) Both (b) and (c)/उपरोक्त b एवं c

55. Where the Special Juvenile Police Unit or local police is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of care and protection, then it shall after recording the reasons in writing make immediate arrangement to give him within 24 of notice as may be prescribed/जहाँ विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो गया है कि वह बालक जिसके विरूद्ध अपराध किया गया है उसकी देखरेख और संरक्षण कि आवश्यकता है तब वह कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उसे यथा विहित रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर तुरन्त रखने के लिये व्यवस्था की जायेगी।

(a) care and protection/देखरेख और संरक्षण
(b) in shelter home/संरक्षण गृह में
(c) to nearest hospital/निकटतम अस्पताल में
(d) All the above/उपरोक्त सभी

56. The Special juvenile police unit or Local police unit shall report the matter without delay within 24 hours under Section 19 to the?/विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस यूनिट अनावश्यक विलम्ब के बिना 24 घण्टे के भीतर धारा 19 के तहत के मामले की रिपोर्ट करेगीः-

(a) Child Welfare Committee/बालक कल्याण समिति
(b) Special court/विशेष न्यायालय
(c) Session court/सेशन न्यायालय
(d) All the above/उपरोक्त सभी

57. Under the Section 21 of POCSO Act, 2012 if any person fails to report the commission of an offence under Section 19 or 20 or fails to record the offence under Section 19(2) dthen he shall be liable to a punishment?/पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 21 अंतर्गत कोई व्यक्ति जो धारा 19 या 20 अधीन किसी अपराध के किय जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है या धारा 19(2) अधीन अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहता है, वह दण्डनीय है।

(a) 6 months imprisonment/6 माह के कारावास
(b) 1 months imprisonment/1 माह के कारावास
(c) 2 months imprisonment/2 माह के कारावास
(d) 3 months imprisonment/3 माह के कारावास

58. A girl child reported the officer in charge of a police station that she has been sexually abused, but he does not records this information. Has he committed any offence?
थाने के भारसाधक अधिकारी को एक बालिका ने सूचना दी कि उसका लैंगिक दुरुपयोग हुआ है, परन्तु उसने उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं किया। क्या उसने कोई अपराध किया है–

(a) No, because a minor child cannot register any information/कोई नहीं क्योंकि एक अवयस्क सूचना अभिलिखित नहीं करवा सकता है।
(b) None, because she should be accompanied by her parents/कोई नहीं क्योंकि उसके साथ उसके माता पिता को आना चाहिए।
(c) None, because he has suspicion upon girls statement/कोई नहीं क्योंकि उसको बालिका के कथन पर संदेह है।
(d) The officer is guilty of not recording her information/वह उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं करने का दोषी है।

59. If the incharge of any company or institution fails to report commission of a crime by his subordinate employee under Section 19(1), then he shall be liable to a punishment of?/किसी कम्पनी या किसी संस्था का भारसाधक, जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19(1) के अधीन किसी अपराध के किये जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है, वह दण्डनीय होगा–

(a) 1 year imprisonment/1 वर्ष के कारावास
(b) 2 year imprisonment/2 वर्ष के कारावास
(c) 3 year imprisonment/3 वर्ष के कारावास
(d) 4 year imprisonment/4 वर्ष के कारावास

60. Under which section of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 a punishment for false complaint or false statement, punishment has been prescribed?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनिमय, 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिये दण्ड निर्धारित हैः–

(a) Section 22/धारा 22
(b) Section 21/धारा 21
(c) Section 24/धारा 24
(d) Section 25/धारा 25

61. Any person who makes false complaint or provides false information against any person in respect of an offence under Section 3, 5, 7 and Section 9 with intent to humiliate, extort or threaten or defame him, shall be punished with
कोई व्यक्ति जो धारा 3, 5, 7 और धारा 9 के अधीन किये गये किसी अपराध के संबंध में किस व्यक्ति के विरुद्ध उसे अपमानित करने, उद्यापित करने या धमकाने या बदनाम करने के आशय से मिथ्या परिवाद करता है, या सूचना उपलब्ध कराता है, वह दण्डनीय होगाः–

(a) 6 months imprisonment/6 माह के कारावास से
(b) 2 years imprisonment/वर्ष के कारावास से
(c) 3 years imprisonment/3 वर्ष के कारावास से
(d) 4 years imprisonment/4 वर्ष के कारावास से

62. Section 22(2) of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 provides that where a false complaint has been made or false information has been provided by a child, such–
धारा 22(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 प्रावधान करती है, जहाँ किसी बालक द्वारा कोई मित्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध करायी गयी, ऐसे ....

(a) No punishment shall be imposed on child
बालक पर कोई दण्ड अधिरोपित नहीं किया जायेगा।
(b) Child shall be punished with imprisonment which may extent to six month and fine also
ऐसे बालक को कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और अर्थदण्ड से भी दण्डनीय होगा।
(c) The guardian of child shall be punished with imprisonment which may extend to six month and fine also/ऐसे बाललक के संरक्षक ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी और अर्थदण्ड से भी दण्डनीय होगी।
(d) Child shall be punished with imprisonment which may extend to 3 month and fine also
बालक को कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी और अर्थ दण्ड से भी दण्डनीय होगा।

63. Whoever not being a child makes a false complaint or provides false information against a child, knowing thereby victimizing such child in any of the offences under this act, he shall be punished with–
कोई व्यक्ति जो बालक नहीं है, किसी बालक के विरूद्ध कोई मिथ्या परिवाद करता है, या मिथ्या सूचना यह जानते हुए उपलब्ध कराता है कि ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिये उत्पीडित होगा तो वह दण्डनीय होगा।

(a) 1 year imprisonment/1 वर्ष के कारावास से
(b) 2 years imprisonment/2 वर्ष के कारावास से
(c) 3 years imprisonment/3 वर्ष के कारावास से
(d) 4 years imprisonment/4 वर्ष के कारावास से

64. Under which section of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 a provision regarding procedure for media has been made/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिडिया के लिये प्रक्रिया का उपबन्ध किया गया है–

(a) under Section 23/धारा 23 के अन्तर्गत
(b) under Section 24/धारा 24 के अन्तर्गत
(c) under Section 25/धारा 25 के अन्तर्गत
(d) under Section 26/धारा 26 के अन्तर्गत

65. Under which section of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 child statement has bee recorded?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत बालक के कथन अभिलिखित किस धारा के अन्तर्गत किया जाता है–

(a) Section 22/धारा 22 (b) Section 24/धारा 24
(c) Section 26/धारा 26 (d) Section 28/धारा 28

66. Under the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 which of the following conditions shall be follows during the trial or recording of statement?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत निम्न में कौन सी शर्तों का पालन बालक का परिक्षण अथवा उसे बयान अभिलिखित करते समय की जानी चाहिएः-

(a) The statement of the child shall be recorded at his residence or place where he normally reside or at such a place of his choice/बालक का कथन उसके निवास अथवा ऐसे जगह, जहाँ वह साधारणतया निवास करता है अथवा उसके पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाना चाहिए।
(b) The statement of child as far as possible, shall be recorded by a female police officer not below the rank of sub-inspector and shall not be in uniform/जहाँ संभव हो, बालक का बयान उपनिरीक्षकों कि पंक्ति में अन्यून महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा, जो वर्दी में नहीं हो
(c) The investigation officer shall ensure that the child shall at no point of time come in the contact with the accused/अन्वेषण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी समय बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार के सम्पर्क न आवे।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

67. Officer recording the statement of child victim of sexual assault shall not be below the rank of– लैंगिक हमले से पीडित बच्चे के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून नहीं होगा।

(a) Assistant sub-inspector of police
सहायक उप निरीक्षक पुलिस

(b) Police sub-inspector/उप-निरिक्षक पुलिस

(c) Police inspector/निरिक्षक पुलिस

(d) Circle officer/वृत्त अधिकारी

68. Under which section of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 a provision for recording a child's statement by a magistrate has been made?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की किस धारा के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन का उपबन्ध हैः-

(a) Section 24/धारा 24 (b) Section 25/धारा 25

(c) Section 26/धारा 26 (d) Section 27/धारा 27

69. According to Section 25 of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 a statement of a child recorded by magistrate under Section 164 of Code of Criminal Procedure/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 25 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किये जाने वाला बालक का कथन–

(a) shall be recorded in the presence of the advocate of the accused/अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जायेगा

(b) shall not be recorded in the presence of the advocate of the accused/अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जायेगा।

(c) shall be recorded in the presence of the investigating officer/अन्वेषण अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जायेगा।

(d) shall be recorded in the presence of the female police officer/महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जायेगा।

70. According to the Section 26 of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 the Magistrate or Police officer shall record statement of child as spoken in whose presence– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 26 के अनुसार मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किस की उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गये कथन अभिलिखित करेगा–

(a) in the presence of parents of child
बालक के माता पिता

(b) in the presence of such a person on whom the child has trust or confidence/ऐसा व्यक्ति, जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है।

(c) In case of physically or mentally diable child seek the assistance of a special eductor or with the help of person familiar with the child
मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले में विशेष शिक्षक या बालक से सुपरिचित किसी व्यक्ति की सहायता ले सकेगा

(d) All the above/उपरोक्त सभी

71. According to the Section 27 of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 the medical examination of a child against whom any offence has been committed shall be conducted under Section 164(A) of the Criminal Procedure code– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 27 के अनुसार उस बालक की चिकित्सी परीक्षा जिसके बावत कोई अपराध किया गया है, दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 164क के अनुसार संचालित की जायेगी–

(a) after registration of First Information Report or complaint/प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत होने पर

(b) even not upon registration of First Information Report or complaint/प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत न होने पर भी

(c) On registration of First Information Report/प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत होने पर

(d) upon registration of complaint
परिवाद रजिस्ट्रीकृत होने पर

72. Under which section of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 special courts has been designated for speedy trial of offences?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत किस धारा में अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिये विशेष न्यायालय को अभिहित किया गया है–

(a) Section 27/धारा 27 (b) Section 28/धारा 28

(c) Section 29/धारा 29 (d) Section 30/धारा 30

73. Under Section 28 of POCSO Act, 2012 by which of the following shall designated the special court पाक्सो अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय निम्न में से किस के द्वारा पदाभिहित किया जायेगा–

(a) Central Government/केन्द्रीय सरकार

(b) Central Government, in consultation with the chief justice of Supreme Court/केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से

(c) State Government/राज्य सरकार

(d) State Government in consultation with the chief justice of High Court/राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से

74. Under the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 offence shall be tried by/यौने अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधों का विचारण किया जायेगा–

(a) By the court of first class Judicial Magistrate
प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा
(b) By the court of Chief Judicial Magistrate
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा
(c) By district court/जिला न्यायालय
(d) By Special Court/विशेष न्यायालय द्वारा

75. Offence under the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 is triable/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है:

(a) By Special Court/विशेष न्यायालय द्वारा
(b) By Special Juvenile Court
विशेष किशोर न्यायालय द्वारा
(c) By the Judicial Magistrate/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा
(d) By the Chief Judicial Magistrate
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा

76. Presumption regarding abetment and attempt of certain offences are provided/कतिपय अपराधों के दुष्प्रेरण और प्रयत्न की उपधारणा के बारे में उपबन्ध है

(a) Section 29/धारा 29 में
(b) Section 30/धारा 30 में
(c) Section 31/धारा 31 में
(d) Section 32/धारा 32 में

77. Provisions regarding culpable mental state of accused are provided/अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा के बारे में उपबन्ध है:–

(a) Section 29/धारा 29 में
(b) Section 30/धारा 30 में
(c) Section 30/धारा 31 में
(d) Section 32/धारा 32 में

78. Under the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012, the proceeding before Special Court shall be conducted under which act?
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियाँ किस अधिनियम के अंतर्गत होंगी–

(a) Civil Procedure Code/सिविल प्रक्रिया संहिता
(b) Criminal Procedure Code/दण्ड प्रक्रिया संहिता
(c) Special provision/विशेष प्रावधान
(d) None of these/इनमें से कोई सही नहीं

79. Provisions about appointment of special public prosecutor has been made/विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में उपबन्ध है–

(a) Section 29/धारा 29 में
(b) Section 30/धारा 30 में
(c) Section 31/धारा 31 में
(d) Section 32/धारा 32 में

80. For conducting of cases under the provisions of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 the appointment of Special Public Prosecutor shall be made by/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के उपबन्धों के अधीन मामलों का संचालक करने के लिये विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जायेगी।

(a) Central Government/केन्द्रीय सरकार द्वारा
(b) State Government/राज्य सरकार द्वारा
(c) Supreme Court/उच्चतम न्यायालय द्वारा
(d) Sessions Court/सेशन न्यायालय द्वारा

81. Under the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 who shall conduct the proceedings befoere special court/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा–

(a) District Public Prosecution Officer
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
(b) Government Counsel/शासकीय अधिवक्ता
(c) Special Public Prosecutor
विशेष लोक अभियोजक
(d) Addition District Public Prosecutor
अतिरिक्त जिला लोक अभिययोजक

82. Any person shall be eligible for appoint as a special public prosecutor if he had been in practice as an advocate/कोई व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, यदि उसने अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया हो

(a) 5 years/5 वर्ष तक (b) 7 years/7 वर्ष तक
(c) 9 years/9 वर्ष तक (d) 10 years/10 वर्ष तक

83. A special court under the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012, may take cognizable/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत कोई विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान से सकेगाः-

(a) Section 32/धारा 32 में
(b) Section 33/धारा 33 में
(c) Section 34/धारा 34 में
(d) Section 35/धारा 35 में

84. Under the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 a special court may take cognizance of any offence–
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत कोई विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा–

(a) Upon the accused being committed for trial by Magistrate
मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को विचारण कि लये सुपुर्द किये जाने पर
(b) Without the accused being committed for trial by Magistrate
मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को विचारण कि लये सुपुर्द किये जाने बिना
(c) Only on complaint of Public Prosecutor
केवल लोक अभियोजक के परिवाद पर
(d) Only on the complaint of the adolescent victim
केवल पीड़ित किशोर के परिवाद पर

85. What is true regarding the processes and powers of Special Court under Section 33?
धारा 33 के अनुसार विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियों के संबंध में क्या सही हैः–
(a) The special public prosecutor or the counsel while recording communicate the question to be put to the child to the special court which again put those questions to the child
लोक अभियोजक या काउंसेल बालक की परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्न विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा, जो पुन; उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा।
(b) Permit frequent breaks for the child during the trial
विचारण के दौरान बालक के लिये बार-बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा।
(c) Shall create a friendly atmosphere for the child by allowing the presence of any member of child's family, custodian friend or relative
बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार की उपस्थिति अनुज्ञात करके बालक के लिये मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

86. According to Section 33 what is true regarding proceedings and powers of Special Court?/धारा 33 के अनुसार विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियों के संबंध में क्या सही हैः
(a) Child is not called repeatedly to testify
बालक को परीक्षण के लिये बार-बार नहीं बुलायेगा।
(b) Shall not permit aggressive questioning or character assassination of the child and ensurethe dignity of child/आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछना अनुज्ञात नहीं करेगा तथा बालक की गरिमा बनाये रखेगा।
(c) The identity of chid is not disclosed at any time during the course of investigation or trial/अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की जायेगी।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

87. Where any offence under this act is committed by a child such child shall be dealt with under the provisons of the ....?/जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है वहाँ ऐसे बालक पर .... के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जायेगाः-
(a) Juvenile Justice (Cares and Protection of Children) Act 2015/किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
(b) Juvenile Justice (Cares and Protection of Children) Act 2005/किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2005
(c) Juvenile Justice (Cares and Protection of Children) Act 2010/किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2010
(d) Juvenile Justice (Cares and Protection of Children) Act 2012/किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2012

88. Under Section 35 the evidence of the child shall be recorded by the special court within how many time of taking cognizance–
धारा 35 के तहत बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिये जाने के कितने दिन के भीतन अभिलिखित किया जायेगा–
(a) within 30 days/30 दिन के भीतर
(b) within 60 days/60 दिन के भीतर
(c) within 45 days/45 दिन के भीतर
(d) within 90 days/90 दिन के भीतर

89. Under the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 the special court shall complete the trial within how many period from the date of taking cognizance of the offence–/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अन्दर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा–
(a) 6 months/6 माह (b) 9 months/9 माह
(c) 2 months/2 माह (d) 1 year/1 वर्ष

90. According to Section 36 which of the following are true/धारा 36 के अनुसार निम्न में से क्या सही हैः-
(a) the child is not exposed in any way to the accused at the time of recording of the evidence/बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य के अभिलिखित किये जाने के समय अभियुक्त के सामने प्रदर्शित न किया जाये।
(b) the statement of a child through video conferencing or by utilizing single visibility mirrors or curtains/बालक का कथन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण या पर्दा उपयोग करके अभिलिखित किया जायेगा।
(c) Above (a)/उपरोक्त a
(d) Above (a) and (b)/उपरोक्त a एवं b

91. **Under which section provision has been made for assistance of expert to the child by the State Government?/किसी धारा के अंतर्गत बच्चों को विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिये राज्य सरकार द्वारा मार्ग दर्शन के लिये उपबन्ध किया गया है–**
(a) Section 39/धारा 39 के अन्तर्गत
(b) Section 40/धारा 40 के अन्तर्गत
(c) Section 41/धारा 41 के अन्तर्गत
(d) Section 42/धारा 42 के अन्तर्गत

92. **Under which section of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 right of seeking help from a legal professional to the children provided?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधि व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है:-**
(a) Section 41/धारा 41
(b) Section 39/धारा 39
(c) Section 43/धारा 43
(d) Section 40/धारा 40

93. **Under which section of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 a provision of alternative punishment has been made?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत किस धारा में अनुकल्पिक दण्ड संबंध प्रावधान है–**
(a) Section 42/धारा 42 में
(b) Section 43/धारा 43 में
(c) Section 44/धारा 44 में
(d) Section 45/धारा 45 में

94. **Seection 43 of the POCSO Act, 2012 provides /पाक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 43 प्रावधानित करती है:–**
(a) Monitoring of implementation of Act
अधिनियम के क्रियान्वयन की मानिटरिंग
(b) Bringing public awareness regarding the Act
अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता
(c) Alternative punishment
अनुकल्पिक दण्ड
(d) Power to make rules
नियम बनाने की शक्ति

95. **In which section of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 ther is provisions regarding taking measures by the Central and every State Government for creating public awareness?/लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत किस धारा में अधिनियम के बारे में केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य क सरकार द्वारा लोक जागरूकता के लिये उपाय करने संबंधी प्रावधान है–**
(a) Section 42
धारा 42 में
(b) Section 43
धारा 43 में
(c) Section 44
धारा 44 में
(d) Section 45
धारा 45 में

96. **Under which section of the Protection of Children from Sexual Offence Act, 2012 provisions regarding power to make rule by Central Government has been prescribed?**
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत किस धारा में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति उपबन्धित है–
(a) Section 42/धारा 42 में
(b) Section 43/धारा 43 में
(c) Section 44/धारा 44 में
(d) Section 45/धारा 45 में

1. (d)	**11. (c)**	**21. (d)**	**31. (b)**	**41. (c)**	**51. (c)**	**61. (a)**	**71. (b)**	**81. (c)**	**91. (a)**
2. (a)	**12. (a)**	**22. (d)**	**32. (a)**	**42. (c)**	**52. (d)**	**62. (a)**	**72. (b)**	**82. (b)**	**92. (d)**
3. (c)	**13. (d)**	**23. (d)**	**33. (d)**	**43. (a)**	**53. (a)**	**63. (a)**	**73. (d)**	**83. (b)**	**93. (a)**
4. (a)	**14. (d)**	**24. (d)**	**34. (d)**	**44. (c)**	**54. (d)**	**64. (a)**	**74. (d)**	**84. (b)**	**94. (b)**
5. (a)	**15. (a)**	**25. (d)**	**35. (d)**	**45. (b)**	**55. (d)**	**65. (b)**	**75. (a)**	**85. (d)**	**95. (b)**
6. (d)	**16. (d)**	**26. (c)**	**36. (a)**	**46. (d)**	**56. (d)**	**66. (d)**	**76. (a)**	**86. (d)**	**96. (d)**
7. (d)	**17. (a)**	**27. (d)**	**37. (b)**	**47. (c)**	**57. (a)**	**67. (b)**	**77. (b)**	**87. (a)**	
8. (c)	**18. (d)**	**28. (a)**	**38. (b)**	**48. (b)**	**58. (d)**	**68. (b)**	**78. (b)**	**88. (a)**	
9. (a)	**19. (d)**	**29. (b)**	**39. (d)**	**49. (b)**	**59. (d)**	**69. (b)**	**79. (d)**	**89. (d)**	
10. (a)	**20. (b)**	**30. (d)**	**40. (d)**	**50. (b)**	**60. (a)**	**70. (d)**	**80. (b)**	**90. (d)**	